षोडश माला, खंड 5, अंक 2 मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014
4 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(सोलहवां लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2014/1936 (शक)
अंक 2, मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014/4 अग्रहायण, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
सदस्य द्वारा शपथ	12-14
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 और 22	15-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 23 से 40	23
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा बधाई

(एक) भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन

(दो) श्री कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिले नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में

(तीन) भारत के पुरुष खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं जीतने पर बधाई 24-25

सभा पटल पर रखे गए पत्र 29-34

विधेयकों पर अनुमति तथा राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 35

लोक लेखा समिति

पहले से छठा प्रतिवेदन 36

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014 -पुरःस्थापित 37-61

डॉ. जितेन्द्र सिंह

नियम 377 के अधीन मामले 63- 77

(1) देश में उपभोक्ता वस्तुओं पर अतिरिक्त मूल्य के स्टिकरलगाने की अनैतिक परंपरा पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता

श्री रमेन डेका 63

(2) उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक महत्व के स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में घोषित किये जाने तथा इस प्रयोजन के लिये उचित वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री अंशुल वर्मा 64

(3) उत्तर पूर्व मुंबई में सभी परिवारों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस के कनेक्शन दिए जाने की की आवश्यकता

श्री किरिट सोमैया 65

(4) उत्तराखंड में लोगों को अपनी आजीविका कमाने में समर्थ बनाने तथा राज्य से लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवास रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किये जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' 66

(5) झारखंड के रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छावनी क्षेत्र में सिविल नागरिकों की आवाजाही को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 67

(6) श्रीलंका की जेल में कैद तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. जे. जयवर्धन 68-69

(7) पारादीप क्षेत्र के युवाओं को पारादीप में भारतीय तेल निगम लिमिटेड में कुशल तथा अर्ध-कुशल कार्यों में उनके नियोजन को सुकर बनाने के लिये तकनीकी शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल 70-71

(8) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनार्व्यवास्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार हरियाणा में अप्रयुक्त भूमि को मूल स्वामियों को लौटाए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला 72

(9) केरल में मल्लाकारा सेंटर - मुलायम रोड पर एनएच-47 पर सब-वे का निर्माण का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता

श्री सी. एन. जयदेवन 73

(10) बिहार के बाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता मे

श्री सतीश चंद्र दुबे 74

(11) महाराष्ट्र के सांगली जिले में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री संजय काका पाटिल 75

(12) कर्नाटक के चामराजनगर जिले में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए जिला नि:शक्तता पुनर्वास केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण 76

(13) राजस्थान में सहकारी बैंकों के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी स्कीम के अंतर्गत मजदूरी वितरित किये जाने की आवश्यकता

श्री चंदनाथ 77

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014 83-110

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल 84
86-87

श्री थोटा नरसिम्हम 88

श्री तथागत सत्पथी 90- 94

श्री बी. विनोद कुमार 95

श्री राकेश सिंह 96-98

श्री दुष्यंत चौटाला 99

श्री हरीश मीना 100

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड 101- 103

डॉ. संजय जायसवाल 104-106

श्री अरविंद सावंत 107- 108

श्री जितेन्द्र सिंह 109-110

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 111-154

विचार करने के लिए प्रस्ताव 111

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी 111 -112

श्री जगदम्बिका पाल 113-118

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड 119-121

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 123-124

श्री एस.एस. अहलुवालिया 125-128

श्री के. एन. रामचंद्रन 129

श्री रतन लाल कटारिया 130-131

श्रीमती कविता कलवकुंतला 132-135

श्रीमती रमा देवी 136-137

श्रीमती रेणुका बुत्ता 138-139

श्री अजय मिश्रा टेनी 140-141

श्री दुष्यंत चौटाला 142-143

श्री प्रेमदास राई 144-145

श्री शेर सिंह गुबाया 146-147

डॉ. मनोज राजोरिया 148-149

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु 150-151

श्री एच.डी. देवगौडा 153-154

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 155-176

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डॉ. संजय जायसवाल 157-159

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान 160-161

श्री राधा मोहन सिंह 162-164

श्री बलका सुमन	165
श्री एस.एस. अहलुवालिया	166-167
श्री बलभद्र माझी	168
डॉ. के. कामराज	169
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	170
श्री राम प्रसाद शर्मा	171
श्री अश्विनी कुमार चौबे	172-173
श्री सुशील कुमार सिंह	174
श्री वीरेन्द्र सिंह	175-176

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थोमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी.के. ग्रोवर

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014 / 4 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** पीठासीन हुईं]

सदस्य द्वारा शपथ

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, महासचिव शपथ लेने के लिए सदस्य का नाम बुलायेंगे।

महासचिव : श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी

1. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक) . . . शपथ. . . अंग्रेजी

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्नकाल।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मननीय महोदया, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया प्रश्न काल स्थगित करें... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री खड़गे जी, बस एक मिनट। आप जानते हैं कि नियमानुसार, प्रश्नकाल का निलंबन नहीं किया जा सकता। आप कृपया सुनिएगा। मैं काले धन के विषय के बारे में चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूँ।

… (*व्यवधान*)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कोलकाता उत्तर): जब तक काले धन के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, तब तक किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह उचित नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : पहले छाता बंद कीजिए।

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.04 बजे</u>

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह उचित नहीं है। [हिन्दी] पहले छाता बंद कीजिए। [अनुवाद] मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगी। मुझे खेद है।

श्री सुदीप जी, यह कोई तरीका नहीं है। मुझे इसकी अनुमति नहीं दूंगी। मुझे इस बात का खेद है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप इसके लिए नोटिस दीजिए। मैं नियम 193 के अधीन इस विषय पर चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्न संख्या 21 - श्री राम किशोर सिंह।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: इसकी अनुमति नहीं है। [हिन्दी] यह तरीका सही नहीं है। छाता बंद करके अपनी-अपनी सीट पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे इस बात का खेद है। नहीं, ऐसा मत कीजिए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, श्री राम किशोर सिंह – प्रश्न संख्या 21

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: हाँ, श्री राम किशोर सिंह – प्रश्न संख्या 21

(प्रश्न संख्या 21)

[हिन्दी]

श्री रामा किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न के दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि देश में उर्वरक की मांग, आपूर्ति, उपलब्धता, वितरण, खपत और उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में काफी गैप एव विसंगतियां व्याप्त हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार बिहार सहित देश में राज्य सरकारों की मांगों के अनुरूप उर्वरकों की शत-प्रतिशत उपलब्धता एक यूनिफार्म पॉलिसी के अंतर्गत सुनिश्चित कराना चाहती है और देश के किसानों के घर तक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु पंचायत स्तर तक डीलरों की नियुक्ति करना चाहती है? ...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

इस समय श्री राजीव सातव, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (*व्यवधान*)

श्री अनन्तकुमार: माननीय सभाध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में देश भर में रासायनिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। जितना प्रदेश सरकारें मांग रही हैं, उतने उर्वरक की आपूर्ति हम कर रहे हैं। हर प्रदेश का कृषि विभाग हमें जो मांग देता है, उसके हिसाब से हम उर्वरक की पूरी सप्लाई कर रहे हैं उर्वरक की उपलब्धता बरकरार है। ...(व्यवधान)

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[अनुवाद] माननीय अध्यक्ष: माननीय महोदय, कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछें।

... (*व्यवधान*)

श्री रामा किशोर सिंह : महोदया, क्या सरकार देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने एवं उर्वरकों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार के बंद उर्वरक कारखानों को चालू कराने के बारे में विचार कर रही है?...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: माननीय सभाध्यक्षा जी, पिछले 15-16 वर्षों से कोई नया उर्वरक प्लांट शुरू करने की सोच नहीं थी, लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई है, हमने नए-नए प्लांट्स शुरू करने और जो प्लांट्स बंद पड़े हैं, उनको भी शुरू करने के बारे में सोचा है। बिहार के बरौनी में जो बंद पड़ा एक उर्वरक प्लांट है, उसको भी शुरू करने का इरादा भारत सरकार का है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी लीडर्स से निवेदन है कि यह जो छाता लेकर आप आए हैं, वह अच्छी बात नहीं है। यह एलाउड नहीं है। प्लीज, नए-नए तरीके मत अपनाइए। इसे तुरंत बंद करके रख दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदया, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने स्पष्ट रूप से सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं, लेकिन मैं दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं। पिछले वर्षों का हमारा अनुभव है कि जब किसानों को डीएपी की आवश्यकता होती थी, तो वहां यूरिया की सप्लाई की जाती थी। तथा जब यूरिया की आवश्यकता होती है तो उन्हें डीएपी की सप्लाई की जाती थी। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से विश्वास के साथ जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने स्तर से जब किसानों को जिस खाद की आवश्यकता हो, जैसे रोपनी के समय या बीज लगाने के समय किसानों को डीएपी, एमओपी और एनपीके की आवश्यकता होती है, ये खादें उनको उस अनुपात में सप्लाई करेंगे...(व्यवधान) और जब उनको पटवन की आवश्यकता होगी, तो उस अनुपात में उनको यूरिया की सप्लाई की जाएगी? बिहार के बारे में पिछले वर्षों का अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां डिमाण्ड और उपलब्धता में सामंजस्य नहीं रहा है। इसलिए खाद की हमेशा से

कमी रही है और ब्लैक-मार्किटिंग से पिछले वर्षों में लोगों को खाद खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसलिए जिस भी तरह की खाद की किसान को आवश्यकता होगी, डीएपी के समय डीएपी और यूरिया के समय यूरिया को क्या सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगी?

श्री अनन्तकुमार : माननीया अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य सीग्रीवाल जी को आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि चाहे यूरिया हो, डीएपी हो या एमओपी हो, उन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। हम यहां से उनकी मांग लेकर सप्लाई प्लान बनाते हैं लेकिन सप्लाई करने के बाद किसानों को उसकी उपलब्धता कराने का काम, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम बिहार सरकार का है। इसलिए मैं माननीय सांसद से निवेदन करुंगा कि भारत सरकार अपना पूरा फर्ज निभा रही है तो बिहार सरकार भी अपना फर्ज निभाए और आबंटित यूरिया, डीएपी और एमओपी का वितरण सुचारू रूप से करे तथा वहां के सांसद और विधायक भी इसे सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

डॉ. जे. जयवर्धन: माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार ने नेफ्था आधारित संयंत्रों से गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों को ओर परिवर्तित होने का निर्णय लिया है, और इसी कारण, दो प्रमुख नेफ्था आधारित यूरिया उर्वरक संयंत्र — तूतीकोरिन स्थित एसपीआईसी तथा चेन्नई के मणाली स्थित मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड — अब संचालन में नहीं हैं, जिससे सैकड़ों श्रमिकों की आजीविका पर प्रभाव पड़ा है। हमारी माननीय जननेत्री मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखे हैं। यदि सरकार किसानों की उर्वरक आवश्यकता को पूरा करना चाहती है, तो इन उर्वरक संयंत्रों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और उर्वरक संयंत्रों को दी जाने वाली सब्सिडी को बंद नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, नेफ्था आधारित उर्वरक संयंत्रों को गैस आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक समय एवं सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

श्री अनंत कुमार: महोदया, वर्ष 2010 में, तत्कालीन यू.पी.ए. सरकार ने तीनों नेफ्था आधारित उर्वरक कंपनियां, नामतः मैंगलोर की मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई की मद्रास फर्टिलाइजर्स

लिमिटेड, और तूतीकोरिन की एस.पी.आई.सी. को गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों में परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया था। लेकिन पिछले ढाई सालों में, यू.पी.ए. सरकार ने कोई निर्णय नहीं ले पाई है।

अब श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आने के बाद, उर्वरक मंत्री के तौर पर, मैंने इन तीनों कंपनियों के साथ बैठक की है। इतना ही नहीं, मैंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा गेल प्राधिकरण के साथ भी बैठक की। हमारे पास कोचीन में एक पेट्रोनेट टर्मिनल है। पेट्रोनेट टर्मिनल के लिए, हमें मैंगलोर तक गैस लाइन ले जाने की आवश्यकता है; और फिर, हमें चेन्नई में मद्रास फर्टिलाइजर्स के साथ-साथ तूतीकोरिन में एस.पी.आई.सी. दोनों के लिए एक जैसे बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता है।

लेकिन इस बैठक के बाद अब हमने यह निर्णय लिया है कि हम वैकल्पिक मार्गों का अन्वेषण करेंगे और पाइपलाइन बिछाएंगे, जिसमें डेढ़ साल का समय और लगेगा। लेकिन हमने नेफ्था को तीन महीनों के लिए जारी रखने की अनुमति दी थी। फिर, हमने मंत्रिमंडल की समीक्षा हेतु एक कैबिनेट नोट तैयार किया है कि यदि आरएलएनजी की दर पर सब्सिडी दी जाए और यदि दोनों राज्य सरकारें — कर्नाटक सरकार एवं तमिलनाडु सरकार — नेफ्था पर वैट को माफ कर दें, तो इस संबंध में निर्णय लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम दोनों कंपनियों को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल : मैडम जी, सारे फर्टीलाइजर्स मिल जाते हैं यह जवाब तो सही है लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब सीज़न खत्म हो जाता है तब रैक पहुंचना शुरु होता है, उस समय किसानों को इसकी जरुरत नहीं होती है। अभी मेरे चम्पारण में कोई रैक नहीं आया है और दिसम्बर में जब जरूरत होगी, उस समय यूरिया का हाहाकार मचेगा। इसलिए मेरा स्पैसिफिक प्रश्न है कि दिसम्बर में खाद की जरुरत पड़ने वाली है उससे पहले नवम्बर के अंत तक एक रैक और दिसम्बर में दो रैक क्या माननीय मंत्री जी प्रबंध कराने की व्यवस्था करेंगे?।

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, बिहार में आज के दिन उपलब्धता 1 लाख 19 हजार मीट्रिक टन यूरिया की है। लेकिन वहां की वितरण प्रणाली के कारण से वहां केवल 1 लाख 3 हजार मीट्रिक टन ही वितरण किया गया है। इसलिए हमारे तरफ से बिहार के लिए जो सप्लायी होनी चाहिए, वह सप्लायी हो चुकी है। लेकिन प्रदेश

सरकार वहां की वितरण प्रणाली को अगर ठीक करेगी तो सभी किसानों को मिल जाएगा। यहां से भेजना, सप्लायी करना हमारा फर्ज है, लेकिन वहां की वितरण प्रणाली को ठीक रखना प्रदेश सरकार का काम है। उसके लिए वहां की सरकार से आग्रह करें, उन पर दबाव डालें कि वह उसको सुचारू रूप से करे।

(प्रश्न संख्या 22)

श्री शिवकुमार उदासी : माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देशभर में 4.78 लाख उचित मूल्य की दुकानों का एक नेटवर्क है, जो संभवतः विश्व की सबसे बड़ी खुदरा प्रणाली है। वर्ष 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से यह एक सामाजिक मूल्य से जुड़ी व्यवस्था बन चुकी है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना तथा खुले बाज़ार में वस्तुओं की कीमतों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखना था। अब तक इस व्यवस्था में कई प्रकार के सुधार किए गए हैं... (व्यवधान)। लेकिन हाल के वर्षों में इस प्रणाली में भारी मात्रा में चोरी की शिकायतें सामने आई हैं। एक ओर बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस प्रणाली में पंजीकृत नहीं किया गया है, इसलिए वे राशन कार्ड पाने से वंचित हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे फर्जी राशन कार्ड हैं जो वास्तविक परिवारों से मेल नहीं खाते... (व्यवधान)।

इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से, यह जानना चाहता हूँ कि क्या नई सरकार इस प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने हेतु कोई नया तंत्र विकसित करने की योजना बना रही है? क्या इसमें और सुधार किए जाएंगे?... (व्यवधान)। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस प्रणाली में शिकायतें तो आ रही हैं, लेकिन नयी सरकार ने उसके लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले शिकायतों को निबटाने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रभाग आर्थिक अनुसंधान परिषद की तरफ से इसकी समीक्षा की जा रही है। ब्लॉक, जिला और स्टेट लेवल पर इसकी सतर्कता समितियां बनायी गयी हैं। इसके अलावा आबंटन की सूचना वेबसाइट पर डाली जाती है। इस नयी प्रणाली को हम लेकर आए हैं। इसके बाद बीपीएल और एपीएल में जो धांधली होती है, उसको रोकने के लिए हमने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं और अब तक 4 करोड़ 94 लाख कार्डों को राज्य सरकार ने निरस्त किया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवकुमार उदासी : राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बी.पी.एल.परिवारों की संख्या निर्धारित करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। यह असमानता प्रायः इस रूप में सामने आती है कि राज्यों द्वारा बी.पी.एल. परिवारों की संख्या अधिक बताई जाती है, जबकि केंद्र सरकार की गणना में यह संख्या कम होती है। इसके कारण प्रत्येक परिवार को मिलने वाले खाद्यान्न का आबंटन घट जाता है। प्रश्न यह उठता है कि बी.पी.एल. का मापदंड कौन तय करेगा? केंद्र सरकार कहती है कि देश में बी.पी.एल. परिवारों की एक निश्चित संख्या है और उसी के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि बी.पी.एल. परिवारों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। इस कारण एक बड़ा अंतर पैदा हो जाता है और जो व्यक्ति वास्तव में पात्र है, वह राशन पाने से वंचित रह जाता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठा रही है ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रावसाहेब पाटील दानवे : अध्यक्ष जी, बीपीएल और एपीएल के दायरे में कौन आएगा, इसे तय करने का सारा आधिकार राज्य सरकार का है। हमने राज्य सरकारों को निर्णय करने के आधिकार दिए हैं। देश में जितने भी राज्य हैं, उनमें अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग मानक तय किए हैं, इसलिए इस बारे में राज्य सरकार ही तय करती है।

[अनुवाद]

श्री रायपति सम्बासिवा राव : मंत्री जी के बयान के अनुसार, देश के कुछ राज्यों और क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार, जिला और ब्लॉक स्तर के साथ-साथ उचित कीमत की दुकानों सहित सभी स्तरों पर, सतर्कता समितियों का गठन किया जाना है। मैं फिलहाल इसकी स्थिति जानना चाहता हूं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रावसाहेब पाटील दानवे : माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार राज्य सरकार से हर तीन माह में एक रिपोर्ट लेती है। उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में 3044 व्यक्तियों और 15,230 राशन की दुकानों के खिलाफ कार्यवाई की गयी है। वर्ष 2014 में राज्य सरकारों ने अब तक 290 लोगों और 2408 दुकानों के खिलाफ आज तक कार्रवाई की है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं हिदायत देना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं, वह उचित नहीं है।

सभा की कार्यवाही मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>पूर्वाह्न 11.22 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 23 से 40,
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460)

[*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*)

अध्यक्ष द्वारा बधाई

(एक) भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन
(दो) श्री कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिले नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में
(तीन) भारत के पुरुष खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं जीतने पर बधाई

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि, 24 सितंबर, 2014 को, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मंगलयान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। भारत को अपने प्रथम मंगल मिशन में ही सफलता प्राप्त करने वाला पहला देश होने का विशेष दर्जा प्राप्त हो गया है।

मंगल ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम अंतर-ग्रह मिशन है जिसे 5 नवंबर, 2013 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पी.एस.एल.वी.) द्वारा आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था और लगभग नौ महीने की यात्रा के बाद, इसे मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था।

इसके साथ, भारत उन विशिष्ट और अनन्य देशों के समूह में शामिल हो चुका है जिनके पास अंतरिक्ष में अंतर-ग्रह खोज करने की क्षमता है। हमें अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है।

इस मिशन को सफल बनाने तथा प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करने के लिए यह सभा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की समर्पित टीम को बधाई देती है।

माननीय सदस्यों, मुझे यहाँ प्रतिष्ठित बाल अधिकार कार्यकर्ता, श्री कैलाश सत्यार्थी का उल्लेख करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है जिन्होंने पाकिस्तान की मलाला युसुफजई के साथ वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है।

श्री सत्यार्थी ने अपना जीवन बाल श्रम के विरुद्ध अभियान के लिए समर्पित किया तथा वित्तीय लाभ के लिए बच्चों के शोषण के विरुद्ध कई तरह से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए।

मैं अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से श्री कैलाश सत्यार्थी की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर उन्हें बधाई देती हूँ तथा उनके भावी प्रयासों की सफलता की कामना करती हूँ।

माननीय सदस्यों, यह सभा 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2014 तक इंचियोन, दक्षिण कोरिया में आयोजित सत्रहवें एशियाई गेम्स 2014 में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना करती है। मैं सभा की ओर से उन सभी पुरुष और महिला खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ, जिन्होंने हमारे देश के लिए पदक जीते हैं।

भारत ने इन खेलों में 11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य पदक जीते हैं।

हम भारतीय खिलाड़ियों को उनके सभी भावी प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं।

माननीय सदस्यों, मैं अपनी तथा इस सभा की ओर से, 26 अक्तूबर वर्ष 2014 को सिंगापुर में डब्ल्यूटीए महिला युगल खिताब जीतने के लिए टेनिस स्टार सानिया मिर्जा तथा प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और किदम्बी श्रीकांत को चीन के फूजो में 16 नवंबर वर्ष 2014 को चाइना ओपन सुपर सीरिज में क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब जीतने तथा उसी दिन थाईलैंड के चिआंगमई चिआंगमई गोल्फ क्लासिक टूर्नामेंट जीतने के लिए गोल्फ खिलाडी राशिद खान को बधाई देती हूँ।

यह सभा सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, किदम्बी श्रीकांत तथा राशिद खान को उनके भावी टूर्नामेंटों के लिए अपनी शुभकामनाएं देती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, काला धन वापस लाने का क्या हुआ? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं इस पर चर्चा की अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप जब भी कहें मैं इस पर चर्चा करने की अनुमति देने के लिए तैयार हूँ।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप जब कहेंगे, तब उस पर डिस्कशन करवा दिया जाएगा।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा है कि जब आप बोलेंगे, तब डिस्कशन करवा देंगे।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप मुझे बताएं, और सरकार इसके लिए तैयार है।

… (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू]: माननीय अध्यक्ष, मुझे अभी विपक्ष के कुछ मित्रों द्वारा दिए गए नोटिस के बारे में पता चला है कि वे काले धन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। … (*व्यवधान*) अगर वे चर्चा चाहते हैं, तो जिस भी नियम के अधीन आप इस पर चर्चा करने की अनुमति देती हैं, सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। … (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.07 बजे

इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: सरकार चर्चा के लिए तैयार है,हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। … (*व्यवधान*) हमने बहुत सारे पहल किए हैं, और हमें इस सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सदन को बताने में खुशी होगी। … (*व्यवधान*)

मैं विपक्षी दलों से आग्रह करता हूँ कि कृपया सभा की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करें, और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर यथोचित बहस करें। … (*व्यवधान*) अगर आप वास्तव में बहस करना चाहते हैं, तो सरकार तैयार है। … (*व्यवधान*) आपकी समस्या क्या है? मैं आपकी समस्या समझ नहीं पा रहा हूँ। … (*व्यवधान*) सरकार किसी भी समय इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। … (*व्यवधान*)[हिन्दी] काला धन वापस लाने के विषय में आपने इश्यू उठाया है, उसके लिए हम तैयार हैं। ...(व्यवधान) चर्चा के लिए तैयार हैं, बहस के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) दस साल बीत गए, पुरानी सरकार के जमाने में कुछ नहीं हुआ। ...(व्यवधान) हमें आए हुए छह महीने हो गए हैं। ...(व्यवधान) हमने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ...(व्यवधान) हम बहस करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) स्पीकर महोदया जब अनुमति दें, उस हिसाब से हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको चर्चा नहीं चाहिए? खाली चिल्लाना है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, आप वापस जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको चर्चा का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आप कहेंगे, हम चर्चा करवा लेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी लीडर्स के साथ चर्चा कर के टाइम तय करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मद सं. 3, श्री किरेन रिजीजू।

… (*व्यवधान*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): श्री राजनाथ सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत जारी 28 सितम्बर, 2014 की उद्घोषणा, जो 28 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 698 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 28 सितम्बर, 2014 के आदेश, जो 28 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 818/16/14]

(3) राष्ट्रपति को प्रस्तुत महाराष्ट्र के राज्यपाल के 27 सितम्बर, 2014 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 819/16/14]

(4) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत जारी 30 अक्तूबर, 2014 की उद्घोषणा जो 30 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 763 (अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 सितम्बर, 2014 को उनके द्वारा जारी पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 820/16/14]

… (*व्यवधान*)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने के लिए अनुरोध करता हूं:-

1. राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्टूबर, 2014 को प्रख्यापित कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 5)।

   [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 821/16/14]

2. राष्ट्रपति द्वारा 24 अक्टूबर, 2014 को प्रख्यापित वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 6)।

   [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 822/16/14]

… (*व्यवधान*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. का.आ. 1999(अ) जो दिनांक 6 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उनकी अपनी समांतर विपणन प्रणाली की प्रतिमाह दस हजार मीट्रिक टन तक की आवश्यकता

के लिए उनके द्वारा घरेलू रूप से विनिर्मित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 823/16/14]

2. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन और वितरण) (संशोधन) आदेश, 2014 जो 14 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सां.का.नि. 721(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 824/16/14]

… (*व्यवधान*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 146 की उपधारा (3) के अंतर्गत मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन नियुक्ति नियम, 2014 जो 10 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सां.का.नि. 716(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 825/16/14]

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 826/16/14]

(2)(एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 827/16/14]

(3) तट जलकृषि प्राधिकरण आधिनियम, 2005 की धारा 24 के साथ पठित उपधारा (3) के अंतर्गत जारी आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 667(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा

जिसके द्वारा तट जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 828/16/14]

(4) आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2014 जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 2068(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 829/16/14]

(5) नाशक कीट और नाशक जीव आधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2014, जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र की आधिसूचना संख्या का.आ. 2320(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2014, जो 30 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र की आधिसूचना संख्या का.आ. 2542(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 830/16/14]

(6) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 831/16/14]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : महोदया, मैं आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं और संचलन प्रतिबंधों) का निराकरण (संशोधन) आदेश, 2014 जो 30 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का0आ0 2559(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 832/16/14]

अपराह्न 12.10 बजे

विधेयकों पर अनुमति
और
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सोलहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखता हूं क्योंकि 25 जुलाई, 2014 को सभा में इस बारे में एक सूचना दी गई थी:-

1. विनियोग (रेल) संख्यांक 2, विधेयक, 2014;
2. विनियोग (रेल) संख्यांक 3, विधेयक, 2014;
3. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014;
4. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2014;
5. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014; और
6. दिल्ली विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त और राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित निम्नलिखित तीन विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:-

1. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014;
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014; और
3. प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.10 ½ बजे</u>

लोक लेखा समिति

पहला से छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद] **प्रो. के.वी. थोमस (एर्नाकुलम):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) 'भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं' पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय पर प्रस्तुत किए जाने का अननुपालन न करने के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'आयकर विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में पर्यावरणीय प्रबंधन - स्टेशन, ट्रेन और ट्रैक' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) रेल मंत्रालय से संबंधित 'कश्मीर तक रेल संपर्क' के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(5) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में सिविल अभियांत्रिकी कार्यशालाएँ' 'सोन नदी पर नये रेल सेतु के निर्माण में विलम्ब' और 'सिग्नल और दूरसंचार' के बारे में पाँचवा प्रतिवेदन।

(6) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर' के बारे में उनासीवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.11 बजे

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014 .....पुरःस्थापित *

[हिन्दी] उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन आधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न है:

> "कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।...(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 25.11.2014 में प्रकाशित ।

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब है कि आप चर्चा नहीं चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप केवल हल्ला करना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ब्लैक मनी पर न तो चर्चा चाहते हैं और न ही आप सरकार की बात सुनना चाहते हैं। इट्स ओ.के.। थैंक यू।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आविलंबनीय भी है, लोक महत्व का है यहां उठाने का अवसर दिया है।...(व्यवधान) देश के ये माननीय सदस्य, जो आज सदन के वेल में हैं, जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो आंगनबाड़ी की बहनें इनसे पूछेंगी कि जिस समय हमारे से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय को उठाया जा रहा था।...(व्यवधान) जब देश के तमाम आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए स्वस्थ भारत व स्वच्छ भारत बनाने की परिकल्पना को हम साकार कर रहे हैं, उस समय देश की जनता आपसे इस बात की अपेक्षा कर रही है कि आप इसे ध्यान से सुनें।...(व्यवधान) निश्चित तौर से देश में 14 लाख केन्द्रों पर जो 28 लाख हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका हैं, आज उनके बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उनको हर राज्य में अलग-अलग मानदेय मिल रहा है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में तीन हजार का मानदेय है, उत्तराखंड में पांच हजार का मानदेय है, साढ़े सात हजार मानदेय हरियाणा में है। ...(व्यवधान) आज देश में आंगनबाड़ी की बहनें पल्स पोलियो का काम करती हैं, जनगणना का काम करती हैं, पुष्टाहार बांटने का काम करती हैं।...(व्यवधान) जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे किसी भी मौसम में आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए, महिलाओं को मैटरनिटी से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम

कर रही हैं।...(व्यवधान) पिछले दो दिनों से हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की देश की बहनें आकर बैठी हुई हैं।...(व्यवधान) उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना समिचीन है। आज देश में अन्य तमाम लोगों के लिए जो मानदेय दस हजार रूपये का है, वह भी उनको नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी है।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मैं समझता हूं कि देश के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को वे वास्तविकता के धरातल पर लागू करती हैं।...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हमें मालूम है।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, देश भर में हमारी 28 लाख बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के रूप में कार्य करती हैं।...(व्यवधान) उनको 20-20, 30-30 वर्षों से प्रमोशन नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान) उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है।...(व्यवधान)उनको सीडीपीओ नहीं बनाया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी है।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मैं माँग करता हूँ कि देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती योग्य हैं।...(व्यवधान) उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाये और समय से उनको वेतनमान दिया जाये।...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ।...(व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदया, मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूँ।

अनेक माननीय सदस्य : हम भी समर्थन करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपना समर्थन लिखकर दे दीजिएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कविता कलवकुंतला, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री शिवकुमार उदासि, श्री ए.टी.नाना पाटील, डॉ. संजय जायसवाल, श्री निशिकान्त दुबे, श्री रमेश बिधूड़ी, श्री संजय धोत्रे, श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण, श्री विनोद कुमार सोनकर, डॉ. यशवंत सिंह, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री कमलेश पासवान, श्रीमती अंजू बाला, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, साध्वी सावित्री बाई फूले, श्रीमती नीलम सोनकर, श्रीमती रक्षाताई खाडसे,कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री राम प्रसाद सरमा और श्रीमती कृष्णा राज अपने आपको श्री जगदम्बिका पाल जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व का एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाह रहा हूँ।...(व्यवधान) मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में इस समय कृषि उपज मंडियों में मूँगफली की आवक बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार की योजना मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत खरीददारी की व्यवस्था में डिले होने के कारण मूँगफली की फसल के ढेर लग रहे हैं तथा मंडियों के आस-पास रहने वाले व्यवसायियों को भी ट्रैफिक जाम के कारण बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान ग्रामीण क्षेत्र से मूँगफली लेकर मंडी में आते हैं, उनको भी समुचित बोली की व्यवस्था नहीं होने के कारण एक या दो दिन मंडी के आस-पास सड़क पर भी रुकना पड़ता है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। शहर के अन्य नागरिकों को भी ट्रैफिक जाम के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मूँगफली की आवक ज़्यादा होने के कारण मूँगफली की फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिक रही है जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्री से मांग है कि बीकानेर की कृषि मंडियों में मूँगफली की फसल की आवक को देखते हुए आतिशीघ्र मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत खरीददारी करने के निर्देश जारी करें तथा बजट की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएँ जिससे राज्य सरकार सरकारी खरीद के लिए आवश्यक प्रबंध कर सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शिव कुमार उदासि, श्री ए.टी.नाना पाटील एवं श्रीमती ज्योति धुर्वे को श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बिष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदया, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुप्रीम कोर्ट के 5 जून, 2009 के आदेश के मुताबिक 325 होम गार्डज़ को एडमिस्ट्रेशन को एबज़ार्ब करने का आदेश दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर उनको जो आधिकार और बैनिफिट मिलना था, वह तुरंत दिया जाए। वे आधिकार क्या हैं - अपग्रेडेशन ऑफ पे स्केल, और ग्रेड पे छठे पे कमीशन के मुताबिक मिले। दूसरा, एसीपी और एमएसीपी जो दस साल का ड्या ू है, छठे पे कमीशन के मुताबिक उनको दिया जाए। उनका एच.आर.ए. का एरियर्स इनीशियल डेट ऑफ अपाइंटमैंट से उनको दिया जाए। साथ-साथ एडहॉक बोनस भी डेट ऑफ अपाइंटमैंट से 2010 तक उनको दिया जाए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में किया था, लेकिन आज पाँच साल बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ है। इस काम को करने के लिए मैंने अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन तथा गृह मंत्रालय को पिछली लोक सभा से आज तक करीब पाँच बार पत्र लिखा है। मैं आग्रह करूँगा कि 325 होम गार्ड्ज़ के जो आधिकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, अंडमान निकोबार प्रशासन तुरंत इस काम को पूरा करे और गृह मंत्रालय के नाम पर चिट्ठियों का आदान-प्रदान न करे। प्रशासन खुद यह काम कर सकता है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आदेश मुताबिक तुरंत कार्रवाई करके इन गरीबों को मदद पहुँचाए। इससे हर होम गार्ड को करीब 5 लाख रुपये का एरियर्स मिलेगा। जय हिन्द। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आप सबसे निवदेन है कि जब आपकी मांग है और आप अगर ब्लैक मनी पर चर्चा भी चाहते हैं, उसको वापस चाहते हैं और गवर्नमैंट क्या कर रही है यह जानना चाहते हैं, अगर वास्तव में जानना चाहते हैं तो चर्चा करें। चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। मैं फिर से आपको निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी सीट पर जाइए। आप जब कहेंगे, और सरकार जब चर्चा के लिए तैयार है तो इसका मतलब यह है कि आप सरकार से उत्तर नहीं चाहते हैं। कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री ई. अहमद जी। क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं?

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): नहीं, महोदया

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे पान की खेती पर निर्भर उन बीस अरब किसानों से सम्बंधित मुद्दे को उठाने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसे हमारी स्थानीय भाषा में पान को *पाना पात्र* कहते हैं। इस स्थानीय उत्पाद से 50 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी ओडिशा के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र और तमिलनाडु के किसानों सहित देश के 20 करोड़ किसान परेशान हैं। दुःख की बात यह है कि पान को हमारे देश में कृषि उपज का हिस्सा नहीं माना जाता है। पान के पत्ते को कृषि उपज के रूप में शामिल करने की लगातार मांग की जा रही है। किसान हुदहुद चक्रवात से परेशान हैं और तटीय क्षेत्र में निरंतर आ रही प्राकृतिक आपदाओं से भी पीड़ित हैं। अतः आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से मेरी यह मांग है कि पान या 'पाना पत्र' को कृषि उपज का हिस्सा माना जाए और किसानों को कृषि बीमा सहित सभी सुविधाएं दी जाएं, जिसका लाभ हमारे देश के बीस करोड़ किसानों को मिले। इसके अतिरिक्त, मैं बालासोर, केन्द्रपाड़ा और ओडिशा के अन्य तटीय क्षेत्रों में क्लस्टर के विकास का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे गन्ना किसानों की दुर्दशा पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का मौका दिया है।...(व्यवधान) सदन में माननीय रामविलास पासवान जी मौजूद हैं, मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि सभी गन्ना किसानों का भुगतान होगा। मुझे खुशी है कि जो भी ईमानदार शुगर फैक्टरी थी, उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया और उससे गन्ना किसानों का भुगतान हुआ।...(व्यवधान) लेकिन मेरे यहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम की दो फैक्टरियां लोरिया और सुगौली में हैं और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत सरकार का उपक्रम है और लाखों करोड़ रुपया कमाता है।...(व्यवधान) उसके बावजूद भी लोरिया चीनी मिल के 17 करोड़ रुपए बाकी हैं और सुगौली चीनी मिल के 25 करोड़ रुपए हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर बाकी हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग उत्तर सुनने के लिए तो अपनी सीट पर जाएं।

... (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय रामविलास पासवान जी भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान पेट्रोलियम को आज्ञा दें कि गन्ना किसानों के बकाया को एक हफ्ते के भीतर दिया जाए।...(व्यवधान) आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ और डॉ. किरिट पी. सोलंकी अपने आपको डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

... (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (बलिया) : महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने देश के विकास के लिए, देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए की थी।...(व्यवधान) काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। उस शांतपूर्ण आंदोलन पर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया। सैकड़ों छात्रों को जेल में डाला गया और लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है।...(व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीया जी की वह कृति है। इस विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने भी बर्बर अत्याचार किया है, उसकी जांच करके उन पर कार्रवाई की जाए और सभी निर्दोष छात्रों को जेल से बाहर किया जाए तथा छात्र संघ की बहाली की जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे समझ नहीं आता है कि जब आपको चर्चा देने के लिए सरकार तैयार है, तो आप वेल में क्यों आए हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप लोग चर्चा नहीं चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : महोदया, इंसान को अलग-अलग उम्र में अलग-अलग बीमारियां होती हैं, जिनके निवारण के लिए पेशेंट डाक्टर के पास जाता है। उसे लगता है कि हमारी बीमारी जल्दी से जल्दी

ठीक हो लेकिन आज देश में देखा जा रहा है कि डाक्टर लोग कंटेंट न लिखते हुए, कम्पनियों का नाम लिख कर देते हैं। कम्पनी के नाम से दवाई काफी महंगी होती है। उदाहरण के तौर पर मैं एक दवाई का नाम बताना चाहता हूं जिसका कंटेंट एटेनोलोल है और अगर हम वही दवा हम अटेन कम्पनी की लेते हैं तो एक स्ट्रीप तीस रुपए दस पैसे की मिलती है और वही कंटेंट की दवा जिवलॉक कम्पनी की लेते हैं तो वह छह रुपए पच्चीस पैसे की मिलती है।...(व्यवधान) इसका मतलब एक कम्पनी उसी दवा का पांच सौ गुना ज्यादा लेती है।

मेरी आपके द्वारा सरकार से विनती है कि डाक्टर्स के लिए कम्पलशन करना चाहिए कि कम्पनी का नाम लिख कर देते हुए आरएक्स और कितने मिलीग्राम की दवाई लेनी है, यह लिखकर दें। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल और श्री निशिकांत दुबे अपने आपको श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) : महोदया, बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने के लिए तीन साल पहले भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग का जमीन थी, वह हिंदू मिल का जमीन स्मारक के लिए देने के लिए घोषित किया था। अभी तक वहां स्मारक का काम नहीं हुआ है।...(व्यवधान) महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इंटरनेशनल स्मारक मुम्बई में होना चाहिए। इसके लिए वह जमीन तुरंत दी जानी चाहिए और वहां स्मारक बनाने का काम तुरंत शुरू होना चाहिए।...(व्यवधान) दिसम्बर माह आने वाला है। बाबा साहब दलितों, पिछड़ों के महामानव हैं। बाबा साहब के स्मारक के लिए शासन तुरंत जमीन दे और स्मारक बनाने का काम शुरू करने का आदेश दे। धन्यवाद।...(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको श्री सदाशिव लोखंडे द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूं।...(व्यवधान)।

[अनुवाद]

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जुलाई 2015 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र नासिक, महाराष्ट्र में कुंभ मेला लगने वाला है। कुंभ मेला हमारे देश में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भारत भर से करोड़ों तीर्थयात्री इस त्योहार में सम्मिलित होते हैं। इन तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। वर्ष 2003 में पिछले कुंभ मेले के दौरान, योजना की कमी के कारण लगभग 29 तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी। अब भी, इस विशाल कार्यक्रम में सात से आठ महीने शेष हैं। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य वित्तीय सहायता न मिल पाने के कारण अधूरा है। इस निर्धारित समय में तीर्थयात्रियों के लिए सुख - सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए, केंद्र सरकार को कुंभ मेले के लिए जल्द से जल्द वित्तीय सहायता जारी करनी चाहिए। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर सीकरी) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मस्थल है।...(व्यवधान) बटेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र है।...(व्यवधान) वहां पर द्वापर में भगवान कृष्ण के बाबा सूर सिंह जी पैदा हुए थे और उस वजह से सौरीपुर नाम का गांव है।...(व्यवधान) वहां पर बलराम और कृष्ण जी का बंटवारा हुआ, उसकी वजह से बटेश्वर उस धाम का नाम पड़ा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि उस बटेश्वर धाम को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म भूमि होने के नाते एक पर्यटक स्थल के रूप में ऐतिहासिक बनाया जाए।...(व्यवधान) वहां पर एक सौ आठ मन्दिर बने हुए हैं, वे काशी से किसी भी सूरत में कम नहीं हैं।...(व्यवधान) वहां पर एक बहुत अदभूत् जगह है, जमुनाजी का बहाव पूर्व से पश्चिम की तरफ बहता है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इसे जरूर संज्ञान में लेते हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भावनाओं की कद्र करते हुए उसको ऐतिहासिक रूप में, धरोहर के रूप में पर्यटक स्थल घोषित किया जाए।...(व्यवधान) तथा विकास किया जाए।

- आगरा से बटेश्वर जाने वाला बाह्य आगरा मार्ग की स्थिति बहुत ही जर्जर हालात में बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं इसको चार लेन का कराया जाए। आगरा से बटेश्वर के लिए रेलवे लाइन का काम चल रहा है परंतु बड़ी धीमी गति से उसको आविलम्ब पूरा कराया जाए।
- बटेश्वर धाम पर्यटन की स्थिति से एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाए जिससे मा0 अटल जी का नाम हमेशा के लिए अमर रहे।
- बटेश्वर में दीनदयाल धाम फरह (मथुरा) की तरह साल में एक राष्ट्रीय प्रोग्राम अटल जी के जन्मदिन पर होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सी. महेन्द्रन (पोल्लाची): मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले माननीय *पुरत्चीथलैवी* अम्मा को नमन करता हूँ।

महोदया, मेरे पोल्लाची निर्वाचन-क्षेत्र में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, कृषि आय और व्यवसाय का एक मुख्य स्रोत है और लगभग 60,000 एकड़ कृषि भूमि सिंचाई के लिए पूरी तरह से पम्पा नदी पर निर्भर है। यह नदी उडुमलपेट तालुका में प्रवेश करने से पहले चिनार और कोट्टार नदी में विलीन हो जाती है जिसे तमिलनाडु में अमरावती के नाम से भी जाना जाता है। पम्बा अमरावती नदी की एक सहायक नदी है जो स्वयं कावेरी नदी की एक सहायक नदी थी।

हाल ही में केरल सरकार के मुख्यमंत्री ने केरल के कंधलूर गांव के पट्टीसेरी में पम्बा नदी पर लगभग 2 टीएमसी की भंडारण क्षमता वाले एक नये बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है, जिसकी अनुमानित लागत 26 करोड़ रुपये है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार ने प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अपनी प्रदान की है। यदि केरल सरकार इस बांध के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाती है, तो मेरे संसदीय क्षेत्र में कृषि कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। कई किसानों को कृषि में घाटा हुआ है। अब उनके पास आय का कोई और स्रोत नहीं है और न ही कोई कृषि उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा, उस क्षेत्र से जो

भी उपज होती है, जिसमें चावल, दालें, सब्जियाँ, फल, दूध आदि शामिल हैं, वह केवल केरल को ही निर्यात की जाती है। पोल्लाची तमिलनाडु और केरल की सीमा में स्थित है।

महोदया, हमें सिंचाई और पेयजल के लिए केवल 12 टीएमसी पानी की आवश्यकता है। केरल सरकार पहले ही मुल्लापेरियार बांध के मामले में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर चुकी है और अब पम्बा नदी पर यह नया बांध निर्माण प्रस्तावित है। … (*व्यवधान*) इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तमिलनाडु के सैकड़ों किसानों को बचाने के लिए इडुक्की जिले के कंडालुर स्थित पट्टीसेरी में पम्बा नदी पर बांध बनाने से केरल सरकार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये। धन्यवाद।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: इस पर चर्चा? यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं। यह ठीक है।

… (*व्यवधान*)

*__श्री पी. आर. सुन्दरम (नामाक्कल):__ मैं माननीय *पुरात्चीथलाइवी* अम्मा को नमन करता हूँ। वर्ष 2011 में, श्रीलंकाई सरकार ने रामनाथपुरम के 5 मछुआरों के खिलाफ एक संदेहास्पद मादक पदार्थ की तस्करी का संदिग्ध मामला दर्ज किया था। इसके बाद, इन सभी मछुआरों को दोषी ठहराया गया और 20 अक्टूबर 2014 को उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। तमिलनाडु सरकार ने माननीय अम्मा के पदचिह्नों पर चलते हुए उन तमिल मछुआरों की ओर से मामले में अपील करने के लिए 20 लाख रुपये उपलब्ध कराये। इसी संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा गया और इसके उपरांत तमिलनाडु के उन मछुआरों को रिहा कर दिया गया। डी.एम.के. अध्यक्ष, अपने बयानों के माध्यम से, इस मामले में झूठे आरोपों के ज़रिए बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय *पुरात्चीथलाइवी* अम्मा वह मसीहा हैं जिन्होंने तमिल मछुआरों को मृत्युदंड से बचाया। तमिलनाडु सरकार, *पुरात्चीथलाइवी* अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में, तमिलनाडु में मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। 23 नवम्बर 2014 को, 14 तमिल मछुआरों को उनकी 3 नावों के साथ श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु सरकार ने माननीय *पुरात्चीथलाइवी* अम्मा के मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर उन गिरफ्तार मछुआरों की शीघ्र रिहाई और जब्त की गई नौकाओं को वापस दिलवाने का अनुरोध किया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और श्रीलंका की जेलों में बंद सभी 38 मछुआरों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ। साथ ही, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा जब्त की गई 78 नौकाओं को सुरक्षित वापस दिलवाने का भी आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, मैं कोल ब्लॉक के बारे में कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) यह जानकारी पूरे देश को है कि जो कोल ब्लॉक का कलाकारी से घोटाला हुआ, उससे कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए सरकार गिर गयी। ...(व्यवधान) अभी जो बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार चल रही है, उसने पिछली सरकार से कोई शिक्षा नहीं ली। ...(व्यवधान) देश का आम आदमी देख रहा है कि कोल ब्लॉक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ...(व्यवधान) बीजेपी सरकार ने जो सिद्धांत लिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने वायदा किया, निजीकरण को अमल करने के लिए बीजेपी सरकार ने एक आर्डिनेंस जारी किया। ...(व्यवधान) उस आर्डिनेंस को आइन बनाने के लिए, इसको एक्ट बनाने के लिए इस पार्लियामेंट सत्र में उन्होंने इंतजाम कर लिया। ...(व्यवधान) आज हमारे देश में कोल ब्लॉक की प्राब्लम है। ...(व्यवधान) पिछली सरकार के समय में 1 लाख 86 हजार करोड़ रूपए का घोटाला हुआ। ...(व्यवधान) उस घोटाले से यह प्राब्लम हमारे देश में आयी और खजाने में पैसा जमा नहीं हुआ। ...(व्यवधान) इसके बाद जो बीजेपी सरकार आयी, उसने इससे शिक्षा नहीं ली। ...(व्यवधान)

हमारी यह मांग है कि कोल का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान) कोल ब्लॉक को पी.एस.यू. के अंडर ही रहना चाहिए। श्रमिक कर्मचारियों को भविष्य में देखना चाहिए। ...(व्यवधान) यह हमारे देश का सामान है, संपत्ति है। ...(व्यवधान) उस संपत्ति को किसी दूसरे पूंजीपति के हाथ में नहीं देना चाहिए। ...(व्यवधान) यह संपत्ति किसी विदेशी के हाथों में नहीं देनी चाहिए। ...(व्यवधान) यह संपत्ति हमारे देश के भलाई के काम में लगनी चाहिए। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह बात सरकार से कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.बी.राजेश और श्री जितेन्द्र चौधरी को श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा - उपस्थित नहीं; श्री एंटो एन्टोनी- उपस्थित नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत।

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि मुम्बई शहर इस देश की आर्थिक राजधानी है और यह ज्वालामुखी के मुख पर खड़ी है। ...(व्यवधान) इसकी जनसंख्या आज के दिन डेढ़ करोड़ है, लेकिन रोजगार की वजह से करीब एक करोड़ लोग रोज मुम्बई शहर में आते रहते हैं। ...(व्यवधान) आज इस अवस्था में मुम्बई शहर में जो पुरानी इमारतें हैं, उनको पुनर्विकसित करने की बात चल रही है, ...(व्यवधान) आज इन इमारतों की स्थिति बहुत गंभीर है, ...(व्यवधान) ये 100 साल पुरानी इमारतें हैं, ...(व्यवधान) हम उनके मरम्मत के लिए एमपी लैड से भी फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एन.डी.ए. सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी की बात की है।...(व्यवधान) एन.डी.ए. सरकार ने पक्के घरों की भी बात कही है। ...(व्यवधान) मैं उसका स्वागत करता हूं। ...(व्यवधान) इस वक्त देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई शहर के हालात की तरफ देखना भी आवश्यक है।...(व्यवधान) पुराने मकान, छोटी-छोटी गलियां, गंदगी और बीमारी, अनेक क्षेत्रों में घुटन जैसी महसूस हो रही है।...(व्यवधान) उनके पुनर्विकास का काम भी प्राथमिकता से करना होगा।...(व्यवधान) अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसे आपने स्मार्ट सिटी की योजना बनाई है, वैसे ही मुम्बई शहर के पुनर्निर्माण की योजना बनाएं। ...(व्यवधान) झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कानून 300 स्कवेअर फुट मीटर की जगह दे दें, जिससे आगे चल कर एक भी झुग्गी-झोपड़ी मुंबई शहर में न रहे। ...(व्यवधान) उनके लिए केन्द्र सरकार अगले पांच वर्ष मुम्बई शहर के पुनर्निर्माण के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करे। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार के पास इनकम टैक्स के जरिए जो पैसे आते हैं उनमें एक-तिहाई पैसे मुम्बई शहर से आते हैं और मुम्बई शहर को कुछ भी नहीं मिलता है। ...(व्यवधान) यह सिर्फ पांच वर्ष के लिए मेरी मांग है, ताकि मुम्बई का पुनर्निर्माण हो सके।...(व्यवधान) आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री चाँद नाथ (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदया, शून्य काल के दौरान लोक महत्व का मुद्दा उठाने की आपने मुझे अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) मैं सदन का ध्यान डी.एम.आई.सी. में प्रस्तावित खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र को भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति-2011 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय विनिवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) इस प्रकरण में भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु पिछले साल प्रस्ताव भिजवाए जा चुके हैं। ...(व्यवधान) भारत सरकार से स्वकृति अपेक्षित है।...(व्यवधान) इस हेतु डी.एम.आई.सी.डी.सी. लिमिटेड, जो कि भारत सरकार द्वारा डी.एम.आई.सी. परियोजना हेतु स्थापित एक निगम है, द्वारा भी औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग को स्मरण कराया जा चुका है...(व्यवधान) परन्तु भारत सरकार इन आवेदन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में तुरंत निर्णय ले कर उचित कार्रवाई की जाए। ...(व्यवधान) आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ...(व्यवधान)

श्रीमती बिजोया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों को प्रताड़ित करने के चलन की ओर करना चाहती हूँ। … (*व्यवधान*)

दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों की हत्याएँ बेरोकटोक जारी हैं। पिछले सप्ताह, मात्र 48 घंटों के भीतर तीन पूर्वोत्तर के लोगों की हत्या कर दी गई। उन्हें बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के मार दिया गया।… (*व्यवधान*)

केवल इतना ही नहीं, उत्तर-पूर्व से आई स्कूल जाने वाली लड़कियों और कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएँ भी एक चलन बन गई हैं। दिल्ली में उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। … (*व्यवधान*) यह तो जैसे इन अपराधियों के लिए एक मनोविनोद बन गया है। इसके अतिरिक्त, इन महिलाओं को लगातार अश्लील फोन कॉल और धमकी भरे फोन कॉल भी आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित इन दुर्भाग्यशाली लोगों को 600 से अधिक फोन कॉल प्राप्त हो चुके हैं। मणिपुर, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोग – कुल मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग – इन सबका शिकार बन रहे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस विषय पर समुचित कदम उठाए जाएं। यदि इन उपद्रवियों को समय रहते नहीं रोका गया, तो मुझे डर है कि दिल्ली में कोई अनहोनी घट सकती है। अतः, इन लोगों को कड़ी सजा देकर इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है; उन्हें शायद यह नहीं जानते कि पूर्वोत्तर भारत का एक अभिन्न अंग है। मैं इसके खिलाफ तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री एम. बी. राजेश और श्री राम प्रसाद शर्मा को श्रीमती बिजोया चक्रवर्ती द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदया, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार के सीवान जिले में भाजपा नेता और वहां के स्थानीय सांसद श्री ओमप्रकाश यादव के प्रवक्ता और भाजपा कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दिल दहलाने वाली घटना हुई है। आज पूरे बिहार में लगातार हत्याएं, अपराध,

बलात्कार, छेड़खानी, लूटपाट की अनेकों घटनाएं दर्ज हैं किन्तु वहां की राज्य सरकार उसे पूरी तरह संरक्षण दे रही है। इतना ही नहीं, बिहार के कई शहरों में लगातार बंद हो रहे हैं। भागलपुर से लेकर सम्पूर्ण बक्सर तक बिहार में अनेक घटनाएं घट रही हैं। राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार आविलंब हस्तक्षेप कर ऐसी निर्मम हत्याओं, अपराध पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार पर दबाव डाले। साथ ही सीवान में राजद के एक दुरनाम व्यक्ति जेल में बंद हैं। उनके द्वारा लगातार हत्याएं की जा रही हैं। उन्हें उसी सीवान की जेल में बंद रखा गया है। उन्हें सीवान जेल से आविलंब स्थानान्तरित किया जाए। भारत सरकार इस पर तुरंत हस्तक्षेप करके कार्यवाही करे।

*__श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर):__ महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं पंजाब के मालवा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं। फिरोजपुर संसदीय क्षेत्र 150 किलोमीटर तक सीमा के समानांतर स्थित है। यहाँ भारत भर में अनुसूचित जाति की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है।

लंबे समय से, कैंसर ने इस क्षेत्र के लोगों को परेशान किया हुआ है। मैंने इस क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया है। हर गांव में कैंसर के कई मरीज हैं और जैसा कि आप जानती हैं कैंसर एक घातक बीमारी है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ फिरोज़पुर में मालवा क्षेत्र के कैंसर मरीजों के लिए एक शोध केंद्र स्थापित किया जाए। सरकार को कैंसर के मरीजों की पहचान कर उनका निःशुल्क इलाज कराना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले निर्धन लोग इलाज पर महँगा खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा क्षेत्र की गरीब, दीनहीन अनुसूचित जाति की आबादी को इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से क्षेत्र के गरीब लोगों की सहायता के लिए आगे आने की अपील करता हूँ। सरकार को मालवा क्षेत्र के रोगियों के लिए एक शोध और उपचार केंद्र स्थापित करना चाहिए। धन्यवाद।

* मूलतः पंजाबी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के विषय को उठाने की अनुमति दी है। मैं अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 गुजरता है। मेरे क्षेत्र में वह राजकोट और सौराष्ट्र की ओर गुजरता है। वहां विशाला सर्कल से जुहापुरा- सरखेज तक जाने के लिए बहुत यातायात होता है। इस कारण वहां कई जानलेवा एक्सीडैंट होते हैं।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस राजमार्ग पर विशाला सर्कल से जुहापुरा-सरखेज और उसके आगे आउटर रिंग रोड, सरदार वल्लभभाई पटेल रिंग रोड तक एक बड़े फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए। ...(व्यवधान) इससे वहां यातायात में सुविधा रहेगी तथा जो जानलेवा घटनाएं अकस्मात होती हैं, उनका हम निवारण कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि आज की डेट में झारखंड बनाना रिपब्लिक हो गया है। एक तरफ बिहार के पटना में जब ब्लास्ट होता है, तो उसके तार झारखंड से जुड़ते हुए नजर आते हैं। ...(व्यवधान) अभी जब बंगाल में बर्धमान का ब्लास्ट हुआ, एनआईए जो जांच कर रही है, उस जांच में पता चला है कि संथाल परगना के साहबगंज, पाकुड़ और जमशेदपुर जिलों के आतंकवादियों से तार मिले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, आज ये ब्लैक मनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो चिटफंड कम्पनियां हैं, शारदा जैसी कम्पनियां हैं, उनके टेरर लिंक बंगलादेश के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए ने जो जांच की है, उससे पूरा झारखंड प्रभावित है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि चिटफंड कम्पनियों में जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जो टेरर लिंक को बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर बिहार और बंगाल सरकार जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं और बंगलादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, जिसके कारण

झारखंड की आम जनता मर रही है, उस पर आविलंब कार्रवाई करते हुए इन सारे पालिटिशियन्स को जेल में डालना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री ए.टी. नाना पाटील और श्री शिवकुमार उदासि को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : अध्यक्ष महोदया, मैं किसान पुत्र होने के नाते यहां पूरे देश के किसानों की समस्या का प्रश्न उठा रहा हूं। हमारे देश में कॉटन का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। पूरे देश में कॉटन का जो उत्पादन होता है, उसमें से 33 परसेंट उत्पादन अकेला गुजरात ही करता है। गुजरात में सबसे ज्यादा मेरे डिस्ट्रिक्ट अमरेली में कॉटन उत्पादन का काम हो रहा है, लेकिन आज किसानों को कॉटन का पूरा भाव नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और कृषि मंत्री से आग्रह करूंगा कि किसानों को कॉटन का वाजिब भाव मिलना चाहिए और उसका हर एपीएमसी में स्टैंड खोलना चाहिए ताकि किसानों को अपने उत्पादन का पूरा भाव मिल सके, किसानों को सही मूल्य में फायदा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शिवकुमार उदासी (हावेरी): इस देश के किसानों की समस्या की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस देश में लगभग 12 करोड़ किसान रहते हैं। उन्हें अपनी उपज की उचित कीमत न मिलने के कारण गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। … (*व्यवधान*) हाल ही में, जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, हावेरी और गाडग का दौरा कर रहा था, तो मैंने पाया कि प्याज, मक्का और धान की कीमतें कम हो गई हैं। यहां तक कि कपास की कीमतें भी कम हो गई हैं। अतः, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और राज्य सरकारों को किसानों से सीधे कृषि उपज खरीदने का निर्देश दे।… (*व्यवधान*)

एक बार फिर, मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से हमारे किसानों की कृषि उपज के लिए वैज्ञानिक मूल्य निर्धारित करने और उचित कीमत सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री ए.टी. नाना पाटिल को श्री शिवकुमार उदासी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर): महोदया, भारत पर इबोला वाइरस का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को इस समस्या की गंभीरता के बारे में अन्दाज़ा है। …

(*व्यवधान*) सबको लगता है कि यह हमारे देश को प्रभावित नहीं करेगा। हमने नाइजीरिया और अन्य मध्य अफ्रीकी देशों में इस वाइरस के कारण कई मौतें होती देखी हैं। हम इससे निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। यह मानव हानि के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी भारी संकट उत्पन्न करेगा। ... (*व्यवधान*) एक अकेला इबोला का मामला किसी देश के स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को गिरा सकता है।

मैं केन्द्रीय सरकार को इस आने वाले संकट के बारे में आगाह करना चाहता हूँ और उनसे यह अनुरोध करता हूँ कि वह जनता को चेतावनी जारी करे। सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर विमान पत्तन के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों पर, ताकि इबोला वायरस भारत में प्रवेश न कर सके और हम सुरक्षित रह सकें। ... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं आज यहां उस भीषण चक्रवात की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसने ओडिशा के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। कम से कम तीन जिले, जो समुद्र तट से 100 किलोमीटर दूर हैं, 'हुदहुद' तूफान से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इसमें कई जानमाल का नुकसान हुआ और बड़ी संख्या में घर तबाह हो गए, विशेष रूप से मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर और रायगड़ा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में हुदहुद ने भारी तबाही मचाई है। ...(*व्यवधान*)

मैं सरकार का ध्यान इन प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिस केंद्रीय दल ने उस क्षेत्र का दौरा किया था और वह अब वापस आ चुका है। मुझे लगता है कि कृषि मंत्रालय को ओडिशा को पर्याप्त सहायता प्रदान करना चाहिए... (*व्यवधान*)

एन.डी.आर.एफ. ने देशवासियों के हित में सराहनीय कार्य किया है। ओडिशा सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को भी प्रभावित लोगों की मदद करने में समर्थन दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्रीय सरकार ओडिशा के आदिवासी लोगों की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पूरे देश में सीजीएचएस की सुविधा प्रदान की जाती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार उनके लिए और भी

आधिक संवेदनशील है। मैं आपके माध्यम से पूर्व की विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं जबलपुर क्षेत्र से आता हूं, यहां सीजीएचएस कार्डधारियों की संख्या लगभग 80,000 है जबकि डिस्पेंसरी कुल चार हैं। हमारे पड़ोस में नागपुर में 87,000 लाभार्थी हैं और 15 डिस्पेंसरियां हैं। मेरा निवेदन है कि अनुपात के अंतर को ठीक किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में सीजीएचएस की चारों डिस्पेसरियों में ऑन लाइन सुविधा चालू है इसलिए लाभार्थियों के लिए किसी भी एक डिस्पेंसरी से दवा लेने की बाध्यता समाप्त करके अन्य किसी भी डिस्पेंसरी से इलाज और दवा लेने की सुविधा प्रारंभ करनी चाहिए। कार्डधारियों की संख्या के अनुपात में डॉक्टर और फामारसिस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि मरीजों को ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। डिस्पेंसरियों के खुलने का समय साढ़े आठ से तीन बजे तक है। मेरा अनुरोध है कि डिस्पेंसरी 24 घंटे खुलनी चाहिए ताकि मरीजों के इमरजेंसी एडमिशन के लिए परेशान न होना पड़े और केंद्र सरकार इनको स्वास्थ्य की सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि इन विसंगतियों को दूर करने का काम जरूर होगा।

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): माननीय अध्यक्ष महोदया, असम में बहुत गंभीर स्थिति बनी हुईहै। अब असम में कट्टरपंथी संगठन और जेहादी संगठन अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। बर्धमान विस्फोट के बाद, हमने देखा कि एन.आई.ए. ने ग्रेनेड और बमों के साथ असम में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे और देश की अखंडता और सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): महोदया, यह मुद्दा हैदराबाद के ग्रीनफील्ड विमान पत्तन के संबंध में है। हाल ही में, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री अशोक गजपति राजू, जो तेलुगू देशम पार्टी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी हैं, ने हैदराबाद के घरेलू विमानपत्तन का नाम एन.टी. रामाराव के नाम पर रख दिया। श्री राजीव गांधी के देहान्त के बाद इस विमान पत्तन का नाम उनके नाम पर रखा गया था। देश के हर विमान पत्तन का एक ही नाम होता है।

सरकार ने अनावश्यक रूप से यह निर्णय लिया है कि घरेलू टर्मिनल का नाम एन.टी. रामाराव घरेलू टर्मिनल रखा जाए। इस पर राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं ली गई। हैदराबाद अब तेलंगाना राज्य का हिस्सा है इसलिए ऐसे मामलों में राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी।

इसके अलावा, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के विमान पत्तन का नाम एन.टी. रामा राव के नाम पर रखा जा सकता है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अनावश्यक रूप से माननीय चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार को प्रभावित कर रहे हैं और तेलंगाना राज्य की राजधानी में विवाद खड़ा कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि एन.टी. रामाराव के नाम पर रखे घरेलू टर्मिनल के नाम को वापस लिया जाए।

श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनकपल्ली): संयुक्त राज्य आंध्र प्रदेश में बेगमपेट में विमान पत्तन का नाम एन.टी. रामा राव था लेकिन जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने एन.टी. रामा राव का नाम हटा दिया। वे नेशनल फ्रंट सरकार के अध्यक्ष थे। वे एक राष्ट्रीय नेता और पूरे तेलुगू समाज का गौरव हैं। वे किसी एक स्थान से संबंधित नहीं है। वर्तमान सरकार ने उस गलती को सुधार दिया है। हम इस भाव की सराहना करते हैं। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इस मामले में *यथास्थिति* बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान) हिमाचल प्रदेश में बंदरों की समस्या बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है। ...(व्यवधान) जहाँ एक ओर पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में बंदरों की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गयी है। ...(व्यवधान) आज किसान अपनी खेती-बाड़ी छोड़ने पर मज़बूर हो गये हैं। ...(व्यवधान) कई कारणों से उनसे मुक्ति नहीं पायी जा सकती है। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर थी, तो प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किये। ...(व्यवधान) वहाँ पर उनके लिए नसबंदी केन्द्र भी खोले गये। उनको पकड़ने के लिए राशि भी दी गयी। ...(व्यवधान) लेकिन

उसके बावजूद इस समस्या से निज़ात नहीं मिल पायी है। ...(व्यवधान) मैंने कई बार व्यक्तिगत तौर पर केन्द्र सरकार को लिखा है कि कानून में संशोधन करके वहाँ के किसानों को बंदरों से मुक्ति दिलायी जाए। ...(व्यवधान) जब वहाँ पर्यटक जाते हैं, तो सड़कों के किनारे उनके खाने के लिए ब्रेड फेंक देते हैं। ...(व्यवधान) बंदर जंगलों से निकलकर सड़कों और खेतों के क्षेत्रों में आ गये हैं। ...(व्यवधान) गांवों में महिलाएँ अपनी रसोई में भी नहीं जा सकती हैं। ...(व्यवधान) वे रसोई के अंदर आकर वहाँ से रोटी उठाकर चले जाते हैं। बच्चों के कपड़े फाड़ देते हैं। ...(व्यवधान) बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। यदि पूरे हिमाचल प्रदेश में बंदरों का आतंक फैला है, तो इसके लिए केन्द्र सरकार के कानूनों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उसमें संशोधन करें और बंदरों के आतंक से हिमाचल प्रदेश को मुक्ति दिलाएँ। आपका बहुत-बहुत आभार। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 12.59 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर एक मिनट पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने काले धन की वापसी के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहले ही दे दी है।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री ने कहा है कि वे इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 2.02 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री राजीव सातव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 2.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा में नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा होगी।

श्री संजय काका पाटिल - उपस्थित नहीं।
श्री देवजी एम. पटेल - उपस्थित नहीं।
श्री लक्ष्मण गिलुवा - उपस्थित नहीं।
श्री सतीश चंद्र दुबे – उपस्थित नहीं।

डॉ. अंशुल वर्मा।

… (*व्यवधान*)

(1) देश में उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक मूल्य के स्टिकर लगाने की अनैतिक परंपरा पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): ऐसा देखा गया है कि देश भर में खुदरा विक्रेता/बड़े मॉल/कंपनी के शोरूम विक्रय वस्तुओं पर अधिक मूल्य के स्टिकर चिपका देते हैं। मेरा मानना है ऐसा करने से विक्रेता वस्तुओं का कितना भी दाम बढ़ा देते हैं, जिससे उत्पाद की वास्तविक एम.आर.पी. बढ़ जाती है। इसे देखते हुए, मेरा सरकार से निवेदन है कि बेईमान व्यापारियों द्वारा अपनायी जाने वाली इस अनैतिक परंपरा को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए जाएं। उपभोक्ताओं के हित में सरकार को इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अतः एम.आर.पी. केवल निर्माता द्वारा लगाई गई मूल प्रिंटेड स्टिकर पर ही अंकित होनी चाहिए।

(2) उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक महत्व के स्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में घोषित किए जाने तथा इस प्रयोजन के लिये उचित वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र हरदोई के आति पिछड़े, जीर्ण-शीर्ण दशा में धार्मिक स्थलों के संबंध में ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री जी से मांग करता हूं कि निम्नलिखित धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित कर जनपद हरदोई को विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराते हुए सौंदर्यीकरण कराने की कृपा करें :

1. नर्मदा ताल तीर्थ, शाहबाद, वि.ख. शाहबाद
2. विवियापुर आश्रम, ग्राम विवियापुर, वि.ख. भरखनी
3. दहरझील पक्षी विहार, साण्डी, वि.ख. साण्डी
4. श्रवण देवी मंदिर भक्त प्रह्लाद घाट, हरदोई नगर
5. धोबिया आश्रम, ग्राम धोबिया, जिला हरदोई।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्रीमती मीनाक्षी लेखी - उपस्थित नहीं।

(3) उत्तर पूर्व मुंबई में सभी परिवारों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

डॉ. किरिट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): यद्यपि मुंबई उत्तर-पूर्व क्षेत्र में लगभग पाँच लाख परिवार निवास करते हैं, फिर भी अब तक मात्र 83,000 घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन ही महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल), मुंबई द्वारा इन क्षेत्रों में प्रदान किए गए हैं। कुछ क्षेत्रों जैसे, विद्यानगर, भांडुप, कनजुर मार्ग में स्थिति बहुत खराब है। कई बार निवेदन करने और बैठकों के आयोजन के बावजूद, एमजीएल, ओएनजीसी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है।

इस दिशा में एक ठोस कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे अगले पाँच वर्षों में मुंबई उत्तर-पूर्व लोक सभा क्षेत्र सहित मुंबई के अन्य हिस्सों के प्रत्येक घर को पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। अन्य मंत्रालयों की तरह एक सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित करने का सुझाव भी प्राप्त हुआ है, जो इस कार्य योजना का समन्वय, समर्थन और निगरानी कर सके।

अतः मैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि वह इस मुद्दे पर आवश्यक ध्यान दे और मुंबई उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सभी परिवारों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन प्रदान करवाए।

(4) उत्तराखंड में लोगों को अपनी आजीविका कमाने में समर्थ बनाने तथा राज्य से लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवास रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदय, संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र देश के लिए सामरिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दशकों से समूचा पर्वतीय क्षेत्र पलायन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। आनियंत्रित पलायन से जहां एक ओर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को अप्रत्याशित क्षति हो रही है। पलायन का मूल कारण पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। मौसम परिवर्तन, मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव तथा समय-समय पर आने वाली भीषण प्राकृतिक आपदा ने क्षेत्र के लोगों की कमर तोड़ दी है। केदारनाथ की भयावह आपदा और हाल में कश्मीर में आई जल प्रलय इसका जीता-जागता प्रमाण है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हिमालय क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कौशल विकास कार्यक्रम चलाएं जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। पर्वतीय क्षेत्र में कृषि, बागवानी, कुटीर उद्योग पर आधारित रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं ताकि इस गंभीर समस्या से निजात मिल सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री चाँद नाथ - उपस्थित नहीं।

(5) झारखंड के रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छावनी क्षेत्र में सिविल नागरिकों की आवाजाही को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रांची (झारखंड) में रक्षा मंत्रालय के लिए हजारों एकड़ जमीन सुगनू, खटंगा, गाडी होटवार एवं नामकोम रॉची में ली गई है जहां पर मिलिट्री छावनी बना है। लोगों का रास्ता पहले से है उसमें बिना रोक टोक के चलते थे। अभी वर्षों से मिनिट्री के जवान गांव वालों को बराबर परेशान कर रहे हैं। कभी रास्ता बंद करते हैं यहां तक कि तालाब एवं मंदिर में भी जाने से रोकते हैं। इसकी वजह से रिश्तेदार एवं अन्य लोग शादी विवाह में नहीं जा पाते हैं। सुगनू ग्राम का आधा किलोमीटर कच्चा रास्ता है, नक्शे में भी है उस रास्ते को भी नहीं बनाने देते जिससे गांव वालों को भारी परेशानी हो रही है। अभी हाल में नामकोन छावनी में ग्रामीणों का रास्ता रोकने का प्रयास किया गया तो गांव वालों के विरोध करने पर रास्ता खोला गया जबकि अनेकों जगह पर राज्य में कई छावनियां हैं, कहीं इस तरह से परेशान नहीं किया जाता है। चारों तरफ तार का घेरा है, रास्ता अलग है इसके बावजूद गांव वालों को बराबर परेशान किया जाता है। पहले जब मैं पूर्व में सांसद था तो इस मामले को मैंने कई बार सदन में उठाया था एवं रक्षा मंत्रालय को पत्र भी लिखा था। परन्तु आज तक इस ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

अतः आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच आविलम्ब कराई जाए। ग्रामीण जनता की आवागमन में हो रही परेशानी का समाधान कराया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री एम.आई. शनवास - उपस्थित नहीं।

(6) श्रीलंका की जेलों में कैद तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): नवंबर 2011 में, तमिलनाडु के रामेश्वरम के पाँच निर्दोष मछुआरे नामतः इमर्सन, ऑगस्टिन, विल्सन, प्रसाद तथा लैंगलेट को मछली पकड़ते समय श्रीलंका की नौसेना ने मादक पदार्थों की तस्करी के झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री पुरात्चीथलाइवी अम्मा ने नवम्बर 2011 में इन मछुआरों की ओर से अधिवक्ता की नियुक्ति की और 2 लाख रुपये की राशि जारी की गई। इसके पश्चात, फरवरी 2013 में मुकदमे की गति तेज करने के लिए ₹3 लाख और जारी किए गए। राहत के रूप में प्रतिमाह ₹7500 प्रति परिवार की सहायता प्रदान की गई और वर्ष 2012 में ₹2 लाख प्रति परिवार की आर्थिक सहायता दी गई। इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री को कई पत्र भी भेजे गए। 30 अक्टूबर 2014 को, कोलंबो उच्च न्यायालय ने इन पाँच मछुआरों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस खबर से स्तब्ध हमारी माननीय मुख्यमंत्री पुरात्चीथलाइवी अम्मा ने तमिलनाडु सरकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की और ₹20 लाख की राशि मुकदमे के खर्च के लिए जारी की गई तथा इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से भी तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। हमारी नेता द्वारा किए गए निरंतर और युद्धस्तर के प्रयासों के फलस्वरूप, ये निर्दोष मछुआरे रिहा कर दिए गए। उनकी वापसी के उपरांत, ₹3 लाख प्रति परिवार की राहत राशि प्रदान की गई।

अतः मैं सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि वह तत्काल प्रभाव से श्रीलंका की जेलों में बंद 38 मछुआरों की रिहाई तथा तमिलनाडु के 78 जब्त नौकाओं को छुड़ाने की दिशा में आवश्यक

कदम उठाए। इसके साथ ही, कच्चातिवु द्वीप को, जो भारत का हिस्सा है, पुनः भारत में मिलाने की दिशा में कार्रवाई की जाए और श्रीलंका को यह स्पष्ट, दृढ़ और दो टूक संदेश दिया जाए कि भारतीय मछुआरों के विरुद्ध इस प्रकार की शत्रुतापूर्ण गतिविधियाँ अब और सहन नहीं की जाएंगी तथा इन्हें तुरंत रोका जाए।

(7) पारादीप क्षेत्र के युवाओं को पारादीप में भारतीय तेल निगम लिमिटेड में कुशल तथा अर्ध-कुशल कार्यों में उनके नियोजन को सुकर बनाने के लिये तकनीकी शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): सबसे पहले मैं ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरी परियोजना में पॉली-प्रोपाइलीन (पी.पी.) इकाई की आधारशिला रखने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे निश्चित रूप से राज्य की विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी और इस क्षेत्र को एक पेट्रोकेमिकल केन्द्र भी बनाया जा सकेगा।

हालाँकि, मैं बताना चाहूंगा कि आई.ओ.सी.एल. ने पारादीप में अपने रिफाइनरी डिवीजन की स्थापना के लिए लगभग 3500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है जिसके परिणामस्वरूप वहाँ के लोगों को उनके पैतृक निवास स्थान से विस्थापित होना पड़ा है। इसके साथ किसानों की कृषि भूमि का भी अधिग्रहण किया गया है और उसके लिए उन्हें मुआवजा भी प्रदान किया गया है। लेकिन, हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रत्येक भूमि-विस्थापित एवं विस्थापित परिवार के एक सदस्य को, यदि वह शैक्षिक रूप से पात्र हो, तो आई.ओ.सी.एल. के प्रतिष्ठान में रोजगार प्रदान किया जाना था। लेकिन आज तक भूमि विस्थापितों को और विस्थापित परिवारों के लिए पारादीप में स्थित आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरी डिवीजन की मूल परियोजना में इस आधार पर नौकरी नहीं दी गयी है, जैसा कि आई.ओ.सी.एल. प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है प्राधिकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि-विस्थापितों के शिक्षित युवा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा की पात्रता में खरे नहीं उतरते, जो कि प्रतिष्ठान की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यदि आई.ओ.सी.एल. प्राधिकरण द्वारा दिया गया कारण उचित है, तो स्थानीय लोगों, विशेष रूप से भूमि विस्थापितों और विस्थापित परिवारों की शिकायतों का समाधान कैसे किया जाएगा? इस संबंध में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि पारादीप में पॉली-प्रोपाइलीन (पी.पी.) इकाई का कामकाज शुरू होने से पहले, आई.ओ.सी.एल. प्राधिकरण को क्षेत्र के शिक्षित युवाओं, विशेष रूप से भूमि विस्थापितों और विस्थापित परिवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पहल करनी चाहिए, ताकि आगे चल कर उन्हें वहां नौकरी दी जा सके।

अतः, मैं माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे एक विशेष तंत्र विकसित करें ताकि पारादीप, ओडिशा क्षेत्र के शिक्षित युवाओं, विशेषकर भूमि-विस्थापितों एवं विस्थापित परिवारों के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा सके जिससे वे IOCL की इकाइयों में कुशल एवं अर्ध-कुशल श्रेणियों में रोजगार प्राप्त कर सकें। यह इस क्षेत्र की पिछड़ापन और बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए अत्यंत आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री संजय हरी भाऊ जाधव - उपस्थित नहीं।

(8) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार हरियाणा में अप्रयुक्त भूमि को मूल स्वामियों को लौटाए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना के लिए किसानों से अधिग्रहित की गई वह भूमि जो अधिग्रहण के पाँच वर्षों बाद तक भी अनुपयोगी पड़ी है, उसे किसानों को वापस लौटाया जाए। 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 101 के अनुसार "यदि अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित की गई कोई भूमि, अधिग्रहण के पश्चात पाँच वर्षों की अवधि तक उपयोग में नहीं ली जाती है, तो वह भूमि, मूल स्वामियों या उनके वैध उत्तराधिकारियों को, या फिर संबंधित सरकार के भूमि बैंक को, जिस प्रकार उपयुक्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, उसी प्रकार लौटाई जाएगी।"

इसलिए, मैं सरकार से इस अप्रयुक्त भूमि को वापस लौटाए जाने का आग्रह करता हूं जो कि हरियाणा सहित अन्य किसानों की लंबित मांग है। अन्यथा, यह उन किसानों के साथ अन्याय होगा जो अपनी भूमि को *'सार्वजनिक प्रयोजन'* के नाम पर बहुत ही कम दाम पर बेचने को मजबूर किए गए थे।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री कुमार हरिवंश सिंह - उपस्थित नहीं।

(9) केरल में मल्लाकारा सेंटर -मुलायम रोड पर एनएच-47 पर सब-वे का निर्माण का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री सी. एन. जयदेवन (त्रिस्सुर): वर्तमान में निर्माणाधीन नए मनुथी-वादकनचेरी छह लेन वाले एनएच-47 पर, मल्लाकारा सेंटर -मुलायम रोड पर कहीं भी सब-वे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह स्थान एक अत्यंत महत्वपूर्ण केन्द्र है जहाँ कई शैक्षणिक संस्थान एवं उपासना स्थलों का संकुल है, और प्रतिदिन हजारों छात्र एवं आम नागरिक इस मार्ग से आवागमन करते हैं। इस छह लेन राजमार्ग के निर्माण से यह क्षेत्र दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिससे लोगों के लिए मल्लाकारा सेंटर -मुलायम रोड पार करना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। जब यह मार्ग चार लेन का था, तब भी यहाँ सैकड़ों दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं और अनेक लोगों की मृत्यु हुई है। केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस बात की स्पष्ट रूप से सिफारिश की है कि मल्लाकारा सेंटर -मुलायम रोड पर एक अंडरपास का निर्माण किया जाए, ताकि आमजन सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें।

इसलिए, मैं सरकार से मल्लाकारा सेंटर-मुलायम रोड के इस छह-लेन वाले एनएच-47 पर एक सब-वे के निर्माण के प्रावधान करने का आग्रह करता हूँ।

(10) बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर (बिहार) बापू की कर्मभूमि है जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत की थी परंतु आति दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज स्वतंत्रता के 67 साल बाद भी यहां एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हम नहीं कर सके। हमारा संसदीय क्षेत्र नेपाल तथा उत्तर प्रदेश से लगता है जहां दलित तथा जनजातियों की जनसंख्या काफी मात्रा में है।

अत: संसद के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर (बिहार) में एक केन्द्रीय विद्यालय तथा एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति आविलंब करने की कृपा प्रदान करें।

(11) महाराष्ट्र के सांगली जिले में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

***श्री संजय काका पाटिल (सांगली):** भारत में सिंचाई एक गंभीर मुद्दा है। देश में सिंचाई की उचित व्यवस्था, समुचित योजना के अभाव और पूर्व की सरकारों के नीति निर्धारकों की उदासीनता के कारण अनेक मानवनिर्मित संकट उत्पन्न हुए, जिनकी वजह से समाज में असंतोष फैला। अतः यह हम सभी सांसदों का दायित्व बनता है कि हम सिंचाई से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें।

महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान समय की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। सांगली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में टेम्भू, टकरी-महैसाल, अराफल, जैसी वर्तमान सिंचाई परियोजनाएं पिछले 20-25 वर्षों से राज्य और केंद्र सरकारों की निष्क्रियता के कारण रुकी हुई हैं। सांगली जिले के किसानों को खाद्य उत्पादन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे में आवश्यक है कि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास शीघ्र किया जाए। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह सिंचाई के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पुनः गंभीरतापूर्वक विचार करे।

सांगली जिले में चल रहे सिंचाई संकट का समाधान निकालने के लिए नीतिनिर्माताओं को एक समग्र, व्यावहारिक और गहन दृष्टिकोण अपनाकर इन समस्याओं का यथाशीघ्र हल निकालना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र में कृषि और किसान दोनों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

(12) कर्नाटक के चामराजनगर जिले में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए जिला नि:शक्तता पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

*__श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर):__ मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र अर्थात चामराजनगर जिले (कर्नाटक राज्य) में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए जिला नि:शक्तता पुनर्वास केंद्र (डी.डी आर.सी.) की स्थापना की स्वीकृति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए जिला निशक्त पुनर्वास केंद्र के तहत, भारत में 107 जिले शामिल हैं, जिनमें से 4 केंद्र डी.डी.आर.सी. कर्नाटक राज्य में मैसूर, गडग, हावेरी और रायचूर में स्थापित किए जाने हैं। कर्नाटक सरकार प्रशासन हेतु ₹30 लाख की राशि उपलब्ध कराती है और एडीआईपी योजना के अंतर्गत उपकरणों और सहायक उपकरणों के लिए ₹50 लाख तक की राशि जुटाई जा सकती है।

"चामराजनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एक "आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र" है और डॉ. नंजुंदप्पा समिति की “क्षेत्रीय असंतुलन के निवारण” पर रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक है।और राज्य मानव संसाधन विकास सूचकांक में यह जिला 25वें स्थान पर है। इस जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 40 प्रतिशत है । चामराजनगर जिले में, लगभग 30,000 दिव्यांगजन हैं जिन्हें विभिन्न पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं केंद्र सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि चामराजनगर जिले (कर्नाटक) में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए जिला निशक्त पुनर्वास केंद्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नि:शक्त व्यक्तियों को विभिन्न पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा सकें।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया ।

(13) राजस्थान में सहकारी बैंकों के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी स्कीम के अंतर्गत मजदूरी वितरित किये जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

*__श्री चाँद नाथ (अलवर):__ राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाएं राज्य में मनरेगा श्रमिकों को बैंकों के माध्यम से भुगतान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन संस्थाओं द्वारा 34 लाख मनरेगा श्रमिकों को भुगतान का कार्य अब तक संतोषजनक हो रहा हैं। परंतु इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन हेतु होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन में हानि हो रही है जिससे इनकी लाभप्रदत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। अतः यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन में हो रहे खर्चों की पूर्ति स्वरूप अनुमानित रूप से राशि उपलब्ध करवाई जाए। राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क काफी मजबूत है तथा उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सभी सहकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि आदानों पर अनुदान का वितरण, छोटे तथा सीमांत कृषकों में लगभग 80 प्रतिशत को फसली ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल है। मनरेगा आधिनियम में प्रावधान होने के कारण मनरेगा राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखी जा रही है किंतु अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं की भूमिका को देखते हुए मनरेगा राशि राज्य के सहकारी बैंक में रखी जानी चाहिए।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं सदन में व्यवस्था लाना चाहता हूं। इसलिए, मैं आपसे अपनी सीटों पर जाने का अनुरोध कर रहा हूँ।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं। आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप पहले ही इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं कि आप किन कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: लेकिन अब आप कोई और मुद्दा उठा रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया मेरी बात सुनें।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप क्या चाहते हैं? आप बताइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया मेरी बात सुनें।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल पहले ही समाप्त हो चुका है।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं सदस्यों की भावनाओं को समझ सकता हूं। मैं सदस्यों की भावनाओं को भी सम्मान दे रहा हूँ।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहना चाहते हैं। कृपया उन्हें सुनें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से सभा का कार्य ऐसे ही चल रहा है जबकि सदस्य सदन के बीचोबीच खड़े हैं। जब व्यवस्थित नहीं है तब भी, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बाकी सदस्यों को अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने और कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे रहे हैं। मुझे इसके लिए खेद है।

सुबह ही मैंने माननीय अध्यक्ष के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि प्रश्न काल को स्थगित किया जाए और स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाए ताकि हम इस मुद्दे पर अच्छी तरह से चर्चा कर सकें और फिर सरकार जो भी जवाब देना चाहती है, वह दें। अगर वे आज जवाब नहीं देना चाहते हैं तो वे कल जवाब दे सकते हैं। इसलिए, मैंने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे नियम के अनुसार प्रश्न काल को स्थगित करें और स्थगन प्रस्ताव लें। मैंने उस चर्चा को शुरू करने के लिए ही माननीय अध्यक्ष को प्रश्नकाल के निलंबन का पत्र दिया था। यह कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2011 में, श्री अडवाणी और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने यहां इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। आज हम इस मुद्दे को उजागर करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि 100 दिनों के भीतर वे काला धन वापस लाएंगे। उन्होंने अपने घोषणापत्र और सार्वजानिक बयानों भी ऐसा कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर यू.पी.ए.- 2 सरकार को भी बदनाम किया है। वे घर-घर, शहर-शहर, क़स्बा-क़स्बा और गांव-गांव गए और इसके बारे में प्रचार-प्रसार किया। इसलिए उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इसलिए हम आज काले धन की वापसी पर चर्चा करना चाहते हैं। … (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा किया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सरकार के रूप में, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वे सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और यही उनकी समस्या है। वे वाद-विवाद नहीं चाहते हैं, वे चर्चा नहीं चाहते हैं और वे इस *हंगामा* से अपनी सभी विफलताओं और अपराधों को छिपाना चाहते हैं। हम किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार हैं। चलिए बहस करते हैं। हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी] हमारे जमाने में कुछ नहीं हुआ, उनके जमाने में हुआ, यूपीए के टाइम में काला धन बाहर गया, समाधान उन्हें देना पड़ेगा, हमें क्या संकोच है, हम बहस करने के लिए तैयार हैं, हमने सुबह भी कहा, दोपहर में भी कह रहा हूं, चेयर कभी भी डिसाइड करे, हम बहस के लिए तैयार हैं। मेरी विपक्ष से प्रार्थना है कि आप कृपया सदन को चलने दीजिए। ... (*व्यवधान*)

[अनुवाद] सभा की कार्यवाही चलने दे और नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा होने दें। देश के बच्चे देख रहे हैं कि संसद कैसे काम कर करती है। इन्हें यह समझना चाहिए और इन्हें संसद की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। प्रधानमंत्री सार्क सम्मेलन के लिए नेपाल गए हैं। वह देश हित में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सदस्यों को पता होना चाहिए कि वह विदेश में हैं। लेकिन फिर भी ये लोग उनका नाम ले रहे हैं और अनावश्यक रूप से उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। ये लोग कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग का रह हैं जो संसद के लिए गरिमापूर्ण नहीं हैं।

खड़गे जी एक वरिष्ठ नेता हैं। यहां कुछ नियम हैं, विनियम और पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा स्थापित की गई परंपराएँ भी हैं। मैं किसी समाधान तक पहुंचने के लिए चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आज हम पहले इस विधेयक पर विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद काले धन पर भी चर्चा ही चर्चा करेंगे। यही मेरी विपक्षी दलों से अपील है। ... (*व्यवधान*)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज एक नोटिस भी दिया है जिसमें भारतीयों के विदेश में जमा काले धन और उस काले धन को भारत वापस लाने के लिए सरकार द्वारा

उठाए गए कदमों पर चर्चा की मांग की गई है। यह प्रश्नकाल को स्थगित करने का नोटिस था। इसके पीछे मंशा यह थी की माननीय अध्यक्ष स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और सरकार उस पर जवाब देगी। ... (*व्यवधान*) अब श्री वेंकैया नायडू *जी* खड़े हैं और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने उसी समय खड़े होकर विपक्षी दलों के इस प्रस्ताव पर सहमति क्यों नहीं जताई कि प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया जाए और चर्चा शुरू की जाए?. ... (*व्यवधान*) हमें लगता है कि चर्चा की अनुमति नहीं देकर, यह सरकार देश के साथ विश्वासघात कर रही है।[हिन्दी] बहस बहुत हो चुकी, काला धन वापस चाहिए। ...(व्यवधान) काला धन वापस चाहिए। ...(व्यवधान) सरकार बताए कि काला धन कैसे वापस आएगा? ...(व्यवधान) [अनुवाद] वह पैसा वापस कैसे आएगा? हम सरकार से जानना चाहते हैं ... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदय, सभा शुरू होने से पहले मैंने अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की थी। ... (*व्यवधान*) हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ नियम होते हैं। माननीय अध्यक्ष उन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। ... (*व्यवधान*) सदन उन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। ... (*व्यवधान*) वे इस तरह से चर्चा नहीं कर सकते। ... (*व्यवधान*) वे इस तरह पूरे दिन की कार्यवाही को बाधित नहीं कर सकते। हमें पूरा देश देख रहा है। वे सदस्यों का ऐसा व्यवहार देखकर स्तब्ध हैं। ... (*व्यवधान*) मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपनी सीट पर बैठें, सार्थक चर्चा करें और विधेयक पर विचार-विमर्श करें। फिर हम काले धन पर भी चर्चा कर सकते हैं। काला धन पिछले 50 वर्षों में जमा किया गया था इन 180 दिनों में नहीं। इन्हें यह समझना चाहिए कि किसके काल में काला धन बाहर रखा गया था। इन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। उन्हें आत्म निरीक्षण करना चाहिए और फिर आगे आना चाहिए। ... (*व्यवधान*) [हिन्दी] हमारे जमाने में कुछ नहीं हुआ। ...(व्यवधान) हमने कुछ नहीं किया। ...(व्यवधान) हमारे जमाने में कोई काला धन बाहर गया नहीं। ...(व्यवधान) उनके जमाने में गया गया है। ...(व्यवधान) ये लोग उस समय मंत्री थे। ...(व्यवधान) ये लोग उस समय जिम्मेदारी निभा रहे थे। ...(व्यवधान) इसलिए अब उनको जवाब देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) हमको कोई संकोच नहीं है। ...(व्यवधान) आज शाम को करें, कल सुबह करें, हम तैयार हैं। ...(व्यवधान) [अनुवाद] शाम या कल सुबह, हम किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: पहले मेरी बात सुनें। खड़गे *जी* ने अपनी बात रखी।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री जी ने जवाब दिया। अपराह्न 4 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। हम वहाँ निर्णय ले सकते हैं। उस समय हम यह मुद्दा उठाएंगे।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: इसलिए, हम सभा की कार्यवाही जारी रखेंगे।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 2.27 बजे</u>

दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014

माननीय उपाध्यक्ष: अब, अनुपूरक कार्यावलि। हम मद सं. 12क ले रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य , दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक पर विचार करने से पहले, हमें इसकी चर्चा के लिए समय आबंटित करना होगा। यदि सभा सहमत है, तो हम दो घंटे आबंटित कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ। … (*व्यवधान*)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब, श्री अर्जुन राम मेघवाल।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, इस बिल के दो ही प्रावधान हैं। ...(व्यवधान) जो सन् 1946 का एक्ट था, उसका सैक्शन 4(ए) और क्लॉज़ बी ऑफ सब-सैक्शन (1) में सरकार अमेंडमेंट करने जा रही है। ...(व्यवधान) उसका उद्देश्य यह है कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है और यह देश के इंट्रैस्ट में है। ...(व्यवधान) मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह कांग्रेस के भी इंट्रैस्ट में है। ...(व्यवधान) कांग्रेस के साथियों को भी इस चर्चा में भाग लेना चाहिए और उसमें सुनना चाहिए। ...(व्यवधान) क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यह अमेंडमेंट किया गया था कि सीबीआई के डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए जो पैनल बनेगा, उसमें लीडर ऑफ अपोज़िशन शब्द इन्होंने डाल दिया ...(व्यवधान) लेकिन इनको पता नहीं था कि सन् 2014 में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कांग्रेस लीडर ऑफ अपोज़िशन बनने के लायक भी नहीं रहेगी। ...(व्यवधान) तब जा कर इनको समझ में आया कि यह क्या हुआ। ...(व्यवधान) यह जो टैक्निकल दिक्कत आई है, हम तो उसको दूर करने के लिए यह बिल ले कर आए हैं। ...(व्यवधान) इस बिल में लीडर ऑफ अपोज़िशन शब्द की जगह सिंगल लारजेस्ट आपोज़िशन पार्टी शब्द जोड़ रहे हैं। यह बिल कांग्रेस के हित में है। यह बिल देश के हित में है। दूसरा जो अमेंडमेंट है, वह यह है कि जो कमेटी बनी हुई है, उसमें कई मैंबर उस समय एब्सेंट रह जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, यह एक पूरक कार्यसूची है। अगर वे इसे जल्दी में प्रस्तुत करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम चयन समिति के सदस्य के रूप में सबसे बड़ी पार्टी को मान्यता दे रहे हैं, तो हम यहां उस पद के लिए अनुमति मांगने नहीं आए हैं। हम यहां लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए हैं। … (*व्यवधान*) इसलिए इस तरह के विधेयकों को जल्दबाजी में पेश नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि वे कल या परसों इस पर चर्चा करेगी। … (*व्यवधान*) इस विधेयक या अन्य विधेयकों

को पारित करने में हम निश्चित रूप से उनका सहयोग करेंगे। मंत्री जी ने विधेयक पुरःस्थापित किया है और यह पर्याप्त है। अगर वे इसे ऐसे ही जल्दी में पारित करवाना चाहेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्षः वे इसे जल्दबाजी में पारित नहीं कर रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: केवल चर्चा हो रही है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, अभी खड़गे साहब बता रहे थे, अगर ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स पढ़ लेते तो इनको स्थिति क्लियर हो सकती थी।...(व्यवधान) सैक्शन 4 (ए) में जो दिल्ली पुलिस इस्टेबिलिशमेंट 1946 का हवाला दिया हुआ है, उसमें लोकपाल और लोकायुक्त का बिल भी इसी हाउस में पास हुआ था। वह इन्होंने ही पास किया था, उस समय यूपीए सेकेंड थी। उसमें भी इन्होंने लीडर ऑफ अपोजीशन शब्द डाल दिया था।...(व्यवधान) लोकायुक्त और लोकपाल के आधिनियम में आगे प्रक्रिया में हर्डल आ रही है, हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और सीबीआई के डॉयरेक्टर के एप्वाइंटमेंट में जो हर्डल आ रही है, हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) हम देश हित में काम कर रहे हैं। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश हित में काम करने का जो संकल्प लिया है, हम उसे पूरा करने का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान)

महोदय, जो इसमें दूसरे अमेंडमेंट की बात है, उसमें सिलेक्शन का एक पैनल है।...(व्यवधान) उस सिलेक्शन पैनल में कई बार कोई मेंबर नहीं आता है।...(व्यवधान) केवल उसी रीजन के कारण वह सिलेक्शन इनवैलिड नहीं हो, इसका प्रयास इस बिल में हमने किया है।...(व्यवधान) यह जो सैक्शन 4 (ए) है, इसमें अगर आप बी का पार्ट 2 देखते हैं:

[अनुवाद] "एक निदेशक की नियुक्ति केवल किसी रिक्ति या समिति में सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगी।"

[हिन्दी]

ये जो दोनों प्रावधान किए गए हैं, ये दोनों ही प्रावधान देश हित में हैं। आगामी दो दिसंबर को सीबीआई डॉयरेक्टर का पद खाली होने वाला है, अर्जेंसी है, इसलिए हम इस बिल को लाए हैं। हम इस बिल को कोई जल्दबाजी में नहीं लाए हैं, सोच-समझकर लाये हैं, डिसकस करके लाए हैं और यह बिल देश हित में है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अनुभवी सांसदों में से एक श्री खड़गे जी ने जो कहा, वह सच है। विधेयक के बारे में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस यही सुझाव दे रहा हूँ कि हम विधेयक पर गहन चर्चा करेंगे और हम इसे कल ही पारित करेंगे जैसा कि उनके द्वारा सुझाया गया है। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। ... (*व्यवधान*) विधेयक को पुरःस्थापित करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है और वे भी सहयोग करके विधेयक को पारित करने को तैयार हैं। मेरा सुझाव यह है कि संसद में लोगों के अलग-अलग वर्ग हैं, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने दें। मैं आज मतदान के लिए दबाव नहीं डालूंगा। हम कल इस पर मत विभाजन लेंगे। कल भी यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इस पर कुछ और समय चर्चा करेंगे और फिर इसे पारित करेंगे।

एक बार विधेयक पुरःस्थापित होने और उसपर चर्चा शुरू होने के बाद, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। ... (*व्यवधान*) पूरा देश देख रहा है कि 543 सदस्यों में से कितने सदस्य सदन में बाधा डाल रहे हैं। .... (*व्यवधान*) कृपया लोकतंत्र की भावना को समझने का प्रयास करें। लोकतंत्र बहुमत और अल्पमत के सहयोग से चलता है। इसलिए, मैं सभा से अपील करता हूँ कि चर्चा को आगे बढ़ने दें। हम कल विधेयक को पारित करेंगे। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्षः यह कल पारित हो जाएगा।

... (*व्यवधान*)

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है। हमारी तेलुगु देशम पार्टी, बिना किसी बदलाव के इस विधेयक का समर्थन करती है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यह विधेयक कल ही पारित होगा।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कल चर्चा होने दीजिए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: उन्होंने यह स्वीकार किया है और कहा है कि यह विधेयक आज नहीं बल्कि कल पारित होगा। जो सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, वे आज इस पर बोल सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री थोटा नरसिम्हम: यह विधेयक इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान सी.बी.आई. निदेशक 2 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हमें एक नया निदेशक की नियुक्ति करनी है। वर्तमान में सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है। अतः हमें मूल अधिनियम में यह संशोधन करना आवश्यक है, जिससे सरकार को एक नया सी.बी.आई. निदेशक नियुक्त करने में मदद मिलेगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्षः वे पहले ही कह चुके हैं कि यह विधेयक आज पारित नहीं होगा और इसे कल पारित किया जाएगा। हम अन्य सदस्यों को कल भी बोलने की अनुमति देंगे। हम आज इस विधेयक को पारित नहीं करने वाले हैं। आज केवल वही बोलेंगे जो इस विषय पर बोलने के इच्छुक हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : अब, श्री तथागत सत्पथी।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री खड़गे जी, आप क्या चाहते हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : श्री वेंकैया नायडु जी ने कहा है कि यह विधेयक कल पारित होगा। इसलिए, हम इस विधेयक पर आज नहीं बल्कि कल चर्चा कर सकते हैं। महोदय, हम कल इस विधेयक को ले सकते हैं। यदि आप आग्रह करने वाले हैं, तो हम इस में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसलिए, अब हम सदन से बाहर चले जाते हैं। … (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 2.37 बजे</u>

इस समय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री सुदीप बन्दोपाध्याय और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल) : माननीय उपाध्यक्ष मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मुझे आश्चर्य है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के वक्ताओं ने इस विधेयक के महत्व को समझे बिना इसे पारित करने की कोशिश की है, जबकि इसमें कुल मिलाकर केवल सात से आठ पंक्तियाँ हैं। यह बेहद साधारण सा लगता है। ऐसा लगता है कि मानो यह विधेयक बस यूं ही पारित कर देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक जैसे लोग साथ चलते हैं। इसलिए, चाहे वह कांग्रेस हो या भा.जा.पा., पिछले चार लोक सभाओं में, मैंने इनके चरित्र या व्यवहार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा। जब वे विपक्ष में होते हैं, तो वे न्याय के लिए चीखते-चिल्लाते हैं और जब सरकार में आते हैं तो उतने ही बड़े दबंग बन जाते हैं।

महोदय, सी.बी.आई. निदेशक का पद दांव पर है और इसके बारे में पूरा देश जानता है। असम उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका के माध्यम से हमें पता चला कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन ही अस्वाभाविक रहा है और उसी वजह से आज हम यहां इस संस्था के निदेशक की नियुक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया यह थी कि निदेशक की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी थी जिसमें तीन सदस्य शामिल होते यानि विपक्ष के नेता (अब एकल सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को कहा जा रहा है), प्रधानमंत्री और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आज, कोई भी दल ऐसा नहीं है जो स्वयं को मुख्य विपक्षी दल कहने कि स्थिति मे हो। इसलिए सरकार जैसा भी संभव हो रहा है, वैसा काम कर रही है। इसमें सबसे जोखिमभरा हिस्सा धारा (2) में है, जिसमें लिखा है: "किसी सदस्य की अनुपस्थिति या समिति में रिक्ति के कारण निदेशक की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।" इसका मतलब है कि हम हमेशा एक तात्कालिक प्रतिक्रिया वाली प्रवृत्ति के साथ कार्य कर रहे हैं। इस सभा में आज या कल यह विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन हमें दस साल आगे की भी सोचना चाहिए। दस साल बाद जब कोई दूसरी सरकार सत्ता में होगी और अन्य लोग मंत्री होंगे, तो वे यह कह सकते हैं कि समिति के अन्य सदस्य, कभी एक या कभी दोनों ही, उपस्थित नहीं थे, इसलिए वे अकेले ही निदेशक का चयन कर सकते हैं। इससे अत्यंत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

महोदय, हमें संशोधन करने के लिए कोई समय नहीं दिया गया है। मैं सुझाव दूंगा कि हमें संशोधन करने के लिए समय आबंटित किया जाना चाहिए; और इस पर गहराई से चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि आज

सीबीआई एक ऐसा संगठन है जिसका उपयोग सत्ता में रहने के लिए किया जा रहा है। हमने देखा था कि यू.पी.ए. ने इस संगठन का किस प्रकार दुरुपयोग किया था; ऐसा हमने स्वयं अपने राज्य में देखा है; और हम वर्तमान में भी ऐसा देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों के हमारे सहयोगी चिंतित क्यों हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीबीआई का उपयोग राजनीतिक विरोधियों से प्रतिशोध लेने के साधन के रूप में किया जा रहा है।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। निठारी में एक ऐसी घटना हुई, जिसने पूरे देश को हैरान और स्तब्ध कर दिया था। छोटे बच्चों को दो लोगों के एक आलीशान घर में ले जाया गया। एक पंढ़ेर था और दूसरा कोली। … (*व्यवधान*) हाँ, कोली उनका नौकर था। हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ किस तरह की क्रूरता की गई, उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार कैसे इस्तेमाल किया गया, उन्हें बेरहमी से मारा गया और उनके अंगों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। चारों ओर खून ही खून फैला था। सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद थे। लेकिन दुर्भाग्य से, सीबीआई, जो जांच एजेंसी थी, उसने उस धनी मालिक को छोड़ दिया और सारे अपराधों का दोष उस गरीब नौकर पर मढ़ दिया। वह बेचारा आज शायद फाँसी का इंतजार कर रहा है।

तो हमें यह बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सीबीआई कोई दिव्य संगठन नहीं है। हाल ही में हमने सीबीआई के निवर्तमान निदेशक के कारनामे देखे हैं, पूरा देश देख चुका है कि किस तरह वे दिन में सात-आठ बार लोगों से मिलते थे, किस तरह वे देर रात तक अपने घर पर उन लोगों से मिलते थे जिनके खिलाफ उनकी ही एजेंसी जांच कर रही थी।दिलचस्प बात यह है कि कोलगेट घोटाले के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के अंत में यह कहा था कि वे अपना पूरा निर्णय सुरक्षित रखेंगे क्योंकि यदि वे पूरी टिप्पणी कर दें तो इससे देश की प्रमुख जांच एजेंसी की साख को नुकसान पहुँच सकता है। मैं उनके शब्दों को बिल्कुल शब्दशः उद्धृत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वह नोट नहीं है, लेकिन उनका आशय यही था।

तो, महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही सीबीआई पर संदेह व्यक्त किया है। इसलिए, देश का एक सामान्य नागरिक भी यह मान सकता है कि सीबीआई में कार्यरत अधिकारी शायद अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के तहत काम कर रहे हैं और उत्तर ब्लॉक या दक्षिण ब्लॉक में बैठे किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि उनके करियर में लाभ मिल सके। और इन लाभों को पाने के लिए वे जो चाहे कर

सकते हैं... यही मानसिकता सीबीआई में काम कर रही है। इस मानसिकता का बदलने के लिए यह आवश्यक है कि एक समिति अवश्य हो, जिसमें सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को भी इसका सदस्य बनाया जाए। हम इसका समर्थन करते हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन हम, बीजू जनता दल की ओर से, यह दृढ़ता से रिकॉर्ड पर दर्ज कराना चाहते हैं कि सीबीआई एक अत्यधिक भ्रष्ट संगठन है। इसके इरादे संदिग्ध हैं। इसके अधिकारी आमतौर पर बहुत भ्रष्ट होते हैं। इसलिए, हम इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति या रिक्ति के कारण इस विधेयक को पारित किया जाए। इन दो शब्दों — 'रिक्ति या अनुपस्थिति' — के आधार पर सीबीआई निदेशक के पद पर नामांकन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षः आपने एक टिपण्णी की है जिसका उपयोग इस तरह नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: इसे अधिकारी के खिलाफ इसकाउपयोग करना सही नहीं है।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: तथागतजी, कृपया समझने की कोशिश करें। पूरे संगठन पर इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने शब्दों को संशोधित करें।

श्री तथागत सत्पथी : यह मेरी राय नहीं है। मैं कोई नहीं हूं।

श्री एम. वेंकैया नायडू: जब यह रिकॉर्ड में जाएगा, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे पूरे संगठन की निंदा की गई हो। हाँ, आप जो कह रहे हैं, उसमें शंकाएँ हैं; आलोचनाएँ भी हुई हैं; और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी टिप्पणियाँ की गई हैं। इसलिए, जब हम नया कानून बना रहे हैं या उसमें सुधार करने कि कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे यथासंभव त्रुटिहीन बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारा प्रयास है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज और यदि संभव हो तो कल भी इस पर चर्चा हो ताकि सदन के विभिन्न वर्गों से सर्वश्रेष्ठ सुझाव मिल सकें और फिर हम आगे बढ़ सकें।... (*व्यवधान*) हमें कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि इसकी तात्कालिकता है क्योंकि हमें 2 दिसंबर से पहले निदेशक के पद को भरना है। आप एक संगठन को, वह भी ऐसा संगठन जो देश के कई संवेदनशील मामलों की जांच कर रहा है और जिनमें से कुछ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निगरानी में हैं, ठप नहीं कर सकते। यही इसकी पृष्ठभूमि है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें। मैं जल्दबाज़ी नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी यह कहा है।

मुझे नहीं पता कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता ने इसे सकारात्मक रूप में क्यों नहीं लिया। काश वे यहां उपस्थित होते। वे अपने मूल्यवान सुझाव दे सकते थे। मुझे उम्मीद है कि वे कल सुबह सुझाव देंगे। यह सवाल नहीं है कि हम उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़े दल को शामिल किया जाए। आज उनका दल सबसे बड़ा दल है, कल कोई और दल या आपका दल भी सबसे बड़ा दल बन सकता है और उस आप समिति का सदस्य बन सकते हैं। लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहता। देश की जनता बेहतर न्यायाधीश है। वे निर्णय लेंगे। कभी हम विपक्ष में थे, आज वे विपक्ष में हैं। यही स्थिति है। हमें इसे समझना चाहिए। मैं आपके समर्थन के लिए आभारी हूँ।

श्री तथागत सत्पथी : 2 दिसंबर की तारीख कोई पद प्राप्त करने कि तारीख नहीं है। आप यह पिछले सत्र में भी जानते थे। यह तब भी किया जा सकता था। इसलिए, इसे अभी जल्दबाज़ी में पारित कराना थोड़ा अनुचित प्रतीत होता है। लेकिन कृपया संशोधन की अनुमति दें। मेरी मांग है कि कृपया संशोधन की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : आपको संशोधन प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है।

श्री तथागत सत्पथी: इसके लिये समय नहीं है। अब मैं उन्हें कैसे प्रस्तुत कर सकता हूं?

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): हां, हम इस विधेयक की तात्कालिकता को समझते हैं। यह एक तथ्य है कि सी.बी.आई. निदेशक अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और हमें उनके स्थान पर एक नया सी.बी.आई. निदेशक नियुक्त करना होगा।

इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है कि, जैसा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन किया गया और विपक्ष के नेता को उस समिति का सदस्य बनाया गया जो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करती है। लेकिन इस सदन में, सोलहवीं लोक सभा में, हमारे पास विपक्ष का नेता नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में हमने देखा है कि 30 वर्षों के बाद कोई एकल सबसे बड़ी पार्टी सत्ता में आई है। 1984 के चुनावों के बाद, यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी जीत कर सरकार बना सकी है। और इस सोलहवीं लोक सभा में विपक्ष का नेता नहीं है। हाँ, हमें निश्चित रूप से इस अधिनियम में संशोधन करना चाहिए क्योंकि पहले संशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम ने विपक्ष के नेता की अनुपलब्धता का उल्लेख नहीं किया था। इसलिए, यह संशोधन आवश्यक है।

मेरी पार्टी, टीआरएस पार्टी की ओर से, हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि मेरे मित्र श्री तथागत सत्पथी ने कहा, यदि समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति या रिक्ति के कारण निदेशक की नियुक्ति अमान्य नहीं मानी जाएगी, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसा संशोधन किया जाए ताकि यदि कोई रिक्ति हो, तो सदस्य की अनुपलब्धता के बहाने, सरकार (चाहे जो भी पार्टी सत्ता में हो) अपनी इच्छानुसार निदेशक की नियुक्ति न कर सके। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस प्रावधान की कुछ आवश्यकता है। यह प्रावधान बना रहना चाहिए लेकिन हम ऐसा संशोधन कर सकते हैं ताकि इस संशोधन की भावना बनी रहे। यदि समय मिला तो हम कल कुछ संशोधन प्रस्तावित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री आर.के.सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज भी देश में कभी भी कोई संगीन मामला होता है, कोई करप्शन का मामला उठता है तो जनता से यही आवाज आती है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हमारे एक माननीय मित्र ने इस हाउस में पूरे आर्गनाइजेशन को जिस तरह से कंडेम किया, वह कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। न ही वह सच्चाई है और न ही वह उस आस्था को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहां की जनता की सीबीआई में है। आज भी वह आस्था उनके अंदर है। कुछ खराब लोगों के रहने के बावजूद संगठन के प्रति उनके अंदर आस्था है, जो यह दर्शाता है कि कुछ खराब लोगों के होने के बावजूद ज्यादातर लोग सीबीआई में अच्छे हैं, इसीलिए लोगों का इस संगठन पर विश्वास है।

हमारे विद्वान कुलीग ने पूरे आर्गेनाइजेशन को कंडेम किया, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं। यही एक आर्गेनाइजेशन है, जिसमें लोगों का आज तक विश्वास टिका हुआ है। हम लोगों की जिम्मेदारी यह है कि हम लोग इस विश्वास को बनाये रखें और इसे मजबूत करें। इसी दृष्टिकोण से चेंजेज लाए गए। पहले एक चेंज आया, जिसमें यह व्यवस्था की गयी कि डॉयरेक्टर के एप्वाइंटमेंट के लिए पैनल एक कमेटी तैयार करेगी, जिसके अध्यक्ष सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, बाकी दो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उसके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स होंगे, जो कि पैनल तैयार करेगी और उनसे सरकार एप्वाइंटमेंट करेगी। पहले यह व्यवस्था की गयी थी। इसे चेंज करके, 1946 में जो अरेंजमेंट्स थे, उसको चेंज करके यह व्यवस्था की गयी कि इसे कमेटी करेगी, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हेड करेंगे। अब यह महसूस किया गया कि इसको और बाई-पार्टिसान किया जाए, इसको और ट्रांसपेरेंट किया जाए, इसको और न्यूट्रल किया जाए, इसीलिए यह व्यवस्था की गई कि जो कमेटी पैनल तैयार करेगी, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और जिसके सदस्य होंगे लीडर ऑफ अपोजीशन और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।

जिस समय यह प्रावधान किया गया, उस समय इस कंटिन्जेंसी को इमेजिन नहीं किया गया था कि कोई ऐसी भी स्थिति आएगी, जब कोई एक पार्टी के पास लीडर ऑफ अपोजीशन के रोल के लिए पर्याप्त संख्या नहीं

होगी। यह इमेजिन नहीं किया गया था, इसीलिए यह डिफीकल्टी अभी आ गयी है। उसी डिफीकल्टी को हम लोग ओवर कम करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सदन की पूरी सहमति है। हाउस के जितने लोग बोले, उन्होंने कहा कि इस पर हम लोगों की सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने सेकेंड अमेंडमेंट के लिए कठिनाई व्यक्त की है। उसमें यह प्रावधान है कि कोई एक मेंबर की एब्सेंस से सिलेक्शन गलत नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी व्यवस्था है, जो हर एक कानून में है। जहां कहीं भी कानून किसी कमेटी के द्वारा सिलेक्शन के लिए बना है, आप किसी भी कानून को उठाकर देखेंगे तो उसमें यह प्रावधान है कि उस सिलेक्शन कमेटी के किसी एक मेंबर की एब्सेंस के कारण वह सिलेक्शन गलत नहीं होगा। यह प्रावधान अगर इस बार भी रहता तब भी एप्वाइंटमेंट में दिक्कत नहीं होती। एप्वाइंटमेंट में दिक्कत इसलिए हुयी, क्योंकि जिस समय वर्ष 2013 में लोकायुक्त कानून बना, उस समय सभी कंटिन्जेंसीज को विजुलाइज नहीं किया गया। जैसे कि इस कंटिन्जेंसी को विजुलाइज नहीं किया गया कि किसी पार्टी की इतनी संख्या नहीं होगी कि उसे लीडर ऑफ अपोजीशन की पोजीशन मिल सके। हर एक कंटिन्जेंसीज को विजुलाइज करके ही लॉ बनाना सम्यक होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीनों मेंबर्स कौन हैं? तीनों मेंबर्स में मात्र एक मेंबर सरकार के हैं, प्रधानमंत्री, दूसरे मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और तीसरे मेंबर लीडर ऑफ अपोजीशन या लीडर ऑफ दी सिंगल लार्जेस्ट अपोजीशन पार्टी इन दी पार्लियामेंट है। इसमें सरकार का एक ही मेंबर है। अगर बाकी दोनों जो सरकार के मेंबर नहीं हैं, उनमें से एक भी रहेंगे तब भी यह सिलेक्शन बाई-पार्टिसान होगा या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके के नॉमिनी रहें या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजीशन पार्टी रहें तब भी सिलेक्शन बाई-पार्टिसान होगा। इसलिए लोगों का जो यह संशय है, लोगों को यह शक है कि सरकार अपनी च्वाइस ही बुलडोज करेगी तो यह शक निर्मूल है, इसका कोई आधार नहीं है।

महोदय, जैसा कि हमने कहा है कि ये दोनों ही अमेंडमेंट्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आवश्यक हैं। दोनों अमेंडमेंट्स की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि यह जो कंटिन्जेंसी आज अराइज किया है, उसे विजुलाइज पहले नहीं किया गया था। उस समय आपको याद होगा, जिस समय लोकायुक्त बिल पास हो रहा था, तब

कितना टू एंड फ्रो हो रहा था, तब सम्भवतः यह हो सकता है कि उसमें यह कंटिन्जेंसीज मिस कर गया हो। उसी को हम लोग अभी करेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको पास करने में, इस हाउस को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अर्जेन्सी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, वह स्पष्ट है कि अर्जेन्सी क्यों है? जो भी अप्वाइंटमेंट हो, वह बिल्कुल तरीके से होना चाहिए और उसी के लिए यह सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए यह अर्जेन्सी है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, सरकार द्वारा आज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संसोधन) विधेयक - 2014 लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आज संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास जो जरूरी आंकड़ा होना चाहिए, वह नहीं है। सरकार यह प्रस्ताव लायी है कि जहां लीडर ऑफ अपोजिशन न हो, वहां लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को सी.बी.आई. के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए आधिकारिक मेम्बर बनाया जाए। हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर सरकार द्वारा एक और प्रस्ताव लाया गया कि डायरेक्टर के अप्वाइंटमेंट के अंदर अगर कोई मेम्बर की पोस्ट वैकेन्ट हो या मेम्बर न हो तो उस पोस्ट को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, मेरे ख्याल से सरकार को इस मुद्दे को दोबारा देखना चाहिए क्योंकि जब विपक्ष का मेम्बर वहां नहीं होगा और डायरेक्टर की नियुक्ति की जाएगी, जिस तरह सत्पथी जी ने कहा था, मैं उसका स्वागत करता हूं। सरकार को इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए और दोबारा अमैंडमेंट ला कर, अगर कोई मेम्बर नहीं आते हैं तो मेरे हिसाब से उस मेम्बर की जगह उसका कोई रिप्रजेंटेटिव वहां आ कर या उसकी जगह कोई प्रॉक्सी वोट डाल पाए, जिसके तहत डेमोक्रेसी के अंदर जो आधिकार है वह सबको मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि इस पर विचार-विमर्श कर, उस वोटिंग के अंदर, किसी रिप्रजेन्टेटिव को वहां पर आने का मौका दिया जाए, क्योंकि जो सी.बी.आई. है, मुझे लगता है कि हमारे देश की सबसे प्राइमेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। मगर, पिछले अनेक वर्षों से हम पॉलिटिकल प्रेसर के अंदर ऑपोजिशन के ऊपर सी.बी.आई का दुरुपयोग देखते आए हैं। मेरे ख्याल से अप्वाइंटमेंट के अंदर ऑपोजिशन का जो रोल है, वह बड़ा अह्म है। कहीं न कहीं ऑपोजिशन का भी बराबर हक उसके अप्वाइंटमेंट में होना चाहिए। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री हरीश मीना (दौसा) : महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संशोधन पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह संशोधन लाना कानूनन आवश्यक था, वर्तमान में जो चुनाव हुए उसमें ऐसी स्थिति बनी कि एल.ओ.पी. की पोस्ट खाली रह गई जिसका श्रेय भारत की जनता को जाता है।

महोदय, हमारी एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी सफल होती है, जब पार्टिसिपेटेड गवर्नेंस होता है। वर्तमान कानून के मुताबिक बिना संशोधन के, बिना एल.ओ.पी. को भी नियुक्ति हो सकती थी, चूंकि हमारी सरकार की इस व्यवस्था की साख बनानी है, इस संशोधन की साख बनानी है, इसके लिए आवश्यक था कि प्रजातंत्र में चाहे छोटा ही दल हो, चाहे कितनी भी छोटी आवाज हो उसको भी सुनना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी यह संशोधन लायी है। एल.ओ.पी. का पद नहीं होते हुए भी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसकी इसके डिसिजन मेकिंग में साझीदारी हो। इसका यह फायदा होगा? उस पद की गरिमा बढ़ेगी, उसकी क्रेडिब्लिटी बढ़ेगी और जनता में विश्वास की भावना बढ़ेगी।

महोदय, यह आरोप लगाया गया है कि इसको जल्दी में लाया गया है। यह जल्दी में नहीं लाया गया है। परिस्थिति ऐसी बनी कि वर्तमान सी.बी.आई. डायरेक्टर 2 दिसम्बर को रिटायर हो रहे हैं, इससे पहले सरकार को नियुक्ति करनी थी। नियुक्ति करने के लिए यह संशोधन आवश्यक हो गया था। मैं मानता हूं कि सरकार के हित में, जनता के हित में और जनता का विश्वास प्राप्त करने के हित में यह महत्वपूर्ण कदम है। इसका हमें और आप सब को मिल कर समर्थन करना चाहिए।

महोदय, मैं मानता हूं कि इस कार्य से ऐसा नहीं लगे कि एक पार्टी विशेष ने, सत्ताधारी दल ने, अपने बल संख्या के दम पर इसको पास करवा लिया। हम यह चाहते हैं कि इस संशोधन के मार्फत इस डिसिजन में हर पार्टी का और खासतौर से जो सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है उसका भी योगदान हो। आपने मुझे इस पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

आप अच्छी तरह से जानते हैं, और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सीबीआई एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों तथा वर्तमान निदेशक के विभिन्न कृत्यों और चूकों के कारण सीबीआई निदेशक का पद काफी विवादास्पद बन गया है।

अपराह्न 3.01 बजे (श्री हुक्मदेव नारायण यादव *पीठासीन हुए*)

यह महती सभा अच्छी तरह से जानती है कि यह मुद्दा पिछली दो लोक सभा ओं, अर्थात् 14वीं लोक सभा और 15वीं लोक सभा के दौरान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान में सरकार में बैठी भाजपा ने कई बार यह आरोप लगाया था कि सीबीआई कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सहयोगी बन गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी को यह बात याद होगी। वास्तव में, इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बजाय उपहासपूर्वक कांग्रेस ब्यूरो कहा जाने लगा था, और सीबीआई का उपयोग कर विभिन्न पार्टियों को डराया, मजबूर किया और बहलाया गया ताकि वे एक विशेष सरकार का समर्थन करें। यह एक तथ्य है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन तथ्यों की बात कर रहा हूँ जिन्हें स्वयं भाजपा ने इस महती सभा के संज्ञान में कई बार लाया है। कुछ हद तक यह सही है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी ने सीबीआई का अपने राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग किया था, और यह बात सही है।

अब, हम संशोधन लाने के लिए भा.जा.पा. की सराहना करते हैं क्योंकि लोकपाल अधिनियम के अनुसार नियुक्त समिति में तीन सदस्य होने चाहिए अर्थात, विपक्ष के नेता, प्रधान मंत्री. और मुख्य न्यायाधीश, और सभी नामनिर्देशित व्यक्ति होने चाहिए। हम भाजपा की इस बात के लिए सराहना करते हैं कि बहुमत में होने के बावजूद, जब विपक्ष का नेता नहीं है, उन्होंने यह संशोधन प्रस्तावित किया है कि सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता विपक्ष के नेता का स्थान लेगा।

श्री सत्पथी, एक वरिष्ठ सदस्य, और मेरे सहयोगी श्री विनोद ने हमारे संज्ञान में यह बात लाई है कि दूसरे संशोधन के अनुसार, यदि तीन सदस्यों में से एक सदस्य अनुपस्थित हो तो भी सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की जा सकती है और उसे कोई भी, यहाँ तक कि कानून के तहत भी, चुनौती नहीं दे सकेगा। इन तीन सदस्यों को शामिल करने के पीछे जो भावना है, वह यह नहीं है कि तीनों की राय एकमत होनी चाहिए। पहले भी, यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो भाजपा ने कई बार सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर असहमति व्यक्त की थी, लेकिन फिर भी उस समय यूपीए सरकार ने उनकी नियुक्ति कर दी थी। यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो उस समय श्रीमती सुषमा स्वराज ने असहमति पत्र भी लिखा था। तो वही बात अब भी लागू होनी चाहिए। उस समय मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन मैं इन घटनाओं का अवलोकन कर रहा था। मेरी विनम्र मांग है कि इस मुद्दे पर सरकार उदारता दिखाए।

यदि कोई सदस्य जानबूझकर समिति की बैठक में शामिल नहीं होता है, तो वह अलग बात है। मान लीजिए कि विपक्ष के नेता या उनके स्थान पर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं, तो उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, जैसे अधिकतम तीन बार बुलाने का अवसर। इस विधेयक में इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिम्मेदार विपक्षी सदस्य जानबूझकर अनुपस्थित रहेगा। लेकिन यदि पर्याप्त अवसर देने के बावजूद वे अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते, तो कम से कम दूसरे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को यह अवसर दिया जाना चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया संदेह से परे रहे। ऐसे सदस्यों को भी संदेह से बचना चाहिए। उसी प्रकार, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति न केवल कार्य के लिहाज से बल्कि भावना के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अखिल भारतीय संगठन है, विशेष रूप से ऐसे कठिन समय में जब काले धन और अन्य कई मुद्दे चर्चा में हैं। कुछ पार्टियाँ भले ही अलग मुद्दा उठा रही हों, लेकिन हम जानते हैं कि उसके पीछे क्या सच्चाई है और उसमें सीबीआई की भूमिका है।

यदि विपक्षी सदस्य — चाहे वह विपक्ष के नेता हों या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता या दूसरे सबसे बड़े दल के नेता — की सहमति या उपस्थिति के बिना सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की जाती है, तो यह बहुत गलत संदेश देगा। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सुझाव पर

गंभीरता से विचार करें। हम भाजपा द्वारा इस संशोधन विधेयक को लाने के विरोध में नहीं हैं, बल्कि इसके लिए प्रशंसा करते हैं। हालांकि, इस विधेयक में थोड़ा बहुत संशोधन किया जाना आवश्यक है जो राष्ट्रहित और सीबीआई के हित में भी है। बड़े-बड़े कानूनविद् भी वहाँ बैठे हैं। श्री रविशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध वकील हैं और वह भलीभांति जानते हैं कि मैं जिस छोटे से संशोधन कि बात कर रहा हूँ वह देश और सीबीआई दोनों के हित में है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे इस संशोधन पर विचार करें। उचित परामर्श के बाद आवश्यक संशोधन विधेयक में शामिल करें और फिर जब चाहे इसे पारित करें। निश्चित रूप से, हमें इसे 2 दिसंबर से पहले पारित करना ही होगा ताकि समय पर नया सीबीआई निदेशक नियुक्त किया जा सके।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार यह अमेंडमैंट बिल लायी। यह केवल बिल की बात नहीं है, बल्कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कितना विश्वास है, यह भी इंगित करता है। मुझे पिछली लोक सभा की एक घटना याद है, जब सीवीसी का चुनाव हो रहा था। उस समय एक विवादास्पद व्यक्ति को सीवीसी बनाने का प्रयास किया जा रहा था। उस समय लीडर ऑफ आपोजिशन माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने उसका विरोध किया था। वह विरोध बाकायदा दर्ज किया गया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी। उसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा उस सीवीसी को निष्कासित किया गया, जो लोकतांत्रिक संस्था और लोक सभा के लिए शर्म की बात है। उसके बाद हमने सीबीआई डायरेक्टर का मामला देखा। उसमें भी हमारी माननीय एलओपी ने अपनी नाराजगी शो की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बनाया गया। जिस तरह से 2जी स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वह सभी संस्थाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का बेहद आभारी हूं कि उन्होंने पूरी तरह से इस लोकतांत्रिक संस्था पर विश्वास किया है। अगर एलओपी नहीं हो सकते तो उनके बदले जो भी बड़ी विरोधी दल की पार्टी हो, उसका सदस्य लेने का उन्होंने निर्णय किया है। इसके लिए कोई बाध्य नहीं था, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि पिछली सरकार में यह परम्परा रही है कि बिना एलओपी की मर्जी के बिना किसी को भी नियुक्त कर दो। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी दलों को पूरी तरह से कांफिडेंस में लेकर बात करें, चाहे कोई भी इश्यू हो। अभी आपने खुद देखा कि यहां पर काले धन पर चर्चा हो रही थी, जिस पर हमारे मंत्री चर्चा के लिए तैयार थे लेकिन विरोधी दल तैयार नहीं हुआ। जब उन्हें शामिल होने की बात है, क्योंकि इतने दिनों से स्पीकर महोदया से बोला जा रहा था कि एलओपी बनाया जाये, बाकायदा अटार्नी जनरल का मंतव्य इस पर आ गया कि वे एलओपी नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। अगर जनता ने उन्हें रिजैक्ट किया, उन्हें विरोधी दल के लायक भी नहीं समझा तो इसके लिए हम

जिम्मेदार नहीं हैं। उनका दस वर्षों का जो घोटाला है, जो उनका कार्यकाल है, वह उसका जिम्मेदार है। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह एक बहुत अच्छा कदम है। अगर किसी लोकतांत्रिक संस्था के निदेशक की नियुक्त होनी है, तो सभी दलों को विश्वास में लेकर किसी गैर विवादास्पद व्यक्ति को ही बनाना उचित है। हम यह भी अनुरोध करेंगे कि आज भी विरोधी दल ने बायकाट किया और जब सत्ता में थे तब भी वे हर चीज बुलडोज करते थे। मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता ही ऐसी बन गयी है कि कोई भी अच्छा काम न हो, चाहे वह अच्छा काम उनके पक्ष में ही क्यों न हो। मुझे लगता है कि इसीलिए आज वे संसद से बायकाट कर गये। उसके बावजूद भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने इतना बड़ा दिल दिखाया है और कहा कि वोटिंग आज नहीं होगी। इसके लिए मैं सबके प्रति बहुत आभारी हूं। मेरा यह कहना है कि चाहे कोई भी संस्था हो, सबको साथ लेना चाहिए, लेकिन सबका विश्वास लेने के लिए उनकी भी आवश्यकता है। आज माननीय स्पीकर महोदया कह रही हैं कि आप जिस विषय पर बहस कराना चाहते हैं, उस पर हम बहस कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे शोर मचा रहे हैं। इस तरह से कोई भी लोकतांत्रिक संस्था नहीं चल सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वे आयें और संसद की कार्यवाही में भाग लें। हमारी सरकार उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार है। वे जिस चीज पर बहस कराना चाहते हैं, उस बहस के लिए हम तैयार हैं। यह उनके लिए एक मौका है कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, सीबीआई डायरेक्टर, जिनका कार्यकाल 30 तारीख को खत्म हो रहा है और 2 तारीख को नयी नियुक्ति होनी है, उसमें उनकी भी बात रखी जाये।

एक मैसेज जाए कि कोई निर्विवाद व्यक्ति बने, सीवीसी की पिछली बार की तरह घटना न हो कि इन्होंने जबरदस्ती किसी को बना दिया, इसके बाद घोटाले में पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल बाहर कर दिया। मेरा अपोजिशन के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विचार रखें। हमारी सरकार उनके हर विचार सुनने और उनकी हर बात को एकोमोडेट करने को तैयार है। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी का आदर और सम्मान हो। कालेधन का इतना शोर मच रहा है, अगर सीबीआई का डायरेक्टर ही ठीक से नहीं बन पाएगा तो कालेधन की जांच कौन करेगा? मुझे लगता है कि ये डरे हुए हैं कि कहीं कालेधन की जांच में ऐसे नाम न आ जाएं जिससे इनको दिक्कत हो जाए। ये इसीलिए शोर मचाना चाहते हैं लेकिन कुछ

करना नहीं चाहते हैं। इसी कारण से ये बायकॉट कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसा हो जाए कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति न हो और सीबीआई टीम स्विट्जरलैंड न जा सके, जिससे पूर्व सरकार द्वारा और कुछ खास लोगों द्वारा किए गए काम में उनके नाम सामने न आ सकें।

मेरा सदन से अनुरोध है कि इस बिल पर सब मिलकर साथ दें ताकि देश में किसी भी उच्च संस्था का डायरेक्टर का पदाधिकारी सबकी मर्जी से बने, निर्विवाद बने। कांग्रेस के राज में, यूपीए के राज में जिस तरह के घोटालेबाज लोगों को इस तरह की पोस्ट दी गई, हमारी सरकार इसे नहीं दोहराने को कृतसंकल्प है, लेकिन आज भी उनकी मंशा शंका में है। जिस तरह से ये सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्टिंग रोक रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी अच्छा व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहे क्योंकि शरीफ व्यक्ति के संवैधानिक पद पर रहने से सबसे ज्यादा इन्हीं को तकलीफ होने जा रही है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति जी, आज यहां दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाबलिशमेंट बिल लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इस देश के हर व्यक्ति को लगता है जब भी कोई बड़ा गुनाह होता है जब उसका समाधान नहीं होता है तब एक ही संस्था है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। वह है सीबीआई। सीबीआई के पास जांच के लिए जाए और सीबीआई जांच करती है। सीबीआई की जांच के निर्णय पर लोग विश्वास करते हैं। हाल ही में जो हालात सी.बी.आई. की हुई है, [अनुवाद] हर कोई सीबीआई का उपहास करता है। केवल आलोचना ही नहीं करते, बल्कि उपहास भी करते हैं। यहां तक कि एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी सीबीआई का उपहास किया था। [हिन्दी] यह जो बात हुई, हमारे दोस्त ने क्रिटिसाइज किया है, बुरा लगा होगा कि स्विपिंग क्रिटिक्स नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तथ्य फिर भी तथ्य ही रहता है क्यों हुआ। ऐसी स्थिति में हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर थोड़े समय में रिटायर होने जा रहे हैं। हम उनकी जगह किसी को नियुक्त करना चाहते हैं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : मैं इन्टरवीन नहीं करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को रिडिक्युल किया है, मेरा कहना है कि यह सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डायरेक्टर के कारण सीबीआई की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, सीबीआई संस्था का हम सम्मान करते हैं इसीलिए उन्होंने रीज़न्स नहीं दिया। मेरे ख्याल से आप इसका ध्यान रखें।

[अनुवाद]

श्री अरविंद सावंत: उनके कथन का यह अर्थ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई की भूमिका की सराहना नहीं की। जो कुछ भी हुआ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सराहना नहीं की। यह हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था। मुझे शब्दशः याद नहीं है, लेकिन यह जरूर था कि सुप्रीम कोर्ट ने संकेतों में सीबीआई के कामकाज की आलोचना की थी। उस समय हम भी सीबीआई की आलोचना कर रहे थे। उस समय हम सब एक साथ थे जब सीबीआई की आलोचना की जा रही थी।

इस समय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि नए निदेशक की नियुक्ति समय पर होनी आवश्यक है और वह प्रावधान भी स्वागत योग्य है जिसमें सरकार की ओर से दो सदस्य और विपक्ष की ओर

से एक सदस्य नियुक्त समिति शामिल किए जाने की बात है। चूंकि सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, इसलिए मैं इस विचार का स्वागत करता हूं कि सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रतिनिधि इसमें शामिल हो। हमने इसके लिए एक बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन दूसरी धारा थोड़ी जोखिमभरी है जिसमें कहा गया है कि समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति या रिक्ति के कारण निदेशक की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी। समस्या वहीं है। अगर विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, तो मैं सहमत हूं कि सरकार अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वे इस प्रक्रिया से भाग नहीं सकते। मेरे एक सहयोगी पहले ही कह चुके हैं कि यदि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं, तो दूसरे सबसे बड़े दल के नेता को अवसर दिया जाना चाहिए। यह भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन फिर भी कोई न कोई समाधान तो चाहिए। उन्हें आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। वे बाहर जाकर इस पर सिर्फ आलोचना न करें। उन्हें सदन के भीतर बोलने का अवसर दिया जा रहा है। जो भी कहना हो, यहां कहें। लेकिन अगर वे नहीं कहते हैं, तो यह शंका बनी रहती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस स्थिति में सरकार की नीति स्पष्ट करे। क्या सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेगी और आलोचक बाहर रहेंगे? इस पर मुझे माननीय मंत्री जी से स्पष्टता चाहिए। मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं सीबीआई निदेशक की नियुक्ति हेतु इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं बड़े ध्यान से आदरणीय सदस्यगण के विचार सुन रहा था। आदरणीय मेघवाल जी, सतपथी जी, विनोद कुमार जी, आर.के. सिंह जी, दुष्यंत जी, मीणा जी, बोरा जी, संजय जी तथा सावंत जी के विचार मैंने सुने। अच्छा लगता, यदि कांग्रेस के साथी भी यहाँ पर रहते। एक बात जो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, जो आदरणीय सदस्यगण के ध्यान में भी आ जाए, वह यह है कि वास्तव में यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार द्वारा ही लाया एक प्रावधान है, जिसमें थोड़ा-सा संशोधन और सुधार करने का यह प्रयास है। जैसा कि कहा जा रहा था कि बुलडोजिंग हो रही है या कुछ इस प्रकार का हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको जो पत्र दिया गया है, वह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। [अनुवाद] आप वर्ष 2014 के लोकपाल और लोकायुक्त 2013 अधिनियम, (1) द्वारा संशोधित दिल्ली पुलिस (स्थापन) अधिनियम, 1946 को देखते हैं। [हिन्दी] पिछली सरकार द्वारा यह संशोधन लाया गया था, परंतु शायद उस समय कांग्रेस के मित्रों को यह कल्पना नहीं थी कि चुनाव के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि कोई विपक्षी दल नहीं रह पाएगा या उनका गणित उस प्रकार का नहीं रहेगा के उन्हें एक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। उस कारण से एक तकनीकी दुविधा उत्पन्न हो गयी। जैसा कि कहा गया कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति भी अब शीघ्र होनी आनिवार्य है। वे 2 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए, इस विडंबना को दूर करने के लिए सब के साथ परामर्श करके और कानूनी सलाह लेकर यह निष्कर्ष निकाला गया। इसका एक विकल्प हो सकता है कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ही लीडर ऑफ अपोजिशन स्वीकार कर लिया जाए ताकि यह तीन सदस्यों का जो प्रावधान है, उसकी पूर्ति की जा सके। कुल मिलाकर इस पर सभी सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा आभास हो रहा है। चूंकि इस पर चर्चा तो कल होगी, जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने कहा है कि जिस प्रकार से एक सदस्य के न होने पर भी बैठक हो सकती है और नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, उसमें यह कभी अनुमान न किया जाए और इस प्रकार का विचार न आए कि जानबूझकर इसलिए यह प्रावधान करने का प्रयास हो रहा है कि यदि एक सदस्य न हो तो दो सदस्यों की उपस्थिति में यह सरकार अपनी इच्छानुसार या अपनी मनमानी से इस प्रकार की नियुक्ति कर देगी। बहुत कल्पना करके यह विचार किया गया है। मान लीजिए कि किन्हीं कारणों

से कभी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वहाँ एक सदस्य उपस्थित नहीं रह पाता है, जैसा कि प्रावधान है कि तीन सदस्यों में से प्रधानमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं। उस स्थिति में भी चूंकी सभी ने इस बात को स्वीकार कि सी.बी.आई. एक बहुत ही महत्पूर्ण संस्था है [अनुवाद] हम इस प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित नहीं कर सकते और न ही नियुक्ति की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कर सकते हैं। [हिन्दी] इसलिए इसे उस नीति से और उस विचार से किया गया।

अब चूंकि यह चर्चा कल भी जारी रहनी है, बहुत आधिक बोलना इस समय उचित नहीं होगा, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करते हुए, मैं यही अनुरोध करता हूं कि चूंकि आज विपक्ष के आधिकतर सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि [अनुवाद] हम इस विधेयक को पारित करने पर जोर डालें। हम कल इस पर चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : इस विषय पर कल चर्चा करने के बाद पारित करेंगे।

अपराह्न 3.21 बजे

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014

माननीय सभापति : मद सं. 12ख ।

माननीय सदस्यगण, इससे पूर्व कि मैं श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाऊं, मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय मंत्री ने दिनांक 24 नवंबर, 2014 के अपने पत्र द्वारा सूचना दी है कि राष्ट्रपति ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : इस पर बहस के लिए दो घण्टे समय निधाररित है, यदि सदन की सहमति हो, तो इसके लिए दो घण्टे समय दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य**:** जी, हां।

माननीय सभापति : सदन की सहमति है।

माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्तुत करती हूं*:

[अनुवाद] "कि सूचना प्रौद्योगिकी के कतिपय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने, सूचना प्रौद्योगिकी में नया ज्ञान विकसित करने और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वैश्विक मानकों का जनशक्ति प्रदान करने तथा ऐसे संस्थानों या उसके आनुषंगिक विषयों से जुड़े कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

* माननीय राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

महोदय, राष्ट्र के नवनिर्माण में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाएगी, इस बात पर किसी को न संदेह है, न इन्कार है। आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल के माध्यम से इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में घोषित करने का हमारा प्रयास है। डिलॉयट की एक रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत इस संभावना को व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2020 तक भारत का इलेक्ट्रानिक्स इम्पोर्ट बिल भारत के ऑयल इम्पोर्ट बिल से भी ज्यादा होगा। इसलिए इस बात की दरकार है कि हम अपनी आईटी हार्डवेयर कैपेसिटी को स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स, जो बिल के तहत आते हैं, बढ़ाएं। आपके माध्यम से मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल पर चर्चा कर, इस बिल को पारित कर इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी को डिग्री देने की मान्यता प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद यह सदन इन चारों संस्थानों को दे।

प्रधान मंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का एक सपना देखा था, वह सपना तभी साकार होगा जब हम नई नॉलेज के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को सशक्त करेंगे ताकि वे डोमेस्टिकली एवं इंटरनेशनली ग्लोबल स्टैंड्डर्स की नई शिक्षा का संचार कर सकें और साथ ही हम मैनपावर तैयार कर सकें। इसलिए डिजिटल इंडिया के सपने को सशक्त करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए मैं इस सदन से एक बार फिर निवेदन करती हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के इस बिल पर अपने विचारों को व्यक्त कर इसे पारित करने में अपना योगदान एवं समर्थन दें।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि सूचना प्रौद्योगिकी के कतिपय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने, सूचना प्रौद्योगिकी में नया ज्ञान विकसित करने और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वैश्विक मानकों का जनशक्ति प्रदान करने तथा ऐसे संस्थानों या उसके आनुषंगिक विषयों से जुड़े कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक, जिसके उद्देश्य एवं कारणों को माननीय मंत्री जी ने रेखांकित किया है, पर बोलने का अवसर दिया है। आज के परिवेश में पूरे विश्व के सामने जिस तरह से इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस समय आवश्यकता यह है कि हम वर्ष 2020 तक इसको अग्रणी दिशा में ले जा सकें। इस संबंध में यह विधेयक लाया गया है। मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि वर्तमान समय में जो चार आईआईआईटी हैं, जिनमें से इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान और कांचीपुरम में सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान हैं। ये चारों संस्थान अभी अलग-अलग आधिनियमों एवं संस्थानों द्वारा संचालित होते हैं।

पहली बार इस सरकार का प्रयास है कि हम इन संस्थानों को एक एक्ट के अंतर्गत लाकर उनके लिए विधान बना सकें और इन संस्थानों को इतना मजबूत कर सकें कि जिस तरह से आज पूरी दुनिया में हमारे आईआईटी और आईआईएस की पहचान बन चुकी है उसी तरह से भविष्य में आईआईआईटी की भी पहचान पूरी दुनिया के फलक पर स्थापित हो सके। इस दिशा में सरकार ने पहल की है। इस पहल के पीछे उद्देश्य यह है कि जब हम आईआईआईटी की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि कांचीपुरम को हमने 20.6.2011 को अध्यादेश के माध्यम से बनाया लेकिन इस सदन में वह विधेयक के रूप में पारित नहीं हो सका, फिर भी संस्थान की स्थापना हो गयी। आज किसी संस्थान को अगर हम विश्वस्तरीय बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास कोई एक्ट न हो, कोई कानून न हो, कोई विधेयक न हो, सिर्फ एक अध्यादेश आया और वह लैप्स हो गया, वह विधेयक की शक्ल नहीं ले सका तो कम से कम आज उस कांचीपुरम के संस्थान को, ग्वालियर के, जबलपुर के और इलाहाबाद सहित चारों संस्थानों को मिलाकर एक एक्ट के तहत जब इसे विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में जब हम प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह एक सराहनीय कदम है। मैं समझता

हूं कि इस विधेयक को सदन सर्व-सम्मत तरीके से पास करेगा क्योंकि आज भी हमारे पास इंफोर्मेशन टैक्नॉलॉजी के क्षेत्र में, आउट-सोर्सिंग के क्षेत्र में अच्छे विद्वान हैं, नौजवान हैं और जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2020 तक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उस समय तक हम दुनिया के सबसे नौजवान देश होंगे और जब केवल इसमें चार आईआईआईटी हों और इन चार की आवश्यकता अगर हम पूरी दुनिया को आईटी के क्षेत्र में दे सकें, एक्सपर्ट-प्रोफेसर दे सकें जिसको बार-बार प्रधान मंत्री जी कहते दुनिया से "मेक इन इंडिया" की बात कहते हैं तो यह भी इस सरकार की एक दृष्टि है कि हम पूरी दुनिया को आईटी के क्षेत्र में मास्टर या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर्स दुनिया को क्यों नहीं दे सकते हैं। हमारे पास एक्सीलेंस है, टेलेंट है, इसलिए उस दिशा के लिए भी यह पहल की गयी है। इस विधेयक को लाने के पीछे मकसद यह है कि अभी जो ये चारों संस्थान हैं इन्हें एकीकृत करके इन्हें राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। आखिर नेशनल महत्व के लेवल पर इसपर किसकी असहमति हो सकती है। प्रोद्योगिकी संस्थान सूचना और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में आज अलग-अलग संस्थानों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उन्हें हम इस पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा वित्तीय रूप से, अकेडमिक रूप से मजबूत कर सकें, एक्सीलेंस में मजबूत कर सकें जिससे उनसे निकले हुए छात्र पूरी दुनिया में अपना एक स्थान बना सकें। इसलिए आज जो हम विश्वस्तर पर जनशक्ति भी देना चाहते हैं, उस स्तर के लोगों को तभी हम शक्ति दे सकते हैं जब हम एक इस तरह का आईआईआईटी का एक करीकुलम एक साथ करें।

अभी इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान है, दूसरा ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान है, तीसरा जबलपुर में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान है और कांचीपुरम में भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान है। स्वाभाविक है कि आज ये चारों अलग-अलग संस्थानों के द्वारा संचालित हैं और इनको एक दिशा में करने के लिए आज यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि आज इन चारों संस्थानों को हम एकीकृत करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से इसी सदन से मांग उठेगी और आज हर राज्य के मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि हमारे राज्य में अभी आईआईटी नहीं है, तो आईआईटी दिया जाए। पिछले दिनों हमारे मानव संसाधन

मंत्रालय ने कहा कि जिन राज्यों में भी आईआईटी नहीं है, वहां भी हम आईआईटीज देंगे, आईआईएम देंगे। मैं समझता हूं कि जब हम राष्ट्रीय स्तर के प्रोद्योगिक संस्थानों को बनाने जा रहे हैं तो शायद हर राज्य से मांग उठेगी कि हमारे यहां भी आईआईआईटी खुलें। आज कंप्यूटर के क्षेत्र में, सूचना और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में आप देखें कि जिस तरीके से इसका गांव तक स्तर बढ़ रहा है, छोटे-छोटे स्कूलों में भी कंप्यूटर की क्लासेज हो रही हैं। स्मार्ट क्लासिस के बिना हम आज किसी स्कूल की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब कम्प्यूटर की बात होती थी तो लगता था कि यदि कम्प्यूटर आएगा तो तमाम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन आज कम्प्यूटर सबसे ज्यादा रोज़गार प्रदान करने वाला क्षेत्र बन गया है। आज हम चार संस्थानों को एक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इसी तरह के और आईआईआईटी की मांग करेंगे कि आज इनके लिए आप विधेयक बनाएं, लेकिन यदि हम वर्ल्ड क्लास संस्थान सभी राज्यों को देना चाहते हैं तो हमें सभी राज्यों में इसी तरह के संस्थानों की स्थापना करनी होगी।

यदि आप देखें तो संस्थान के जो उद्देश्य और कारण दिए गए हैं, वे बहुत अस्पष्ट हैं। हम इस विधेयक से जो संस्थान तैयार करेंगे वे प्रोद्योगिकी क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर के होंगे। इन संस्थानों का स्टैंडर्ड विश्व स्तर का होगा। इन आईआईआईटी संस्थानों का महत्व केवल इस देश तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित होगा। इन संस्थानों से निकले हुए लोगों को पूरी दुनिया में मान्यता मिलेगी।

आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रही है। आईटी के कारण पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गयी है। आप अपने कमरे में बैठकर इंटरनेट या गूगल पर दुनिया के किसी भी संस्थान के बारे में इनफोर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। आज दुनिया में किसी देश का मूल्यांकन उसकी परिसम्पत्तियों से या उसकी गगनचुम्बी इमारतों से या अट्टालिकाओं से नहीं होता है, बल्कि प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में, इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, उससे निधाररित होता है और हम भी उसी तरह से अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना सकते हैं। हमारा देश इस दिशा में जिस प्रकार से बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसमें यह विधेयक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि इस विधेयक से इस सदन में शायद ही किसी की असहमति होगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा एक मूल तत्व है और

मानव संसाधन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना शिक्षा के हम फ्यूचर जनरेशन को तैयार नहीं कर सकते। उनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड को तय करने के लिए इस विधेयक से टेक्नोलॉजी के द्वारा मानव संसाधन का विकास भी होगा और समाज के उत्थान में योगदान भी होगा।

इन चार संस्थानों को शुरू करना एक छोटी सी शुरूआत रही होगी, लेकिन इसने समय के साथ उद्योग जगत में विश्वसनीयता के साथ अपनी एक जगह बनायी है। यदि हम वैश्विक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में इसे देखें तो यह उद्योगों के लिए ये संस्थान साबित होंगे। इन संस्थानों के माध्यम से हम दुनिया से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वह चीन, जापान, कोरिया, यू.एस. और यूरोप हो। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का पिछले पांच महीनों में जिन देशों का दौरा हुआ है, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने जो मान्यता दी है, उसने कहीं न कहीं इस देश के एक्सीलेंस को भी मान्यता दी है। वह सम्मान केवल उनका नहीं है। देश में 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान हुआ है जो भारत के बाहर प्रधान मंत्री जी ने किया। उन्होंने आस्ट्रेलिया, कैनवरा में जाकर कहा होगा कि हम भारत के लोग आज सक्षम हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया की बात कही, साथ ही यह भी कहा कि भारत इसमें भी सक्षम है कि हम पूरी दुनिया को अच्छे प्रोफेसर, वैज्ञानिक दे सकते हैं। आईटी के क्षेत्र में हम अच्छे इंजीनियर्स को दे सकते हैं। अगर प्रधान मंत्री जी ऐसा कहकर आए तो उसको कहने के बाद केवल वह कहने की बात नहीं रह गयी कि प्रधान मंत्री जी दौरे में गये और उन्होंने ऐसा कह दिया। मैं समझता हूं कि अभी वह कहकर आए हैं और आज यह सरकार तुरंत उसको वास्तविकता के धरातल में उतारने के लिए इस विधेयक की शक्ल में लेकर आयी है। इसलिए निश्चित तौर से यह विधेयक अमल में आएगा।

जो बातें उन्होंने कही हैं, उस स्तर के हमारे नौजवान तैयार होंगे कि जो हम पूरी दुनिया को इस बात के लिए चुनौती दे सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे दुनिया में जहां कहीं भी होंगे तो लगेगा कि भारत एक श्रृंखला में क्रांति कर रहा है। आज लगता है कि हम चार संस्थानों को एक कानून के दायरे में ला रहे हैं। लेकिन वह कानून के दायरे में नहीं है, आज इन संस्थानों में जिस तरीके से अलग अलग मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैं उस पूरे विधेयक के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें एकरूपता आएगी और जिस तरीके से उन चारों संस्थानों में भारत सरकार से एक सपोर्ट मिलेगा, इस एक्ट के बनने के

बाद उस संस्थान के उसी महत्व की बात कही गयी कि कहीं न कहीं जो हमारे दिमाग में है या देश की जनता के दिमाग में आईआईटी के बारे में जो रैपुटेशन है, अगर अभी पूरी दुनिया में आईआईटी, आईआईएम की पहचान है, तो अभी यह तीसरा संस्थान इंडियन इस्टीट्याूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टैक्नोलॉजी है। ट्रिपल आईआईटी की भी पहचान पूरी दुनिया में बनने जा रही है। इस बात के लिए मैं अपने मंत्री जी को बधाई दूंगा कि कम से कम एक अच्छा विधेयक क्योंकि अगर हमें दुनिया से मुकाबला करना है तो हमें अपनी शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हम पूरी दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपनी शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे तो हमारे पास कितनी भी बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उस ह्यूमन रिसोर्सेज को तराशने का काम यह संस्थान करेगा।

आज यू. एस. कोई छोटी छोटी चीजें नहीं बनाता है। वे छोटी छोटी चीजें जापान से, भारत से, कोरिया से लेते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में अगर उनकी इकोनॉमी मजबूत है तो उसके पीछे कारण केवल यह है कि रिसर्च एंड डवलपमेंट में उनका मजबूत काम है। वे नयी-नयी तकनीक को पूरी दुनिया में बेचते हैं और उस तकनीक से वे जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं, आज पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि वे मजबूत हैं। मैं समझता हूं कि जिस दिन हम ट्रिपल आईआईटी को इस विधेयक से मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में इसका विस्तार करेंगे तो शायद यू एस से भी ज्यादा इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित तौर से ऐसा सभी का विश्वास होगा। हम इस दिशा में एक क्रांति करने जा रहे हैं।

आज सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करेगा क्योंकि सूचना एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डालते हुए कहा है कि इस सरकार का उद्देश्य यह है कि हम सबसे सर्वोच्च उत्कृष्ट मानव तैयार करें। इसके पीछे क्या कल्पना है? इसके पीछे कल्पना यह है कि व्यक्ति तो है लेकिन उस व्यक्ति को हम सबसे सर्वोच्च बना सकें, तकनीकी शिक्षा से सुसज्जित कर सकें और दुनिया के किसी भी छात्र से मुकाबला करने के लिए हम अपने किसी भी संस्थान से निकालें तो वह दुनिया को कम्पीट कर सके, वह इसका उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि इससे पवित्र उद्देश्य इस विधेयक का नहीं हो सकता जिसमें सरकार ने यह संकल्प भी लिया है और अगर आप उद्देश्य और कारणों को पढ़िए कि सूचना एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोच्च उत्कृष्ट

मानव संसाधन तैयार करना इसका उद्देश्य है, तो मैं मेंत्री जी को और सरकार को बधाई दूंगा कि कम से कम इस विधेयक के पास होने से हममें आत्मविश्वास, आत्मबल पैदा होगा कि हम सूचना और प्रोद्योगिकी के मामले में भी दुनिया की प्रतिस्पर्धा में मुकाबला कर सकते हैं।

आज इस विधेयक का केवल सारांश हम कह दें, केवल केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ये चार ट्रिपल आई.टी. के संस्थान थे, अब इनका एक समान शासित ढांचा किया जाए, इसमें जो पालिसी डिसीजन की बात है, जो नीतिगत ढांचा है, उस नीतिगत ढांचे और समान शासित ढांचे को मिलाकर इन्हें एक स्वतंत्र कानूनी हैसियत भी दी जाए, यानी इन्हें आटोनोमस भी बनाया जाए, यह नहीं कि हम एक डिपार्टमैन्ट बनाकर रखना चाहते हैं या गवर्नमैन्ट के सबऑर्डिनेशन में रखना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारी मंशा साफ है, पवित्र है कि अगर हम इन संस्थानों को ताकत देने जा रहे हैं तो इन्हें हम एक आटोनोमी भी देने जा रहे हैं, जिससे कि वे अपने फैसले ले सके, अपनी रिसर्च कर सकें, नये-नये प्रोग्रामिंग्स कर सकें और पूरी दुनिया के साथ जो बदलते हुए परिवेश हैं, उसका मुकाबला कर सके। इस दिशा में हम इसे एक स्वतंत्र कानूनी हैसियत भी प्रदान करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि शिक्षा की दिशा में खुद मंत्री जी ने भी कहा कि राष्ट्रीय महत्व की दिशा में हम इन संस्थानों को तैयार करेंगे और इन संस्थानों द्वारा संचालित जो शैक्षणिक पाठ्याक्रम होंगे और दूसरे जो इनके अधीन और संस्थान होंगे, उन संस्थानों को भी डिग्री देने का उपबंध है तो स्वाभाविक है कि इसका विस्तार भी है।

इस विधेयक से केवल हम चार संस्थानों को मान्यता नहीं देने जा रहे हैं, हम इन विधेयकों से चार संस्थानों को जहां आधिकार, समान नीति, समान ढांचा और उन्हें लीगत ताकत, कानूनी स्वतंत्रता देने जा रहे हैं, उसी के साथ-साथ जो उनके द्वारा चलाये जा रहे कालेजेज होंगे, उन कालेजेज को भी डिग्री देने का जो उपबंध होगा, जो मान्यता होगी, वह स्वाभाविक है कि एक उत्कृष्ट स्तर का होगा। शायद आप घंटी बजाने जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। लेकिन मैं सदन से अपील करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मत से पारित करने की कृपा करें, जिसे माननीय मंत्री जी सदन में लेकर आए हैं।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस विषय पर बोलने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यह बात सच है कि अमरीका सोचता है, चाइना बनाता है, हम खरीदते हैं, यह सिलसिला चल रहा है। अमरीका सोचता है कि आईफोन कैसे बनाना है, उसके लिए उन्हें पैसा मिलता है और वह चाइना को मैन्युफैक्चर करने के लिए दे देता है तो वह आईफोन चाइना में बनता है या साउथ कोरिया में बनता है। हम पैसा लगाते हैं, वह फॉरेन एक्सचेंज देकर खरीदता है। इसलिए जैसे माननीय मंत्री जी बोले कि पैट्रोल इम्पोर्ट का जितना पैसा हम लगा रहे हैं, उतना पैसा आलमोस्ट इम्पोर्ट ऑफ हार्डवेयर के लिए हम स्पैंड कर रहे हैं। [अनुवाद] अतः, अब हमें तत्काल यह देखना होगा कि विदेशी मुद्रा व्यय को कैसे कम किया जाए, विशेषकर आयात के संदर्भ में। मुख्यतः, पेट्रोल आयात और हार्डवेयर आयात पर हमारा सबसे अधिक व्यय हो रहा है।

सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के दो मुख्य क्षेत्र हैं — एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम अत्यंत उत्कृष्ट हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के सबसे छोटे द्वीप में भी भारतीय सॉफ्टवेयर पेशेवर मौजूद हैं।

जब हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी अमेरिका गए और मैडिसन स्क्वायर में लोगों को संबोधित किया, तब वहाँ लगभग 16,000 से 20,000 लोग उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। वे राजनेता नहीं थे, बल्कि अधिकांश सॉफ्टवेयर पेशेवर और कुशल श्रमिक थे। ये वे मानव संसाधन हैं जिन्हें हमने तैयार किया है और जिनके कारण न केवल वे धन कमा रहे हैं, बल्कि देश को भी सम्मान दिला रहे हैं।

हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री जी ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहाँ उन्होंने कहा कि हैदराबाद देश ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े आईटी हब्स में से एक बन रहा है। चाहे वह बेंगलुरु हो या हैदराबाद अथवा अन्य कोई शहर, हम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बन रहे हैं। परंतु हार्डवेयर उत्पादन के क्षेत्र में हम अपनी क्षमताओं से मेल नहीं खा पा रहे हैं। न तो हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन हैं, न अनुसंधान की पर्याप्त क्षमता

है और न ही विनिर्माण इकाइयाँ हैं। यही कारण है कि अमेरिका या यूरोपीय देश हमें हार्डवेयर निर्माण के अनुबंध नहीं देते। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में "मेक इन इंडिया" का नारा दिया है। मेरा मानना है कि "मेक इन इंडिया" तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन न हों। इसी कारण मैं मानता हूँ कि आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी और एम्स जैसे संस्थानों को केंद्र के तहत लाया गया है, जिसे हम सराहते हैं, स्वागत करते हैं और पूर्ण समर्थन देते हैं। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि शिक्षा पर किया गया व्यय व्यय नहीं, बल्कि देश के विकास में निवेश है। चूंकि हमने आईआईएम, आईआईटी, एम्स जैसे संस्थानों में निवेश किया, इसलिए आज हमारे पास लाखों की संख्या में सॉफ्टवेयर पेशेवर और डॉक्टर हैं जो विदेशों में जाकर कार्य कर रहे हैं और न केवल देश के लिए राजस्व ला रहे हैं, बल्कि देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी दिला रहे हैं। पहले हम "सर्पों का देश" कहलाते थे, आज हम "सॉफ्टवेयर का देश" कहलाते हैं। हम सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से लिए गए इस पहल का दिल से स्वागत करते हैं ताकि इन चार संस्थानों को अब राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों का दर्जा प्राप्त हो और वे केंद्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकें। मेरी सरकार से, विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से, विनम्र प्रार्थना है कि केवल विधेयक पारित कर देना या घोषणा करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें वास्तव में इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान बनाना होगा। यह तभी संभव है जब इन संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की संकाय व्यवस्था और अनुसंधान सुविधाएँ उपलब्ध हों। तभी हम उस स्तर के मानव संसाधन तैयार कर सकेंगे और कोरिया अथवा चीन जैसे देशों के स्तर की सुविधाएँ देश में उपलब्ध करा सकेंगे। यह तभी संभव होगा जब हमारे पास उत्कृष्ट संकाय सदस्य होंगे। वर्तमान में, चाहे वह केंद्रीय संस्थान हो या राज्य संस्थान, संकाय की भारी कमी है। अच्छे संकाय सदस्य इन संस्थानों में शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ उचित वेतन नहीं मिल रहा है। इसके कारण वे विदेशों में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये तक का वेतन मिलता है। अतः, इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार को वेतन संरचना को इस प्रकार बनाना चाहिए कि हम अच्छे संकाय को आकर्षित कर सकें और अनुसंधान सुविधाएँ भी अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप विकसित कर सकें।

दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हैदराबाद सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। हमारे पास एक हार्डवेयर पार्क है जो 1600 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे पास चार आईआईटी हैं। ये सभी अखिल भारतीय संस्थान हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य से संबंधित है। यह एक अखिल भारतीय कैडर होना चाहिए। मेरी यह सुझाव है कि इन संस्थानों के साथ-साथ राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को भी जोड़ा जाए। आज जब हम सैमसंग या अन्य किसी कंपनी का फोन खरीदते हैं, तो केवल उसके सॉफ्टवेयर के कारण नहीं खरीदते, बल्कि उसके डिज़ाइन के कारण भी खरीदते हैं। अतः, यदि हम हार्डवेयर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो हमें एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भी स्थापित करना चाहिए, जो इन संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करे ताकि हम एक उत्कृष्ट गुणवत्ता का उत्पाद तैयार कर सकें जिस पर हमें गर्व हो। साथ ही, ऐसे उत्पाद निर्यात के लिए भी उपयुक्त होंगे। माननीय मंत्री महोदय कृपया इस बिंदु पर ध्यान दें।

मेरा अन्य बिंदु यह है कि जब हम अपने देश के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि मध्यकालीन समय में, गुप्त वंश और अन्य कालखंडों में, हमारा देश एक महाशक्ति था। उस समय भारत में श्रेष्ठ उत्पादों का निर्माण होता था, जिसके कारण कई आक्रमणकारी भारत आए। उस समय हम विश्व के बड़े विनिर्माणकर्ता थे। दुर्भाग्यवश, समय के साथ हमने वह बढ़त खो दी और निर्माण की वह कला भूल गए।

मुझे लगता है कि यह एक अच्छा आरंभ है। हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु, मैं दो बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूँ—पहली बात, सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि शिक्षा पर किया गया व्यय मात्र व्यय है। वास्तव में, यह देश के विकास में एक निवेश है।

दूसरी बात, "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से ट्रिपल आईटी और हर राज्य में एक-एक डिजाइन संस्थान की समन्वित योजना बनाई जानी चाहिए, जिससे हमें उत्तम उत्पादन मिल सके।

तीसरी बात, उन राज्यों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनमें अच्छी संभावनाएँ हैं, ताकि जिन उत्पादों के निर्माण की हम कल्पना कर रहे हैं, उसमें शीघ्र प्रगति हो सके।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदय, हालांकि मैं उन्हें कुछ समय ही सुन पाया, फिर भी मैं उनके भाषण से अत्यंत प्रभावित हूँ क्योंकि संसद और देश को ऐसे रचनात्मक, सारगर्भित तथा विचारोत्तेजक विमर्शों की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्य के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को ऐसे समय में लाने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब देश को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है।

सबसे पहले मुझे जसपाल समिति की रिपोर्ट पर बात करने दीजिए। वर्ष 2009 में, इस समिति ने ऐसे संस्थान खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया है जहां शिक्षा की गुणवत्ता प्राथमिक महत्व की होगी। हमें इस विधेयक का ऐसे समय में स्वागत करना चाहिए जब जसपाल समिति की रिपोर्ट में देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता की पहचान की गई है। इसलिए, विधेयक बिल्कुल समयोचित है।

फिर, मैं भारतीय छात्रों में तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता और उनकी रुचि पर बात करना चाहूंगा। वर्ष 2006-07 में लगभग 6.5 लाख छात्रों ने तकनीकी शिक्षा को चुना था। जबकि 2013-14 में यह संख्या बढ़कर 16 लाख से अधिक हो गई। यह बढ़ती रुचि दर्शाती है कि भारतीय छात्रों में तकनीकी शिक्षा के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। अतः इस विधेयक की आवश्यकता स्पष्ट है।

विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बात करें तो, वर्ष 2015-16 तक आईटी उद्योग के 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। इसमें से 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर केवल आईटी सेवा क्षेत्र से आएंगे। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह विधेयक समयोचित और अत्यंत आवश्यक प्रयास है ताकि ट्रिपल आईटी की स्थापना की जा सके और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जा सके। इसके लिए मैं सरकार और माननीय मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ।

यह कहते हुए, मैं कुछ तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जिन्हें इस विधेयक में समुचित रूप से शामिल नहीं किया गया है। मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति ने कई सुझाव दिए थे, जिन्हें इस विधेयक का हिस्सा बनाया जाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश, उनमें से कई सुझावों को शामिल नहीं किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे इन महत्वपूर्ण सुझावों पर पुनः विचार करें।

इसके अतिरिक्त, कई हितधारकों से परामर्श नहीं लिया गया। यदि विश्व समुदाय भारत को किसी क्षेत्र के लिए जानता है, तो वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। हमारे देश में आईटी क्षेत्र के कई दिग्गज हैं, जिनसे परामर्श किया जाना चाहिए था। उनके सुझाव इस विधेयक को और अधिक सशक्त बना सकते थे।

इसके अलावा, जैसा कि मेरे सम्माननीय साथी ने भी उल्लेख किया, गुणवत्तापूर्ण संकाय सदस्यों की भारी कमी है, जो इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस विधेयक में इस विषय पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है।

छात्रों और कर्मचारियों दोनों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की भी अनुपस्थिति है, जो मेरी दृष्टि में इस विधेयक का हिस्सा होना चाहिए था।

अब, हम आज जिन चार राष्ट्रीय ट्रिपल आई.टी.– इलाहाबाद, जबलपुर, ग्वालियर और कांचीपुरम – की बात कर रहे हैं, वे 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आईटी निवेश और देश तथा विश्व में छात्रों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

अतः देश भर में ऐसे और अधिक संस्थानों की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ट्रिपल आई.टी. अवश्य होना चाहिए। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि ओडिशा राज्य में, जहाँ से मैं आता हूँ, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र बालासोर में एक ट्रिपल आई.टी. की स्थापना की जाए, क्योंकि बालासोर पूर्वी भारत के सर्वाधिक साक्षर जिलों में से एक है।

अंत में, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे जिले में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की। एक बार पुनः मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): सभापति जी, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी बिल 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था। मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक उदाहरण उद्धृत करने में स्वाभिमान महसूस हो रहा है। उन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की कल्पना करते वक्त 1935 में कहा था कि राष्ट्र बनाने के लिए, राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की ज़रूरत है, उसी तरह से राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए तकनीकियों की ज़रूरत पड़ेगी। यही कारण है कि बी.एच.यू. एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनी थी जहाँ भाषा, संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य और सबसे सर्वोपरि था बी.एच.यू. का टैक्नोलाजी डिपार्टमैंट जो आज दुर्भाग्य से आई.आई.टी. का हिस्सा बन गया है। आप जितने पुराने इंजीनियर्स का नाम लीजिए, चाहे वे दक्षिण भारत के हों, मध्य भारत के हों, पश्चिम भारत के हों, चाहे वे उत्तर भारत या पूर्वी भारत के हों, बी.एच.यू. का प्रोडक्ट कोई इंजीनियर आपको कहीं सुदूर असम में मिल जाता है, कहीं सुदूर तमिलनाडु या केरल में मिल जाता है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में मिल जाता है, महाराष्ट्र में मिल जाता है और कहीं पंजाब में भी मिल जाता है, कश्मीर में मिल जाता है, जो किसी समय के बी.एच.यू. से पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं, तो गौरव महसूस होता है। उस वक्त के जो हमारे पूर्व पुरुष थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का ठेका उठा रखा था, उस वक्त जो कर्णधार थे इस राष्ट्र के, उन्होंने जो इसको तैयार किया, यह उस वक्त का उनका सपना था। आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने तीन चीज़ें सामने रखी हैं। उन्होंने इन तीन चीज़ों को सामने रखते हुए एक चीज़ पर ध्यान दिया है कि हम सैकेन्ड लार्जेस्ट पापुलेटेड कंट्री हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है और उसके बाद भारत की है। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि ज्यादा जनसंख्या राष्ट्र के लिए एक बोझ है पर हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी ने इसको बोझ नहीं समझा। इस जनसंख्या को किस तरह से जनशक्ति में बदला जा सके, उसके लिए एक रास्ता ढूँढ़ा है और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि इस ह्यूमन नंबर को हम ह्यूमन रिसोर्स में कैसे बदलें। वैसे तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमैंट डिपार्टमैंट 90 के दशक में यूनाइटेड नेशन के कहने पर आया था, उससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाता था, पर उसका सही काम

अब शुरू होने जा रहा है और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया - ये तीन तरह के कंसैप्ट सामने रखे। किन्तु इन तीनों चीज़ों के लिए जिस इनफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस इनफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ बनाना है। पर ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ में बहुत कमज़ोर हैं। हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी को पता है कि यह आर्यभट्ट का देश है। जिस आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को ज़ीरो का कंसैप्ट दिया, जिनको शून्य क्या होता है, उसका पता नहीं था, जिन्होंने सारी दुनिया को 13 फार्मूला ऑफ एलजैब्रा दिया, वह आर्यभट्ट इसी देश के थे, हमारे पूर्व पुरुष थे। जब सारी दुनिया में वाई टू के का प्राबलम पैदा हुआ था, उस वक्त हमारे देश के मध्य वित्त परिवार और निम्न मध्य वित्त परिवार के बच्चे, जिनके माँ-बाप ने अपने घर के गहने और घर गिरवी रखकर स्कूलों, कालेजों में उनको आईटी की शिक्षा दी थी, उन बच्चों ने जाकर पूरी दुनिया का वाईटूके का प्राबलम साल्व किया था और वे आईटी एंबैसेडर बने थे।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

आज एक मौका है कि जिस वक्त हम कल्पना कर रहे थे चाहे अमरीका में इंटेल की इंडस्ट्री में चले जाइए चाहे मटरोला में चले जाइए, चाहे डेल की फैक्टरी में चले जाइए। आपको वहां हर आदमी भारतीय दिखेगा। आपको आश्चर्य होगा कि अमरीका में इंटेल की फैक्टरी में सवेरे का ब्रेकफास्ट साउथ इंडियन फूड है क्योंकि वहां सारे खाने वाले साउथ इंडियन हैं। मटरोला की फैक्टरी में चले जाइए, वहां इंडियन फूड है। उनकी कैंटीन में वेस्टर्न फूड नहीं मिलता है क्योंकि वहां काम करने वाले इंडियन हैं। वहां जो बच्चे साफ्टवेयर लिख रहे हैं, वे भारतीय बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों के साफ्टवेयर के आधार पर हार्डवेयर भी बनता है। हमारे एक विद्वान मित्र कह रहे थे कि अमरीका सोचता है, मैं कहना चाहता हूं कि अमरीका हमारे दिमाग से ही सोचता है। हमारे जो कर्णधार हैं, वे ही उसका ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं और वही ब्लू प्रिंट वहां पास होता है। [अनुवाद] इस विचार की उत्पत्ति भारतीयों द्वारा हुई है। इसका अवधारणात्मक विकास अमेरिकियों द्वारा किया गया, लेकिन अन्ततः इसे साकार भारतीयों ने किया। अंत में, इसका निर्माण चीन में होता है और अन्ततः आप इसे खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए, आपको उपभोक्ता कहा जाता है और हम सदैव उपभोक्ता ही बने रहते हैं।

अपराह्न 4.02 बजे (श्री हुकुम सिंह *पीठासीन हुए*)

हमारा यह पैसा बाहर न जा सके, जैसा मंत्री जी ने कहा, डिलाइट की रिपोर्ट सही कहती है, कि एक दिन ऐसा आएगा जैसा कि आज सबसे ज्यादा फारेन एक्सचेंज क्रूड ऑयल के लिए जाता है, एक दिन इससे भी ज्यादा हमारा फारेन एक्सचेंज हार्डवेयर खरीदने के लिए जाएगा। मैं दो चीजें ले कर घूमता हूं। एक मेरा फोन है और दूसरा मेरा आई-पैड है। दोनों ही कम्प्यूटर हैं और मैं समझता हूं कि भारत का शिक्षित जवान अपने साथ आज एक कम्प्यूटर ले कर घूम रहा है। कम्प्यूटर की तकनीक हमें पता है। वह हमारे बच्चों द्वारा बनाई गई है। उसका साफ्टवेयर हमारे बच्चों ने बनाया है लेकिन हम जिस पैसे से खरीद रहे हैं, वह पैसा चीन में जा रहा है। यह जो कंसेप्ट है कि " मेक इन इंडिया " हम जब बनाएंगे, तो बनाने के लिए जिन चीजों को लागू करना है, वह लागू करने का पंडित मदन मोहन मालवीया जी का सपना है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें टेक्नोलोजिकल लीडर्स पैदा करने पड़ेंगे, उसकी जरूरत है और उसकी शुरूआत इन चार इंस्टीट्यूट्स से समाप्त नहीं होती है। मैं अपने पूर्ववक्ताओं से पूरी तरह सहमत हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा और मंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कि वे आह्वान दें, क्योंकि विश्व के जितने भी तकनीकी विश्वविद्यालय हैं या तकनीकी डिपार्टमेंट हैं या फैकलटी हैं, वहां का जो हैड आफ दि डिपार्टमेंट है वह इंडियन है। वह इंडियन वहां पढ़ा रहा है और उसी के पढ़ाए हुए, उसी से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए छात्र दुनिया में नाम कमा रहे हैं। उन्हें भारत में आने का आह्वान देना चाहिए। एक नया सपना सेल्फ रिलायंस का हमने देखा है। सेल्फ रिलायंस के सपने में कुछ और नहीं तो कम से कम हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, क्योंकि हम राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो उस तरह की फैकलटी की जरूरत है, उस तरह की व्यवस्था की जरूरत है और उसके लिए मैं समझता हूं कि यह काम जो शुरू किया गया है, यह अंततः सही रूप तभी ले सकेगा जब हम उसकी पूरी कमांड खड़ी करेंगे। इसी आईसीटी में इन्हीं टेक्नोलोजी के माध्यम से युद्ध सेनाओं के बीच में नहीं होगा, आज मिसाइल से युद्ध नहीं होगा, आज युद्ध न्यूक्लियर से भी नहीं होगा, किंतु आपके न्यूक्लियर चलाने वाले जो कम्प्यूटर हैं, उन्हें हम हैक करके बर्बाद कर देंगे। आज युद्ध साइबर सोल्ज़र द्वारा होगा। अगर साइबर सोल्ज़र भी तैयार करने हैं तो उन्हें जो ईथीकल हैकिंग का कांसेप्ट देना है या उसकी पढ़ाई-लिखाई करनी है वह भी हमें इंफोर्मेशन

कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी के माध्यम से ही देनी है। उनके पास भी ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जिनसे कि उन्हें यहां बैठ कर सब चीजों का पता चल सके। हमें इन चीजों का पता नहीं चलता। रोज पाकिस्तान का अटेक होता है, हमें दिखता है, बार्डर पर जब गोली चलती है, जिसकी आवाज सुनाई पड़ती है, उसकी बात सुनाई पड़ती है, किन्तु रोज जो हमारे कम्प्यूटर हेक किए जाते हैं या हमारे लोग जो उनके कम्प्यूटर हेक करते हैं, उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। यह एक ऐसी टैक्नोलॉजी है, जो भविष्य में पूरे सिस्टम को, पूरे देश को क्रिपल कर सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आपका एयरपोर्ट का जो एयर ट्रेफिक कंट्रोल है, अगर वह हेक हो गया तो आपके यहां या तो एक्सीडेंट हो जाएंगे और या कोई जहाज उतर नहीं सकेगा। उसी तरह फौज का जो टर्मिनल है, वह हेक हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इंडियन एयरफोर्स को कमांड देते रहिए, आपके जहाज उड़ेंगे ही नहीं। अब इस तरह की टैक्नोलॉजी भी सामने आ रही है। हमें सिर्फ ये कम्पीटिशन मेक-इन-इंडिया के लिए नहीं, ऐसे मेघावी बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमें फेकेल्टी की जरूरत है और फेकेल्टी के साथ-साथ रिसर्च की भी जरूरत है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी एक आह्वान करें कि विदेशों में जो भारतीय बैठे हैं, इस तकनीक को पढ़ा रहे हैं और दूसरे देशों को लाभान्वित कर रहे हैं, उनको लाभान्वित न करके, उनको थोड़ी सी यहां पर फ्रीडम दी जाए। उनको शोध करने का अवसर दिया जाए और वे यहां पढ़ा कर ऐसे बच्चे तैयार कर सकें, ऐसा शिक्षण और प्रशिक्षण दे सकें कि हम एक स्वाभिमानी, गौरवमयी भारत का निर्माण कर सकें, यही कह कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एन. रामचंद्रन (श्रीपेरम्बुदुर): माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक लाने का बिल्कुल उपयुक्त समय है। एक शिक्षाविद् होने के नाते, मैं समझता हूं कि यह बहस और चर्चा का सही समय है। यह विधेयक सही समय पर संसद में लाया गया है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के लिए यह सर्वथा उपयुक्त समय है। वर्तमान परिदृश्य भी इसके अनुकूल है। इस समय, आईटी शिक्षा और आईटी संस्थानों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। पिछले कुछ वर्षों में, छात्रों ने तकनीकी शिक्षा, विशेषकर आईटी शिक्षा को लेकर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, टीसीएस और इंफोसिस जैसी कंपनियां भी कठिनाई के दौर से गुजर रही हैं। इस विधेयक के प्रस्तुत होने से हमें एक नई आशा मिली है। यह सही समय है। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और सरकार का इस विधेयक को लाने के लिए विनम्रतापूर्वक धन्यवाद करता हूं। मैं निश्चित रूप से इसका समर्थन करता हूं।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, दो वर्ष पूर्व, हमारी हमारी *अम्मा* और राज्य सरकार ने तकनीकी और अन्य छात्रों को तीन लाख लैपटॉप वितरित किए थे। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा सभी छात्रों, विशेषकर इंजीनियरिंग, संचार और आईटी पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले छात्रों को सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक विनम्र अनुरोध है कि केंद्र सरकार को छात्र समुदाय और युवा पीढ़ी के आधार के रूप में कार्य करना चाहिए। यह विधेयक बिल्कुल उचित है। इस विधेयक के माध्यम से हमें सॉफ्टवेयर पार्क और हार्डवेयर पार्क स्थापित करने चाहिए।

आजकल योग्य संकाय सदस्यों की नियुक्ति भी एक कठिन कार्य बन गया है। केंद्र सरकार को इसमें रुचि लेनी चाहिए और संकाय विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे छात्र अमेरिका और अन्य देशों में जाकर आगे की पढ़ाई और नौकरियां कर रहे हैं। आज चीन हमसे आगे निकल चुका है। हमें इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। इसके लिए शिक्षाविदों और शिक्षा विशेषज्ञों की एक विशेष समिति या टीम का गठन किया जाना चाहिए। यह मेरा विनम्र सुझाव है। हम इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि अपने देश में शिक्षा के विस्तार के लिए, मानव संसाधनों के विकास के लिए और समाज के उत्थान में इस बिल के बहुत बड़े योगदान को देखते हुए मैं इनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो चार संस्थान बनेंगे, उससे जो छात्र शिक्षा ग्रहण करके निकलेंगे वे आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे।

महोदय, वह भी एक समय था जब कि हम अमेरिका के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, हमने कहा कि हमें कंप्यूटर चीप चाहिए लेकिन अमेरिका ने कम्प्यूटर चीप तो नहीं दी, बल्कि अंकल चीप हमारे हाथ में पकड़ा दी। इसी तरह से हम रूस के बहुत बड़े मित्र माने गए, हमें पूरी आशा थी कि रूस हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक देगा। लेकिन हमारे लाख प्रयत्नों के बावजूद रूस ने हमें वह टेक्निक नहीं दी। आज हिन्दुस्तान को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी सोच सारे विश्व में निराली है। जो लोग कल तक भारत को सपेरों का देश कहा करते थे, बाजीगरों का देश कहा करते थे, आज हिन्दुस्तान की इस महान भूमि से एक ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने आया, जो अमेरिका कल तक हमारे ऊपर प्रतिबंध लगता था, वहीं आज माननीय बराक ओबामा खुलकर भारत का स्वागत करते हैं। क्या परिदृश्य बदला है, आज से दस साल पहले अमेरिका कहा करता था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम काम है, आज वही अमेरिका कह रहा है मोदी जी के लिए दिल की महफिल सजी है चले आइए, बस आपकी कमी है चले आइए। आज चाहे आस्ट्रेलिया हो, चाहे सार्क के देश हों, चाहे ब्रिक्स के देश हों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी सार्क सम्मेलन में गए हैं। चारों ओर भारत की पताका फहरा रही है। मैं अभी मंत्री जी की चंडीगढ़ विजिट का वर्णन करना चाहूंगा। अभी मंत्री जी चंडीगढ़ गईं थीं, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे क्रांतिकारी कदम लाने वाली हैं। मैंने वहां से उनके मन की बात को भांपा कि किस तरह से जितने भी आईआईएम हैं, आईआईटी हैं, सभी छात्रों के लिए हर तरह की टेकनीक चाहे वह इंटरनेट की टेक्निक है, चाहे डिजिटल टेक्निक है। उन्होंने घोषणा की कि देश के हर छात्र को सभी टेक्नोलॉजी प्रदान कराने के लिए इसे वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी। आज जब मैं सदन के अंदर आया तो एक क्रांतिकारी सप्लीमेंटरी बिजनेस

की जो लिस्ट प्राप्त हुई, उससे हमें लगा कि भारत फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया के सामने अपना स्थान बनाएगा। इन संस्थानों के अंदर एक और अच्छी बात रखी गई है कि इसमें प्रवेश पाने के लिए न कोई नस्ल होगी, न कोई धर्म होगा, न कोई जाति होगी। बल्कि हिन्दुस्तान के करोड़ों अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो अपनी फाइनेंशियल स्थिति के कारण पिछड़ गये हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगा। इन संस्थानों में ऐसे छात्रों को हर प्रकार की मदद देने का प्रावधान किया गया है।

मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी कोई नयी पहल होती है, जैसे कहा गया कि "हम अकेले चले थे मंजिल की ओर, लोग मिलते चले गये, कारवां बनता चला गया।" आज ये चार संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन रहे हैं। यहां से प्रतिभाशाली छात्र शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेंगे। आने वाले समय में न जाने कितने इस प्रकार के संस्थान खड़े होंगे जो भारत को विश्व में एक महान देश बनाने में हमारी मदद करेंगे। आज भी भारत इंटरनेट के क्षेत्र में तीसरे नम्बर पर है। हम संसार में चाइना और अमेरिका के पश्चात् तीसरे नम्बर पर इंटरनेट यूजर्स के रूप में आते हैं। लेकिन हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान जिस प्रकार से दिन-रात तरक्की करते जा रहे हैं, आने वाले समय में वह समय दूर नहीं होगा, जो हमारे प्रधान मंत्री का विजन है, वे चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे पछाड़ते हुए, अमेरिका को भी पीछे पछाड़ते हुए दुनिया का नम्बर वन राष्ट्र बने, ये संस्थान इस प्रकार की प्रतिभाशाली शक्तियां पैदा करने में निर्णायक भूमिका निभायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आदरणीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्रीमती कविता कलवकुंतला (निजामाबाद): महोदय, इस अद्भुत विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करती हूं। शुरुआत में, मैं सदन का ध्यान गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बोले गए अद्भुत शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। गुरुदेव कहते हैं:

"अपने ज्ञान तक ही बच्चे को सीमित मत करो, क्योंकि वह किसी और समय में जन्मा है। "

ऐसे संस्थानों को भविष्य की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के संस्थानों को, जो हमारे देश के नाम को आगे बढ़ाने वाले हैं, भविष्यवादी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करना चाहिए। हमें केवल वर्तमान में ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन संस्थानों को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित करना चाहिए। जब मैं कहती हूं कि इन संस्थानों को भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तो इसका तात्पर्य है कि इन संस्थानों में शिक्षकों के प्रशिक्षण से लेकर छात्रों के चयन तक और शोध सुविधाओं के उन्नयन तक, प्रत्येक क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करना होगा तथा अधिक बल देना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना हमारे सकल घरेलू उत्पाद पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब हम तकनीकी शिक्षा में सुधार करेंगे तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था की विकास दर में प्रत्यक्ष वृद्धि देख पाएंगे।

महोदय, वर्तमान में चार IIIT संस्थान हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इन्हें केवल चार ही रहने दिया जाए। किसी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक संस्थान होना चाहिए। हालांकि मैं एक नए राज्य से हूं, और मुझे अपने राज्य में एक प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना होने से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैं कतई नहीं चाहती कि संस्थानों की गुणवत्ता में कोई गिरावट आए। हमें भले ही थोड़े वैज्ञानिक तैयार करने हों, परंतु हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करें। ।

हमारे जो भी संस्थान रहे हैं, जो भी आधारभूत संरचनाएं रही हैं, उनके माध्यम से हमारे देश के लोग बाहर गए और उन्होंने हॉटमेल जैसी विश्व प्रसिद्ध सेवाएं बनाई। यह एक बहुत बड़ी सफलता रही। हमने देखा कि हमारे कई वैज्ञानिक सिलिकॉन वैली को समृद्ध कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारे कई वैज्ञानिक देश से बाहर

प्रवास कर गए। आज जब हम इस प्रकार के संस्थानों के बारे में बात करते हैं और सरकार जब इन पर इतना अधिक धन, संसाधन और ऊर्जा व्यय करती है, जब हम इन वैज्ञानिकों को तैयार करते हैं, तब वे सभी बाहर चले जाते हैं। हमें इस नवोन्नत वर्ग के वैज्ञानिकों के देश से पलायन को रोकना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी क्षमताओं और शोध का उपयोग हमारे अपने देश में हो। चाहे वह रक्षा क्षेत्र हो, चाहे इसरो की मंगलयान जैसी सफलता हो। यह अभियान अमेरिका की लागत के एक-चौथाई खर्च में पूरा किया गया। जब हम यह कर सकते हैं, तो मेरा विश्वास है कि इन संस्थानों में जो भी तकनीक विकसित हो, उसका पूरा उपयोग देश के भीतर होना चाहिए।

महोदय, मुझे नहीं पता कि हम इस विधेयक में कोई संशोधन कर सकते हैं या नहीं, किंतु मेरा निवेदन है कि इन संस्थानों की संख्या को चार तक ही सीमित रखा जाए। इन संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे मध्यम स्तर के उद्योग स्थापित कर सकें। सरकार इन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करे और उन्हें उद्योग स्थापित करने में मदद करे। हमें अधिक उद्योगपतियों को तैयार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा देश विश्व में नाम कमाए। विशेषकर, जहां आज हमारे मौजूदा संस्थानों में कुछ कमियाँ हैं, चाहे वे आईआईएम हों या पहले से स्थापित आईआईटी, जो विश्व स्तर पर उच्च रेटिंग प्राप्त करते हैं, वहाँ भी हमारे वैज्ञानिकों के शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय अकादमिक पत्रिकाओं में दिखाई नहीं देते। इतने बड़े तकनीकी मानव संसाधन के बावजूद, हमारा देश आज भी बहुत कम अंतरराष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं का संचालन कर रहा है। हमारे सभी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को इन संस्थानों का समर्थन करना चाहिए ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं का संचालन कर सकें, जिससे हमारे कॉलेजों के छात्रों को वैश्विक अवसर मिल सकें।

महोदय, जब हम आज भी आर्यभट्ट के द्वारा शून्य के आविष्कार, नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय की विरासत की बात करते हैं, जिन्होंने देश के लिए एक महान परंपरा पीछे छोड़ी थी। कल जब कोई 100 वर्षों के बाद इन ट्रिपल आईटी के बारे में बात करेगा, तो मैं माननीय श्रीमती स्मृति जी से अनुरोध करती हूं कि वे पारंपरिक सोच से हटकर सोचें। शासन एक सतत प्रक्रिया है। आज सत्ता में आप हैं, कल कोई

और हो सकता है, किंतु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर वर्ष इन संस्थानों के लिए अनिवार्य रूप से वित्तीय सहायता दी जाए। हमें हर वर्ष आबंटित किए जाने वाले बजट का निर्धारण करना होगा। कल यदि कोई और सरकार आए और इस विषय पर उनका ध्यान कम जाए या उन्हें इनमें कम रुचि हो तो इन संस्थानों को नुकसान न हो। जैसा कि मेरे मित्र डॉ. बूरा नरसैय्या गौड ने कहा, इन संस्थानों को निरंतर प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इन संस्थानों में किया गया कोई भी निवेश वास्तव में देश के भविष्य के लिए किया गया निवेश है। यदि विधेयक में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, तो मैं आग्रह करती हूं कि सरकार इस बात की प्रतिबद्धता दे कि वह प्रत्येक वर्ष एक सुनिश्चित बजट प्रदान करेगी।

माननीय महोदया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि वर्तमान में चार संस्थान हैं, जिनमें से कुछ में प्रबंधन, कुछ में डिजाइन और एक संस्थान में केवल सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जा रही है। शुरुआत में, हमें इन चारों संस्थानों को एक समान स्तर पर लाना चाहिए और फिर आगे बढ़ने के लिए उनका विकास करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्हें कैसे समान बनाया जाए और प्रत्येक संस्थान को कितनी राशि प्रदान की जाए, यह भी विचार-विमर्श का विषय रहेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान अध्याय 4.28 में उल्लिखित बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इसमें कहा गया है कि सरकार प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस प्रकार धनराशि देगी और इस तरीके से देगी जैसा कि वह उचित समझे। इसका क्या अर्थ है? इस विषय की गहनता से समीक्षा होनी चाहिए। इन संस्थानों को कुछ निधि की गारंटी मिलनी चाहिए ताकि डीन या संबंधित अधिकारी अपनी आर्थिक योजना उचित रूप से बना सकें।

एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी मैं वास्तव में सराहना करती हूँ, वह अध्याय 3.22 में उल्लिखित है, जिसमें कहा गया है: "प्रत्येक संस्थान में एक अनुसंधान परिषद होगी।" अनुसंधान परिषद की स्थापना एक अत्यंत सराहनीय पहल है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इन्हें कितनी स्वतंत्रता दी जाएगी और अनुसंधान परिषद का उद्योग जगत से किस प्रकार संपर्क एवं समन्वय स्थापित किया जाएगा? चाहे वह रक्षा क्षेत्र हो, इसरो हो अथवा हमारा स्वयं का आईटी उद्योग हो — यह एक चिंता का विषय है।

महोदया, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने अपनी अभियांत्रिकी की पढ़ाई भारत में की और मुझे विदेश जाकर भी अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ। अनुभव की दृष्टि से तुलना करें तो, हमारे संस्थान अभी भी विदेशी संस्थानों के समकक्ष नहीं हैं। फिर भी, हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में बड़ी संख्या में मेधावी और कठिन परिश्रम करने वाले युवा मौजूद हैं। कृपया उन्हें पूरा समर्थन दें। साथ ही, इन संस्थानों से स्नातक होने वाले विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने की कृपा करें ताकि वे उद्योग स्थापित कर सकें और देश की सेवा कर सकें।

मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति जी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी बिल, 2014 माननीय मंत्री जी लाई हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। देश को इसकी बहुत जरूरत थी। आज देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, काम करने वाले नवयुवक देश के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, उनकी जरूरत को सोच में लाए हैं।

भविष्य की चिन्ता करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवकों के आगे बढ़ने के लिए जिन-जिन संस्थानों के लिए, जैसे पहले इलाहाबाद, जबलपुर, ग्वालियर, कांचीपुरम में जो संस्थान बने हुए हैं, इसके बच्चों को इतना दूर जाना पड़ता है और देश में जिसकी जरूरत महसूस की जाती है, हम आज देखते रहते हैं कि आज हमारे प्रतिभावान लड़के कैसे भीतर दबते जाते हैं, उनकी स्थिति आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती है, जितनी उनकी सोच है, उतना उनको नहीं मिल पाता था। आज प्रधानमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॅजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से संबंधित जिस प्रकार की सोच लाये हैं, हर देश में इसकी मांग है। हमारे देश के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते थे और भारत के जो लोग विदेशों में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो आज कुछ देश को देकर जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। जैसे हमारे पंडित मालवीय जी, हमारे आर्यभट्ट जी का नाम आज लिया जा रहा है, यह देखने को मिलता है कि हम लोग जिस अच्छे काम के लिए आये हैं, जिस सोच के लिए आये हैं, आज वह दिन आ गया है, आज वह स्थिति आ गयी है कि हम लोग आगे बढ़कर उस काम को करने में ट्रीपल आईटी को बनाने में दुनिया को संसाधन देने के लिए जिस तरह की उत्सुकता जाहिर हो रही है और हम लोग सोचते हैं कि हम अपने काम को आगे बढ़ायें और अपने देश का नाम ऊँचा करें, इसलिए हर समय सूचना के क्षेत्र में हम देखते हैं, हम जब गूगल खोलते हैं, तो देश-विदेश की हर चीजें हमें देखने को मिलती हैं। टेलीफोन में आज जितनी चीजें हम देख पाते हैं, वे पहले नहीं थे। इसके विस्तार के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा देश सोच रहा है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत-

बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आज सवा सौ करोड़ की आबादी किस प्रकार जी रही है। कैसे अपने को आगे रखने के लिए बेचैन है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसी सोच है, मेक इन इंडिया और डिजीटल इंडिया की उनकी सोच है। जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, वे कहते हैं कि मैं यह डिग्री लेकर बैठा हूं, कितने इंजीनियर्स बने हुए हैं, कितने डाक्टर्स बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है, उसका सही रूप देने के लिए आज यह बिल आया है। श्री जगदम्बिका पाल जी ने इसके संबंध में बहुत सारी बातें कही हैं, उनकी बातों का मैं समर्थन करती हूँ और इस बिल का मैं हृदय से समर्थन करती हूँ। देश-विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम हो रहा है, जब वे विदेश जाते हैं, तो उन्हें जो सम्मान मिल रहा है, वे जनता के लिए बोल रहे हैं, जनता के हक के लिए बोल रहे हैं, तो आज कथनी और करनी बराबर होनी चाहिए। पहले के लोग केवल भाषण दे देते थे। लेकिन जनता के विषय में नहीं सोचते थे, युवाओं के विषय में नहीं सोचते थे, प्रतिभा के विषय में नहीं सोचते थे। आज प्रतिभावान बच्चे बढ़-चढ़कर काम करने के लिए उत्सुक हैं, कामों के लिए यह जो बिल लाया गया है उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और यह चाहती हूं कि इसका रूप धरातल पर उतरे।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका बुत्ता (कुरनूल): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। जब हम अपने देश में सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की बात करते हैं, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गुणवत्ता होनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जैसा कि श्रीमती कविता कलवकुंतला ने उल्लेख किया, संस्थानों की संख्या सीमित और नियंत्रित होनी चाहिए। मैं उनके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अत्यंत आवश्यक है। हम शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित कर सकते हैं और संस्थानों का विस्तार कर सकते हैं। यदि हमारे पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और मार्गदर्शक नहीं होंगे, तो केवल संस्थानों का विस्तार करना अच्छे परिणाम नहीं देगा।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में हमारे देश में छात्रों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन बहुत कम छात्रों को प्रवेश का अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि हर छात्र देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहता है। हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की कमी है, इसलिए हर बच्चा उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाना चाहता है और अधिक से अधिक ज्ञान प्रपट करना चाहता है। हम अपने देश में ही वैसी शिक्षा क्यों नहीं प्रदान कर सकते? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने संकाय को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे उस स्तर की शिक्षा दे सकें। हमें शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम शुरू करने होंगे। हम अन्य देशों के साथ समझौते कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु भेज सकते हैं और शिक्षक आदान-प्रदान नीतियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आजकल विद्यालय स्तर पर भी शिक्षक आदान-प्रदान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जहाँ हम अपने शिक्षकों को विदेश भेजते हैं और विदेशी शिक्षक हमारे देश में आकर हमारी शिक्षा प्रणाली को समझते हैं।

अतः मेरा सुझाव है कि हमें अधिक से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए ताकि हमारे शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। इसके अतिरिक्त, जब हम गाँवों और छोटे स्थानों के विकास की बात

करते हैं, तो वहाँ शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सरकारी विद्यालयों में वह गुणवत्ता क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ बच्चों को बुनियादी समझ और शिक्षा मिल सके? यदि हम बच्चों को प्रारंभिक स्तर से अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो वे कैसे आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश कर पाएंगे? अतः मेरा मानना है कि सबसे पहले सरकारी शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित करना चाहिए और उन्हें उस स्तर तक पहुँचाना चाहिए, जहाँ वे प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह किसी दूरस्थ क्षेत्र से हो, अच्छी शिक्षा दे सकें। तभी हम ऐसे संस्थानों की स्थापना कर पाएंगे जो न केवल संख्या में बल्कि गुणवत्ता में भी हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदय, मैं एचआरडी मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत दि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। अभी पिछले चुनावों में भारत के लोगों ने बहुत ही आशाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को चुना है। इस सरकार के साथ देश के लोगों की बहुत आशाएं-आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं और सरकार ने भी पूरी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए हर उस क्षेत्र में जहां सुधार की गुंजाइश है, कैसे हम अपने देश को आगे लाएं, उसके लिए पिछले छः महीने से काम किया है। इसी का परिणाम है कि विरोधी दल चाहे कुछ भी कह रहे हों, लेकिन देश की जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उनके मंत्रियों को मिल रहा है। पिछले छः माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत से सुधारों के साथ इस देश में अपार संभावनाएं पैदा की हैं और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी दुनिया की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिस तरीके से बताया कि हमारे देश के बहुत से योग्य नौजवान, जो इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में उनकी सेवाओं को लिया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में व्यवस्था न होने के कारण इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम उनका जिस तरह से उपयोग कर सकते थे, वह नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बिल आया है, यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह जो विचार आया है कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए फैकल्टीज का निर्माण करके, रिसर्च की सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उन सबके लिए हम एक ऐसा विधेयक लाएं जिससे सारी चीजें व्यवस्थित हो सकें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है।

मेरा ऐसा विचार है कि पूरे सदन को सर्व-सम्मति से इसे पारित करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में देश की मजबूती के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में आज भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है और 6 महीने पहले जब चुनाव हो रहा था तो भारत में हताशा और निराशा का माहौल था, देश के लोग

हताश और निराश हो चुके थे, सीमाओं पर असुरक्षा थी, महंगाई बढ़ी हुई थी, भ्रष्टाचार था, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान घटा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है और पूरी दुनिया को भी यह विश्वास हुआ है कि मौजूदा सरकार में सोचने का एक नया तरीका है, काम करने की योग्यता और क्षमता है। इसी के कारण हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि भारत के बारे में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी जहां भी जा रहे हैं वहां पर उनका केवल स्वागत ही नहीं हो रहा है वहां पर लोग उनके विचारों को सुनते हैं और उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि माननीय प्रधान मंत्री जी जब फिजी और आस्ट्रेलिया की यात्रा पर गये थे तो उन्होंने भी विश्वासपूर्वक इस बात को कहा है कि जो हमारे लोगों का सपना था, जो हम सोचते थे कि भारत विश्व-गुरु दुबारा बनेगा, उसी रास्ते पर हम लोग बढ़ चुके हैं और निश्चित रूप से जैसा कि हमारी सरकार सोचती है, उसमें सूचना प्रोद्योगिकी का आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। अगर हम अभी से इसके लिए तैयार नहीं होंगे, अभी से हम इसके लिए व्यवस्थाएं ठीक नहीं करेंगे, जैसे अभी हमारे अहलूवालिया जी ने कहा कि हमारे नौजवान जो बाहर चले गये हैं उन्हें हम इस तरह से आकर्षित करें कि वे अपने देश में आकर सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े-बड़े काम करें, जिससे इस देश को उनकी प्रतिभा और योग्यता का लाभ मिल सके। इसके लिए निश्चित रूप से इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत विस्तार से इस विषय में कहा है। मैं भी इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और पूरे सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग इस विधेयक का समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को आईटी इंडस्ट्रीज, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं उसके बढ़ने से भारत मजबूत होगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और सरकार ने आईटी के क्षेत्र में संगठित व्यवस्था करने की जो चिंता व्यक्त की है वह वास्तव में बहुत आवश्यक थी। आने वाले समय में हम अपनी क्षमता और योग्यता का लाभ उठा सकें, इसलिए इस विधेयक को पारित करना आवश्यक है और हमारी माननीया मंत्री ने जो इसके लिए योजना बनाई है, हम सभी लोग उसका समर्थन करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : आज जो इंडियन इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी बिल, 2014 आया है, मैं स्वागत करता हूं सरकार के इस प्रस्ताव का कि पहला कदम सरकार द्वारा इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी का महत्व समझकर इस संदर्भ में उठाया गया है। इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी हमारा भविष्य है और आज मोबाइल से लेकर स्पेसशिप तक हर चीज इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी से संबंधित चल रही है। हम कंपीट कर रहे हैं लेकिन हम वहां नहीं हैं आज जहां हमें होना चाहिए था। सबसे बड़ी समस्या जो इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी के संदर्भ में हमें प्राप्त होती है, जैसा अभी हमारे सीनियर सांसद अहलूवालिया जी बोल रहे थे कि आज हम किसी भी मल्टी-नेशनल कंपनी को उठाकर देखें, चाहे वह यूएस की माइक्रोसॉफ्ट हो, तो उसमें लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं। आज ऐपल में भी करीब 27 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं। आईटी हमारे यहां बहुत अच्छी है और हम लोग रिसर्च भी करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मगर जब नौकरी की बात आती है तो सारे के सारे आईटीयन्स दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं और जितना पैसा हमारी सरकार उन आईटीयन्स पर लगाती है वह सारा पैसा हमारी सरकार का नुकसान होता है। पार्लियामेंट में हर सांसद को एक ई-रीडर दिया जाता है और मैजोरिटी सांसद के पास अगर उठाकर देखेंगे तो आई-पैड होगा या सैमसंग का टैब होगा। दोनों ही इक्यूपमेंट हमारे देश से सम्बन्धित नहीं हैं। हमारे देश के बहुत से ऐसे आईआईटीएन्स हैं जो अपना प्रोडक्ट देश में लेकर आए। पिछले दिनों हमने दिल्ली में एक इक्यूपमेंट देखा, जिसका नाम आकाश था। 1200-1500 रुपये उसकी कीमत थी। सरकार की तरफ से उसके डेवलपमेंट के लिए कोई इनसेंटिव नहीं दिया गया।...(व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सुमित सिंह तुली, एक कनैडियन सिक्ख हैं, उनकी कम्पनी इसको बनाती है।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल में एक क्लॉज़ ज़रूर डालें, एक अमेंडमेंट आप प्रस्ताव के तौर पर लाइए कि जो इन आईआईआईटीज़ में से पढ़कर जाएंगे, कम से कम एक दशक नहीं तो पांच साल तक उनको हमारे देश में रिसर्च या नौकरी करनी होगी, उसके बाद ही वह पलायन करके जाएं। जो तकनीक और डेवलपमेंट है या जो रिसर्च हमारे देश में होती है, वह फोरन फंडिड होती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र हिसार में तीन इन्स्टीट्यूट्स हैं, जिनमें एक वेटनर्री इन्स्टीट्यूट है, रिसर्च के लिए

एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और एक इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का पैसा फोरन इनवेस्टर्स से आता है। जो भी हमारे देश में रिसर्च की जाती है उसका अंत में पेटेंट किसी और देश में होती है। इसलिए इन आईआईआईटीज़ में यह क्लॉज़ जोड़ा जाए कि जो भी रिसर्च की जाएगी, उसका हमारे देश में पेटेंट होगा, ताकि जो इनवेस्टमेंट होगी, वह हमारे देश में ही रहे।

महोदय, माननीय रक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनके संदर्भ में भी बोलना चाहूंगा कि आज हमारे आधिकतम डिफेंस रिलेटिड इक्यूपमेंट्स हैं, हम दूसरे देशों के साथ टाईअप करके, जिनमें फ्रांस, जापान, कोरिया, यू.एस., इज़राइल और रूस ला सकते हैं। इन चार आईआईआईटीज़ में यदि हम टाईअप करके डिफेंस को लाते हैं तो हम देश के सैनिकों को अच्छे इक्यूपमेंट्स प्रोवाइड करने में सक्षम रहेंगे।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रयास के बारे में यही कहना चाहता हूं, कविता जी चली गयी हैं, उन्होंने कहा था कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इन चार आईआईआईटीज़ पर इसको लिमिट करना होगा ताकि हम आने वाले समय में देश और दुनिया को दिखा सकें कि इन चार संस्थानों में से जो प्रोडक्ट निकले हैं, वह हमारे देश के लिए सुपीरियर और प्राइम हैं, जिसने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम करने का काम किया है।

महोदय, मैं मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए आभार प्रकट करता हूं। अपनी ओर से और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से आपके इस बिल का समर्थन भी करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रेमदास राई (सिक्किम): सभापति महोदय, मुझे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 से संबंधित चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मैं अपनी पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और इसके संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कहा गया है कि शिक्षा मानव संसाधन के विकास और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हम इससे पूर्णतः सहमत हैं। लेकिन शिक्षा वास्तव में क्या है? शिक्षा केवल किसी एक पक्ष के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यह अत्यंत दुखद है कि आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञानों पर कम से कम ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हम केवल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित हो गए हैं।

यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से शिक्षा प्राप्त की, जहाँ कला और सामाजिक विज्ञानों पर भी सम्पूर्ण ध्यान दिया गया था। इससे हमें न केवल प्रौद्योगिकी को समझने में, बल्कि अर्थशास्त्र, कला और संस्कृति को भी समझने में सहायता मिली, जो शिक्षा की व्यापक परिभाषा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। शिक्षा का अर्थ केवल किसी एक तकनीकी पक्ष को जानना नहीं है, बल्कि यह व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब हम इन त्रिपले आईटी का पुनःनिर्माण कर रहे हैं, तो उसमें समग्र शिक्षा और डिज़ाइन तत्वों का भी समावेश किया जाए।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, वह है विनिर्माण क्षेत्र का विकास। मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इस दिशा में सही कदम उठा रही है। आज हमारे देश की लगभग साठ प्रतिशत युवा आबादी 30 से 35 वर्ष से कम आयु की है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में देखें, तो पाएंगे कि बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में हैं। विनिर्माण क्षेत्र, जिसे अब तक उपेक्षित किया गया है, इसमें अपार संभावनाएँ हैं। हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में तो अग्रणी हैं, लेकिन हार्डवेयर डिज़ाइन में अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमें आशा है कि इस क्षेत्र में भी अधिक बल

दिया जाएगा ताकि आईआईटी से स्नातक होने वाले छात्र विनिर्माण क्षेत्र में भी योगदान दे सकें और सेवा क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र से भी देश की जीडीपी में वृद्धि हो।

अंत में, मैं अपने राज्य सिक्किम के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में रचनात्मक प्रतिभा प्रचुर मात्रा में है, शायद उस वातावरण के कारण जिसमें वहाँ के युवा पले-बढ़े हैं। सिक्किम के कई छात्र राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान जैसे संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यदि सिक्किम राज्य में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की स्थापना की जाए, तो यह अत्यंत सराहनीय होगा।

इन शब्दों के साथ, मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस विधेयक का इसके पूर्ण रूप में समर्थन करता हूँ।

*__श्री शेर सिंह घुबाया (फिरोज़पुर):__ मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे " भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014" पर बोलने का अवसर दिया। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूँ।

महोदय, वास्तव में देश तभी प्रगति कर सकता है जब अधिक से अधिक विद्यार्थी सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएँ। यह एक बहुत अच्छा विधेयक है। फिर भी, इसे और बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता है।

महोदय आईआईटी स्तर पर व्यवस्था अच्छी है, लेकिन अधिक छात्रों को माध्यमिक स्तर (मैट्रिक) से ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस स्तर पर छात्रों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। लाखों गरीब छात्र ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से आईआईटी में प्रवेश नहीं ले पाते। ये छात्र दूर-दराज़ के पिछड़े इलाकों से आते हैं जहाँ अध्ययन की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आईटीआई जैसे संस्थानों में प्रवेश का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसे छात्रों को अधिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

महोदय, कई छात्र विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित हुए बिना पाठ्यक्रम कर रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा प्रमाण पत्र तो प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में कोई शिक्षा या प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। ऐसे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता। इन परिस्थितियों को देखते हुए, सरकार को कौशल विकास प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्यथा, कौशल विकास केवल एक नारा बनकर रह जाएगा। सरकार को ऐसे फर्जी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी पंजीकरण तथा मान्यता रद्द करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के जो छात्र आईआईटी एवं आईटीआई जैसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उन्हें समय पर छात्रवृत्तियाँ नहीं मिलती हैं। कई वर्षों तक शैक्षणिक संस्थानों को

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

निधियाँ जारी नहीं की जातीं, जिससे कमजोर वर्ग के छात्रों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि कॉलेजों को समय पर अनुदान प्रदान किया जाए ताकि छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियाँ मिल सकें और प्रवेश में भी किसी प्रकार की समस्या न हो।

महोदय, कौशल विकास के संदर्भ में "कैच देम यंग" नीति अपनाई जानी चाहिए जिसके तहत हमें छात्रों पर छोटी उम्र से ही शिक्षा, प्रशिक्षण या मूल्यों को स्थापित करने के महत्व पर जोर देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे बच्चों को इस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। इससे कम शिक्षित वर्ग को भी आत्मनिर्भर बनने और आजीविका कमाने का अवसर मिलेगा।

महोदय, 'प्रतिभा पलायन' भारत के सामने एक बड़ी समस्या है। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र विदेश चले जाते हैं। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को नियमित रूप से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे देश में रहकर सेवा कर सकें। पहले छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती थी, लेकिन अब इस प्रणाली में कई गड़बड़ियाँ आ गई हैं। इन्हें शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। कॉलेजों को भी समय पर अनुदान दिए जाने चाहिए ताकि छात्रों को समय पर सहायता मिल सके।

अंत में, मैं सदन में इस विधेयक को पारित करने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इसमें कुछ संशोधन किए जाएँ तो यह और अधिक प्रभावी बन सकता है।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन में मंत्री जी के द्वारा जो ट्रिपल आईटी बिल, 2014 पेश किया गया है, इसके समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया का एक सपना देखा था। प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया में अपने देश का डंका बजाया और एक स्वाभिमान का भाव जो पैदा किया कि हमारे देश में किस तरीके से हम स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। उन्होंने बहुत गहनता से चिंतन किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश के विकास के लिए किस तरीके से हम आगे जाएं। इसी चिंतन का नतीजा यह बिल है। यह आईआईआईटी 2014 बिल देश की शिक्षा के लिए, टैक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए बहुत मज़बूत नींव साबित होगा। क्योंकि जो सिर्फ 4 ट्रिपल आईटी इस बिल में लिए गए हैं, ये चार ऐसे मज़बूत स्तंभ होंगे, जिसके आधार पर देश की शिक्षा के लिए, टैक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। जिस प्रकार देश में एम्स में क्वालिटी के दम पर, अपनी शिक्षा के दम पर और इलाज के दम पर एम्स ने एक स्वायत्तशासी संस्था होने के नाते पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है और चिकित्सा के साथ में उन्होंने सेवा कर के भी अपना नाम कमाया है। इसी प्रकार ये जो संस्थाएं हैं, जो चारों शहरों में खोली जा रही हैं, ये इस एजुकेशन को बढ़ाने कि लिए बहुत बड़ा आधार होंगी।

इस बिल में बहुत खूबसूरती यह दी गई है कि विस्तार से हर चीज़ को समझाया गया है कि किस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन है, संस्थाएं कौन-कौन सी होंगी, ऑर्गनाइज़ेशन और प्राधिकरण क्या-क्या होगा। गवर्निंग बॉडी कैसे बनेगी और इसकी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग कैसे होगी। ऐसा लगता है कि यह बिल आने वाले समय में हमारे देश के लिए, विशेषकर हमारे युवाओं के लिए बहुत मज़बूत बिल साबित होगा। इस बिल के माध्यम से हम तकनीक के क्षेत्र में, ट्रिपल आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ी मैन पॉवर पैदा कर पाएंगे जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रौशन करेगी। जैसा कि हम आज देखते हैं कि जो भी इलैक्ट्रॉनिक आइटम हमें खरीदना हो, चाहे वह टी.वी. हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, हर आईटम हमें विदेश से

लाना पड़ता है। ऐसी मजबूरी है। वजह क्या थी कि पिछले 65 साल से, पिछले लंबे समय से कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया कि किस तरीके से हमारे देश को इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ पर बहुत अच्छी पहल की है और उम्मीद करते हैं कि ये जो चारों संस्थाएं बनने जा रही हैं और जिस तरीके से यह अच्छा बिल ड्राफ्ट किया गया है, ये संस्थाएं हमारे देश में एक आइडल मॉडल होंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि ये संस्थाएं देश के सभी राज्यों में विस्तार करेंगी और देश में एक नई क्रांति आएगी। देश आत्मनिर्भर बनेगा और देश की यह जो ताकत है, हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलाएगी और हमारे देश का नाम रौशन करेगी। यह बिल मील का पत्थर है और मैं इस बिल का बहुत समर्थन करता हूँ कि यह देश के लिए बहुत वरदान साबित होगा। सभापति जी, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले, मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

आज के आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व में आईटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, और इसलिए हमें इसे अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। आईटी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसने भारत को 1980 के दशक से 2000 के दशक तक एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्थान दिलाया। हम भविष्य में भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखते हैं, और इसमें हमारी आईटी क्षेत्र में बढ़त एक मुख्य कारण है। हम आशा करते हैं कि हम वह महाशक्ति बन सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। इसके लिए हमें आईटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। आज के समय में जब हम जागते हैं, जीवन यापन करते हैं, हर क्षण, हर क्षेत्र- स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, भ्रष्टाचार विरोधी कार्य और सुशासन-सभी में आईटी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अतः इस क्षेत्र को गंभीरता से लिया जाना अनिवार्य है।

भविष्य में केवल तकनीकी शिक्षा देने तक सीमित न रहकर, हमें आईटी क्षेत्र के तकनीकी मानकों को भी बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा, जो आज अत्यंत आवश्यक है।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ क्योंकि यह देश में चार विश्वस्तरीय आईटी संस्थानों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। ये संस्थान निश्चित रूप से उस आधुनिक तकनीकी भारत के आधार बनेंगे जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं। इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान करने पर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि हमें इन संस्थानों में छात्रों के ज्ञान, कौशल और अनुसंधान क्षमताओं को भी सुदृढ़ करना होगा।

एक गंभीर समस्या यह है कि हमारे देश के आईटी क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र विदेश चले जाते हैं। उनका अन्य देशों और संस्थानों में काम करने का रुझान अधिक है। इसलिए, इन संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य यह

होना चाहिए कि इस सोच में बदलाव लाया जाए। हमें तकनीकी शिक्षा देने के साथ-साथ आईटी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा, रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे, और छात्रों को यह विश्वास दिलाना होगा कि भारत में रहकर भी उनके लिए बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं। आईटी ने पिछले दो दशकों में भारत को बहुत कुछ दिया है — एक गरीब परिवार का छात्र आज अमेरिका में प्रतिष्ठित नौकरी कर रहा है। अब समय आ गया है कि भारत भी आईटी क्षेत्र को वापस कुछ दे। इस विधेयक और चार तकनीकी उन्नत संस्थानों की स्थापना के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं।

जैसा कि श्रीमती कविता जी ने भी कहा, हमें ज्यादा संस्थान स्थापित करने की बजाय मौजूदा संस्थानों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से हम यह सोच रहे हैं कि हर राज्य में एक ऐसा संस्थान होना चाहिए, लेकिन गुणवत्ता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि पाँचवें संस्थान की स्थापना पर विचार किया जाए, तो वह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाए। आईटी हमेशा से आंध्र प्रदेश के लिए अत्यंत प्रिय क्षेत्र रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू जी ने 1990 के दशक से ही आईटी के क्षेत्र में विशेष रुचि और योगदान दिया है। यदि यह संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थापित होता है, तो हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देंगे।

जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम "डिजिटल इंडिया" की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन "डिजिटल इंडिया" का अर्थ केवल तार जोड़ने तक सीमित नहीं है; इसके लिए हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है और इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। हमें इस क्षेत्र के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा।

अंत में, मैं इन चार संस्थानों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे इस मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए एक बार पुनः अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद महोदय।

माननीय सभापति : महोदया, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : महोदय, आज वैंकैय्या नायडू जी ने डॉ. गौड के भाषण की सराहना की और उनके स्वर से स्वर मिलाते हुए मैं कविता जी, दुष्यंत चौटाला जी और अभी-अभी आन्ध्र प्रदेश से जो माननीय सांसद बोल रहे थे, जिनकी व्यक्तिगत टिप्पणी इस बिल के अन्तर्गत हुई, मैं उनकी सराहना करती हूँ। आज की यह चर्चा हमारे देश को इस बात का संकेत देती है कि जब इस संसद में शिक्षा पर चर्चा हुई तो राष्ट्र नीति के बारे में चिन्ता हुई, राजनीति के बारे में नहीं। मैं चाहती थी कि लोकतंत्र के मन्दिर में विद्या का आशीर्वाद ट्रिपल आई.टी. के छात्रों को आज मिले, किन्तु विपक्ष आज उपस्थित नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह चर्चा कल भी हो, मैं ऐसा निवेदन आपसे करती हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं अगला विषय लेना चाहूँगी। अगला विषय सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का है।

माननीय सभापति : बस एक मिनट।

… (*व्यवधान*)

श्री एच.डी. देवगौडा (हसन): आपकी अनुमति से, क्या मैं विशेष रूप से इस विधेयक पर हस्तक्षेप कर सकता हूँ? … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: आप कल बोल सकते हैं। वह आज व्यस्त हैं और उन्हें राज्य सभा में जाना चाहिए। हम इस पर कल भी चर्चा जारी रख सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, राज्य सभा में मतदान है। इन्होंने अपना मत पेश कर दिया है। मैं यहाँ पर हूँ और मैं माननीय देवगौडा जी का विषय सुनना चाहूँगा।

श्री एच.डी. दवेगौडा : आपकी अनुमति से, मैं इस विधेयक पर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। केवल दो-तीन मिनट में यह व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक पर चर्चा में क्यों भाग लेना चाहता हूँ।

येदियुरप्पा जी भी यहां उपस्थित हैं। जब वे उपमुख्यमंत्री थे और उनके सहयोगी श्री कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उस समय कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत का पचास प्रतिशत वहन करने और आईआईटी स्थापना हेतु एक हजार एकड़ भूमि आरक्षित करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में सभी विवरण योजना आयोग को भेजे जा चुके थे। यह एक ऐसा विषय है, जिसका वादा पिछली यूपीए सरकार ने किया था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक कारणों से उसे पूरा नहीं किया गया। मैं खेदपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, विशेषकर किसी राज्य के विकास से जुड़े मामले पर। मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ।

आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं हैं क्योंकि वे सार्क सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। परंतु, मैंने प्रधानमंत्री से भेंट कर इस पूरे विषय पर विस्तृत चर्चा की थी और कर्नाटक, विशेष रूप से हासन जिले से संबंधित लंबित मुद्दों से अवगत कराया था। प्रधानमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था। मैं इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता, बल्कि राज्य के विकास के दृष्टिकोण से देखता हूँ।

पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्री ने सदन के पटल पर जो आश्वासन दिया था और जिसके बारे में उस समय के माननीय प्रधानमंत्री के साथ भी चर्चा की गई थी, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि येदियुरप्पा जी इसे इस सरकार के मंत्री के कथन के रूप में न लें। यह उस समय की यूपीए सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में किए गए वक्तव्य से संबंधित है। इस पर मैं कोई विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहता। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के गद्दी संभालने के बाद, मैंने पहली बार उनसे भेंट की थी। लगभग चालीस मिनट तक चली उस बैठक में मैंने कर्नाटक राज्य, विशेष रूप से हासन जिले से जुड़े सभी मुद्दों को विस्तार से उनके समक्ष प्रस्तुत किया था। कुछ रेलवे परियोजनाएँ, जो पिछले उन्नीस वर्षों से लंबित थीं, उन्हें मैंने स्वीकृत कराया था। मैं उन सभी विवरणों में नहीं जाना चाहता।

मैं कर्नाटक सरकार को लिखे पत्र में तत्कालीन प्रमुख सचिव द्वारा की गई सिफारिशों को दोहराना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी राज्य सभा गए हैं। राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा लागू सभी शर्तों को पूरा कर रही है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से एक पत्र लिखा गया है। अगर माननीय प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित होते तो मैं उन्हें फिर से याद दिलाता कि जब मैं उनसे मिला तो हमने क्या चर्चा की। मैं भारत सरकार से केवल यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हासन जिले में एक आईआईटी की स्थापना को लेकर जो लंबित मांग है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार, जो पूरे विश्व में विकास के मंत्र के साथ कार्य कर रही है, इस दिशा में आवश्यक कदम अवश्य उठाएगी। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ कि कर्नाटक राज्य के हासन जिले में एक आईआईटी की स्थापना की जाए। धन्यवाद।

अपराह्न 5.09 बजे

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 5.10 बजे

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

माननीय उपाध्यक्ष : अब, हम कार्य की अनुपूरक सूची की मद सं.12ग लेंगे।

माननीय सदस्यगण, इससे पूर्व कि मैं श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री को केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 2014 पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाऊं, मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय मंत्री ने दिनांक 24 नवंबर, 2014 के अपने पत्र द्वारा सूचना दी है कि राष्ट्रपति ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 2014 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।

माननीय सदस्यगण, केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचार के लिए लेने से पहले हमें इस पर चर्चा के लिए समय आबंटित करना है। यदि सभा सहमत हो तो हम 2 घंटे का समय आबंटित कर सकते हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, हमने कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा की थी और इसकी चर्चा के लिए एक घंटा आबंटित किया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष : ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम एक घंटे के लिए इस पर चर्चा करेंगे और आगे की चर्चा के बारे में बाद में देखेंगे।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं*

> [अनुवाद] “कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी] दि सैंट्रल यूनीवर्सिटी बिल, 2014 एक्ट 2009 के तहत बारह राज्यों में सैंट्रल यूनीवर्सिटी स्थापित हुई थीं। बिहार में उच्च शिक्षा और बिहार जैसे बड़े राज्य को और उसकी आबादी को देखते हुए दो सैंट्रल यूनीवर्सिटी बनाई गई हैं। एक सैंट्रल यूनीवर्सिटी है जो साउथ बिहार में है और दूसरी महात्मा गांधी सैंट्रल यूनीवर्सिटी है। मैं सदन के समक्ष बिल चर्चा हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं और सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि सर्वसम्मति से बिल पास हो।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> “कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आज दि सैंट्रल यूनीवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, 2014 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभारी हूं कि यह बिल केवल चम्पारण या बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण बिल नहीं है, बल्कि यह महात्मा गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। वर्ष 1917 में जब मोहनदास कर्मचंद गांधी जी चम्पारण गए थे और वहां उन्होंने वहां जो काम किया था, उसी के बाद विश्व ने और भारत ने उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना था। वर्ष 2005 तक बहुत शर्मनाक स्थिति थी कि वहां आज भी ब्लाक में एजुकेशन लेवल बहुत कम है। चम्पारण में कम से कम एक दर्जन ऐसे ब्लाक हैं जहां परसेंटेज तीस परसेंट से भी कम है। वर्ष 2005 में हमारी सहयोगी सरकार बनी और उसके बाद शिक्षा में परिवर्तन आया। जब यहां यूनीवर्सिटी खुलने की बात हुई तो एक बहुत अजीबोगरीब किस्सा हुआ। उस समय सबसे ज्यादा योगदान माननीय राधामोहन सिंह जी का, माननीय सुशील मोदी जी का था जिन्होंने कहा कि यह यूनीवर्सिटी मोतीहारी में खुलनी चाहिए और बिहार सरकार ने इसे रिक्मेंड करके यहां भेज दिया। उस समय की सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि हम मोतीहारी में इसे खोलने के लिए तैयार नहीं हैं और इसका कारण यह बताया कि वहां कोई हवाई अड्डा नहीं है। क्या हवाई अड्डा शिक्षा का कोई आधार बनता है? माननीय राधामोहन जी के नेतृत्व में हम सभी ने बहुत लड़ाई लड़ी और चम्पारण के बहुत सारे विधायक खास कर प्रमोद कुमार जी, सचेन्द्र जी, रामचन्द्र साहनी जी, अजय सिंह जी, कृषनंदन पासवान जी और दिल्ली के पूर्वांचल समाज के लोगों ने दिल्ली में बहुत बड़ा धरना दिया। उसके बाद तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर तैयार हुए लेकिन आधे-अधूरे मन से तैयार हुए। हमारे यहां कहावत है, जिसे मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन दूसरी लाइन यह है कि " हेराफेरी से कभी नहीं जाता है। " कोई चोरी से चला जाता है लेकिन हेराफेरी से नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि हम बिहार में दो केंद्रीय विद्यालय देंगे लेकिन आधा-आधा करके देंगे और वह भी इन लोगों ने पिछली सरकार में पास नहीं किया। इलेक्शन में यह हमारे यहां का सबसे बड़ा मुद्दा था और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत आभारी हूं माननीय शिक्षा मंत्री समृति ईरानी जी का और कृषि मंत्री माननीय राधामोहन सिंह का कि

जब बिहार के सांसदों की बैठक प्रधानमंत्री जी के साथ हुई तो सबसे पहले इस चर्चा को रखा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल पास होना चाहिए और पहले सेशन में ही पास होना चाहिए। मैं माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभारी हूं कि वे तैयार हुए और पिछले सदन में बिल लाए और उसके बाद स्टैंडिंग काउंसिल में गया। पिछली सरकार जो कहती थी कि हम आधे पैसे देंगे, उसके बदले दो यूनीवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया गया है। चम्पारण की जनता के लिए जो एक बहुत बड़ा सहयोग के रूप में है, क्योंकि हमारा जिला शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी गांधी जी के एक सौ वर्षों के बाद भी हम बहुत तरक्की नहीं कर पाए हैं, जो कि हमें करनी चाहिए थी। इस बिल से हमारे जिले को न केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिल रहा है, बल्कि आज तक हमारे यहां कोई हायर एजुकेशन की संस्था नहीं थी, कॉलेज लेवल तक ही थी, उसका भी निर्माण हो रहा है। इससे पश्चिम चम्पारण और पूर्वी चम्पारण जिले बहुत आगे बढ़ेंगे।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो स्कील डेवेलपमेंट के भी मिनिस्टर हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि महात्मा गांधी और पूजनीय बा ने हमारे यहां लगभग 56 बुनियादी विद्यालय खोले। जहां पर बच्चों को बा ने खुद पढ़ाया, कस्तूरबा जी और महात्मा गांधी जी ने खुद बच्चों को पढ़ाया। वे ऐसे विद्यालय थे, जिनमें तकनीकी शिक्षा भी साथ रखी। आज जो सोच माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की है, वह सौ वर्ष पहले मोहन दास कर्मचंद गांधी जी की सोच थी, जब वह चम्पारण गए थे। वहां पर वैसे 56 से ज्यादा बुनियादी विद्यालय हैं, जिन सब की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के अधीन में है। वहां पर उसका डेवेलपमेंट करना और एक-एक जमीन में महात्मा गांधी के अनुरोध पर उस समय दानकर्ताओं ने 15 एकड़, 20-20 एकड़ जमीन एक-एक बुनियादी विद्यालय में दी।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी अनुरोध रहेगा कि उन सभी विद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ शामिल किया जाए और जो नरेन्द्र भाई मोदी जी का स्कील इंडिया का सपना है, उस जमाने में महात्मा गांधी जी ने लोहे, पीतल, लकड़ी आदि की कारीगरी सिखाने का काम किया, इन सब चीजों की हरेक विद्यालय में कारीगरी सिखाएं, कि बच्चे पढ़ाई भी करें और कारीगरी भी सीखें, जिससे कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। उस सोच के साथ उन्होंने विद्यालय खोला था, लेकिन आज उस विद्यालय की बहुत बड़ी जमीन तो है,

परन्तु उसमें शिक्षक नहीं हैं। उनकी जो सोच थी कि इसमें कारीगरी भी सिखाई जाए, जिससे कि बच्चों को अपने कमाने का साधन भी मिल सके। वह शिक्षा धीरे-धीरे बंद हो गई। इसलिए मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी और स्कील डेवेलपमेंट मंत्री, श्री राजीव प्रताप रूडी जी से अनुरोध होगा कि बुनियादी विद्यालयों को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शामिल करें। माननीय राधा मोहन सिंह जी के प्रयास से दूसरे सेशन में यह बिल पास हो रहा है, उसके लिए चम्पारण की जनता कृषि मंत्री, माननीय राधा मोहन सिंह जी की भी ताउम्र आभारी रहेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल का पूरा समर्थन करते हुए यह अनुरोध करता हूं कि इस सेंट्रल विश्वविद्यालय को अगले सत्र से ही चालू किया जाए, जिससे कि पढ़ाई शुरू हो सके, जमीन वहां पर तैयार है। सन् 2017 में जब महात्मा गांधी जी के एक सौ वर्ष पूरे होंगे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ उस केन्द्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन करें, जिससे कि सही मायने में महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय अमेंडमेंट बिल 2014 का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

नगेन्द्र कुमार प्रधान (संबलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं, बीजू जनता दल की ओर से, केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि चम्पारन वह जगह है जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए, जब यह प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है, तो हम खुशी-खुशी इसका समर्थन करते हैं। यह एक पक्ष है।

यहां माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि अब तक 12 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ओडिशा के कोरापुट जिले में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जो देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र के उत्थान के उद्देश्य से यह निर्णय लिया था। लेकिन, दुर्भाग्यवश, जब हम कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अब तक स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है।

उदाहरण के तौर पर, कोरापुट विश्वविद्यालय को ही लीजिए। विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में प्रारंभ हुई थी और 2010 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। इसका प्रबंधन समिति का नेतृत्व स्वयं माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया जाता है। पिछले चार-पांच वर्षों में प्रबंधन समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है, जिसके अध्यक्ष स्वयं माननीय मंत्री जी हैं।

मैं इसके लिए वर्तमान मंत्री महोदय को दोष नहीं देना चाहता। लेकिन जब एक निर्णय ले लिया गया है, तो उसकी निगरानी और देखरेख भी ठीक प्रकार से होनी चाहिए थी।

हम विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं, इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है। इसके तहत भवन बनाए जाते हैं, लेकिन जब हम विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारे पास आवश्यक ढांचे और सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। भारत सरकार को इन विश्वविद्यालयों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए।

कोरापुट विश्वविद्यालय में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। मुझे लगता है कि 26 या 32 विभागों में से पांच विभागों में एक भी प्रोफेसर नहीं है। मैं हमारे ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को धन्यवाद देना

चाहता हूं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई है, जैसा कि उनके द्वारा वादा किया गया था। जब उस विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति पद पर थीं, तब वे कितने दिन वहां उपस्थित थीं, यह भी देखने की आवश्यकता है।

दूसरा, मुझे यह कहते हुए खेद है कि राष्ट्रीय दीक्षांत समारोह कोरापुट में नहीं, बल्कि राज्य मुख्यालय भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इसलिए, इस महती सभा और माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम 20 विश्वविद्यालयों की स्थापना का स्वागत करते हैं लेकिन हमें छात्रों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो हमें इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि हम विधेयक को पारित करें और बिहार में दो विश्वविद्यालय की स्थापना करें। किन्तु जो विश्वविद्यालय कई वर्ष पूर्व स्थापित किए गए हैं, उनका भी पूर्णतः ध्यान रखा जाना चाहिए। हमें उनकी समुचित देखभाल करनी चाहिए ताकि वे विश्वविद्यालय सही ढंग से संचालित हो सकें। यदि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो कृपया इस दिशा में आगे न बढ़ें। यहां राज्य विश्वविद्यालय पहले से मौजूद हैं। मेरे राज्य के दक्षिणी भाग में, बेरहामपुर में एक विश्वविद्यालय स्थित है, जो उस क्षेत्र के निकट है। मेरी जानकारी के अनुसार, उस विश्वविद्यालय पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यदि वहां छात्र और स्टाफ ही नहीं हैं, तो ऐसे विश्वविद्यालय का क्या औचित्य रह जाता है?

मेरा सुझाव है कि जब हम करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, और यदि विश्वविद्यालय सही ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, तो ऐसे विश्वविद्यालयों को निकटवर्ती विश्वविद्यालयों के साथ विलय कर दिया जाए और उन्हें पूर्ण विकसित विश्वविद्यालयों के रूप में क्रियाशील बनाया जाए।

इन सुझावों के साथ, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 का समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : अब कृषि मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह द्वारा इस विषय पर हस्तक्षेप किया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से बिहार राज्य में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना आज की सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। इसकी स्थापना मोतीहारी में होगी, महात्मा गांधी के नाम से होगी, निश्चित रूप से देश के यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और मानव संसाधन मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

चंपारन के विषय में हमारे मित्र संजय जायसवाल जी ने बताया, यहां तक कि ओडिशा के मित्र ने चंपारन और महात्मा गांधी के संबंध की चर्चा की। मै समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर जागरुक नागरिक को पता है कि देश जब गुलाम था तो महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत यहीं से ही की थी। उन्हें सत्याग्रह का औजार मोतिहारी में प्राप्त हुआ था और देश को आजादी मिली थी। मैं आपके माध्यम से देश और सदन को बताना चाहता हूं कि संशोधन बिल की जरूरत नहीं पड़ती। 2009 में मैं लोक सभा में था, उस समय की सरकार ने निर्णय लिया था कि देश के हर राज्य में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार को ऐसा प्रपत्र गया कि बिहार के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ज्यों ही वह पत्र गया उसके बाद बिहार विधान सभा ने अपनी बैठक में प्रस्ताव पास किया कि बिहार के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, चंपारन में महात्मा गांधी के नाम पर होगा। बिहार विधान सभा ने इसे पास किया और फिर विधान परिषद् ने भी इस प्रस्ताव को पास किया। इसमें सब दल के विधायक थे। इस संशोधन की आज जरूरत नहीं पड़ती। बिहार विधान मंडल का प्रस्ताव पास हुआ, भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री के पास भेजा गया। स्वयं मुख्यमंत्री आए, सदन में होने के नाते मुझे पत्र लिखना पड़ा। इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने साफ-साफ कहा कि यह न तो मोतिहारी में होगा और न ही महात्मा गांधी के नाम से होगा। मैंने उनको पत्र लिखा और चंपारन और महात्मा गांधी के महत्व को बताया। यह पता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी इसलिए स्वाभाविक हो कि उनको महात्मा गांधी और चंपारन का ज्ञान न हो इसलिए मैंने उनको लंबा-चौड़ा पत्र दिया। चार साल में चार बार पत्र दिया और चारों बार उत्तर था कि मोतिहारी

में स्थापित नहीं होगा और महात्मा गांधी के नाम से तो दूर-दूर तक नहीं होगा। पूरे बिहार में जन आंदोलन हुआ। सब विधायक सडक पर आए। इस सदन में बिहार के सांसद, चाहे जिस भी दल के थे, सबने आवाज उठाई। जब यहां आवाज नहीं सुनी गई तब बिहार की जनता सड़क पर थी, तो दिल्ली में बिहारी जनता सड़क पर आ गई। सांसद भी सड़क पर गए। फिर मंत्री जी ने कहा कि नहीं खोलूंगा। तब बिहार की सरकार ने कहा कि बिहार में कहीं जमीन नहीं दी जाएगी। इसके बाद भारत सरकार के उस समय के मंत्री जी ने कहा कि बिहार में जमीन न दी जाए, ठीक है लेकिन मैं महात्मा गांधी और मोतिहारी के नाम पर नहीं खोलूंगा, गया में भारत सरकार की जमीन है वहां खोल देंगे लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर मोतिहारी में नहीं खोलेंगे। ऐसा निर्णय यहां की सरकार ने कर लिया और 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बिहार के लिए सैंक्शन हुआ था, गया के अंदर स्थापित हुआ। इसके बाद सड़क और सदन में जब आंदोलन काफी तेज हुआ, तब कैबिनेट ने डिसीजन लिया किया कि एक दक्षिण बिहार में होगा जिसका नाम दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया होगा और दूसरा उत्तर बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी होगा। इसके बाद फिर आंदोलन शुरु हो गया कि मोतिहारी का विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होना चाहिए। हमने फिर से पत्र दिया और नियम 377 में कई बार उठाया लेकिन बार-बार यही उत्तर आया कि महात्मा गांधी का नाम इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जिस पर पूरा बिहार एक मत था, सभी राजनीतिक दल एक मत थे, पूरा बिहार विधान मंडल एक मत था, उसे यदि मान लिया गया होता, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती और उस विश्वविद्यालय को वहाँ स्थापित कर दिया गया। जब कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तर बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में स्थापित होगा, तो इस निर्णय के बाद सारे सांसद दौड़ते रहे कि इसे सदन में लाया जाए और इस विधेयक को यहाँ पास कराया जाए। लेकिन महात्मा गांधी और मोतिहारी से पता नहीं कितनी घृणा थी कि हम लोग सदन का सत्र समाप्त होने के दो दिन पहले बहुत सारे विधेयक पास किये गये, लेकिन उसे सदन में नहीं लाया गया।

आज निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को तथा श्रीमती स्मृति ईरानी जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा, हमारे चम्पारण के सांसद श्री संजय जायसवाल , श्रीमती रमा देवी जी तथा उस समय श्री बैद्यनाथ कुशवाहा जी भी थे, उस समय इन सारे लोगों ने संघर्ष किया और सबके परिश्रम का यह परिणाम है। आदरणीय

प्रधानमंत्री, जिन्होंने इसके महत्व को समझा, जब सरकार बनी, तो पहले सत्र में ही कैबिनेट ने निर्णय लिया कि महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में की जाएगी। इसके मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वैसे लोगों के पास नेतृत्व न जाए, जो महात्मा गांधी के महत्व को भी नहीं समझते हैं और चम्पारण के महत्व को भी नहीं समझते हैं। ईश्वर वैसे लोगों को कभी महत्वपूर्ण स्थान पर न लाए, ऐसी कामना करते हुए और प्रधानमंत्री जी तथा मानव संसाधन मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं तथा पूरे सदन से यह उम्मीद करता हूं कि इस ऐतिहासिक काम को सर्वसम्मति से करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री बलका सुमन (पेड़दपल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

सबसे पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा बिहार जैसे देश के पिछड़े राज्य में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के निर्णय की हम सराहना करते हैं। बिहार के दो प्रस्तावित विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से बिहार राज्य के गंगा के उत्तर और गंगा के दक्षिण के रूप में घोषित किया गया है। नए विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, इसकी भी हम प्रशंसा करते हैं। यदि भारत सरकार ने इस विधेयक के साथ-साथ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किए गए वादे के अनुसार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में एक-एक केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय भी लिया होता तो अच्छा होता। हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के संसद सदस्य इसके लिए अत्यंत प्रसन्न होते। अब, भारत सरकार को प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

महोदय, मैं अपनी टी.आर.एस. पार्टी की ओर से बिहार जैसे पिछड़े राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के केन्द्र सरकार के निर्णय का स्वागत और समर्थन भी करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री एस.एस. अहलुवालिया (दार्जिलिंग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी श्री राधामोहन सिंह जी ने बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया। चूंकि मैं उत्तर बिहार का ही रहने वाला हूं। मैं दार्जिलिंग से सांसद हूं किन्तु उत्तर बिहार में मेरा घर है। हमारी सरकार ने यह स्वागतयोग्य कदम उठाया है। हमारी मंत्री महोदया उसके लिए धन्यवाद की पात्री हैं। महोदय, मैं उत्तर बिहार का वासी होने के नाते इस बिल के संबंध में धन्यवाद करता हूं, लेकिन उसके साथ ही मैं एक मांग भी रखना चाहता हूं। वर्ष 2011 में जिस वक्त गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वहां पर आंदोलनरत था, उस वक्त भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक फैसला लिया था और एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट उनके बीच साइन हुआ था, जिसके माध्यम से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट भी पास हुआ था, उसके तहत उन्होंने आश्वस्त किया था कि दार्जिलिंग में एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया और हम वंचित रह गये। पर हमारी अवस्था थोड़ी सोचनीय इसलिए भी है कि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम विश्व भारती शांति निकेतन है, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आरंभ किया गया था, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित है। दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले तीन महीनों में वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों से जो छात्राएं पढ़ने आती हैं, वे ज्यादातर सिक्कम, दार्जिलिंग, कर्शियांग, कलिमपोंग की छात्राएं पढ़ने जाती हैं, वहाँ पर एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो आजकल एक फैशन-सा हो गया है, जब हम छात्र-जीवन में रहते थे, जिन शब्दों का प्रयोग करने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी और जिन शब्दों को पढ़ने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, आज वे अखबार की सुर्खियाँ हैं या टेलीविजन के हेडलाइंस हैं। गैंगरेप या गणधर्षण इस तरह की बातें बोलने में भी हमको शर्म आती थी परन्तु आज वह आज एक प्रचलन सा हो गया है और विश्वविद्यालय भी इनसे अछूते नहीं हैं। खासकर विश्वभारती और शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय में सिक्किम की एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ, जब न्याय की गुहार की गयी, तो वहां पर जो वाइस-चांसलर हैं, पहले जब वह कहीं और डायरेक्टर थे, उनके ऊपर सेक्सुअल ह्रासमेंट का आरोप था, उसके बावजूद तत्कालीन

सरकार ने ऐसे आदमी को, जिस पर कितनी कंप्लेंट्स और इनक्वायरीज एचआरडी मिनिस्ट्री में फाइल हुई हैं, जिनके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बावजूद उनको वहां वाइस-चांसलर बनाया गया। जब इस लड़की ने उनके सामने गुहार लगाई, तो उस पर उसे और उसके मां-बाप को इतना धमकाया गया कि अपनी कंप्लेंट वापस लो। अंततः वह लड़की अपने मां-बाप के साथ विश्वविद्यालय छोड़कर चली गयी। उसके बारे में सुनकर अन्य बहुत सी लड़कियां विश्वविद्यालय छोड़ने की परिकल्पना कर रही हैं।

ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के एक अन्य विश्वविद्यालय जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी हुई। वहां भी एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने न्याय की गुहार की तो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने लोगों एवं पुलिस को भेजकर आन्दोलनरत छात्र-छात्राओं की पिटाई करके रात में जेल में बंद कर दिया। इन दोनों विश्वविद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं अभी भी आंदोलनरत हैं। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि हम शिक्षा के लिए जो भी संस्थाएं बनाते हैं, वहां पर जो वाइस-चांसलर एवं आधिकारी होते हैं, उनका काम होता है इथिकल वे में वहां पर काम करना, एजुकेशन देना, एजुकेशन को बढ़ावा देना और उसके साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी देना। उनको वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा भी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों विश्वविद्यालयों में वे लोग अपना भरोसा खो चुके हैं और आंदोलनरत हैं और कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं है। केंद्रीय सरकार कम से कम शांतिनिकेतन के बारे में विचार करे कि उस लड़की के साथ क्यों अन्याय हुआ। वहां जो कमेटी बनाई गयी, उसमें भी वे ही लोग आए, जो वाइस-चांसलर का समर्थन करते रहे। यहां पर भी जो कमेटी बनाई गयी, उसमें वैसे ही लोग आए जिन्होंने उनका समर्थन करना था और असत्य आरोप लगाकर छात्रों पर तरह-तरह के केसेज बनाए गए। यह दुर्भाग्यजनक है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि आविलम्ब इस पर कुछ कार्रवाई भी करें। आप विश्वविद्यालय बनाइए, एक अच्छा कदम है, किन्तु विश्वविद्यालय का परिवेश भी अच्छा होना चाहिए, जहां हर मां-बाप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए भेजे, न कि उनकी जिन्दगी खराब करने के लिए भेजे।

इसके साथ ही, मैं पुनः अपनी दार्जिलिंग के केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को दोहराते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मानव संसाधन मंत्री एक कल्पवृक्ष जैसे हैं, अगर कुछ कल्पना करें, तो दे देते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैंने कुछ मांग की थी, उन सभी के लिए वह राजी हो गयी हैं। मुझसे गलती हो गयी कि मैंने विश्वविद्यालय नहीं मांगा था।

महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की आबादी 20 लाख है और विकास के मामले में 543 संसदीय क्षेत्र में से हम 543वें स्थान पर आते हैं। मेरे क्षेत्र में दो जिले हैं यथा नवरंगपुर और मालकानगिरी (ओडिशा) और तीसरे जिले का एक छोटा हिस्सा है। हमारे दोनों जिले भारत के सबसे कम शिक्षित दस जिलों में शामिल हैं। अभी तक हमारे यहां लिटरेसी रेट 48 प्रतिशत है। आज के दिन वहां एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। मैडम ने दो जिलों के लिए एक-एक मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए सैंक्शन दी है, वे पहले सरकारी डिग्री कॉलेज होंगे। वहां इंस्टीट्यूशन्स की बहुत कमी है। हमने देखा है कि आल इंडिया का अगर एवरेज लें, तो मेरा क्षेत्र एक विश्वविद्यालय डिजर्व करता है। बिहार के लिए मैडम ने दूसरे विश्वविद्यालय के लिए एग्री किया है, उसी तरह से ओडिशा में मेरे क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय दें। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी बहुत से काम बाकी हैं, उनको पूरा करें। जैसे फैकल्टी में 66 पोस्ट्स हैं, उनमें से सिर्फ 18 पोस्ट्स ही फिल-अप हुई हैं और बहुत विभाग अभी खुले नहीं हैं। उसको फुल-फ्लेज बनाया जाए। मेरे क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय के बारे में विचार करें। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान के बड़े संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। अब इस अधिनियम में संशोधन कर बिहार राज्य में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

हम सभी जानते हैं कि बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। बिहार के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार अब एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। वर्तमान में जो विश्वविद्यालय बिहार में कार्यरत है, वह गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित होने वाला यह नया संस्थान गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

महोदय, ज्ञान शक्ति है, और लोगों के आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। लोगों की आय बढ़ाने के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। इस प्रकार के संस्थानों की देशभर में आवश्यकता है। जैसे बिहार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, उसी प्रकार मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे तमिलनाडु की ओर भी ध्यान दें। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि हमारे जिले में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए ताकि वहां के लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जैसा अभी आदरणीय राधामोहन सिंह जी बता रहे थे, गांधी जी ने वहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आदरणीय राधामोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के सारे सांसदों एवं विधायकों ने अपने देश की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गांधी जी के नाम पर विश्वविद्यालय प्राप्त करने के लिए, जो वहां की जरूरत भी थी। मैं उनको बधाई देता हूं कि अंततः जीत हुई है और केंद्र की हमारी सरकार ने वहां विश्वविद्यालय देने का निर्णय किया है, जिसको आज इस विधेयक के माध्यम से संसद स्वीकृति दे रही है।

मैं केवल दो-तीन मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालय होना अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसकी आबादी 20 करोड़ के लगभग है, जहां से 80 सांसद चुनकर आते हैं वहां तीन विश्वविद्यालय हैं। एक वाराणासी में, एक अलीगढ़ में और तीसरा इलाहाबाद में है। लेकिन उच्च शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है और यदि मैं मेरठ की बात कहूं तो मेरठ विश्वविद्यालय में आज लगभग 3 लाख छात्र हैं जो उससे सम्बद्ध हैं और आप यदि उसका निरीक्षण कराएं तो वहां इतनी अव्यवस्था है और उसका कारण है कि वहां इतनी बड़ी संख्या छात्रों की है, इतना बड़ा क्षेत्र उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है कि परीक्षाओं का संचालन करना या किसी भी प्रकार की शिक्षा-विधि का नियमित करना कठिन हो गया है। माननीया मंत्री जी भी बैठी हुई हैं और राज्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि मेरठ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। वहां पर कोई और विश्वविद्यालय भी खोला जाए जिससे छात्रों को ठीक प्रकार की शिक्षा सुलभ हो सके। मुझे उम्मीद है कि गांधी जी की तरह हमें उसके लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा और हमारी यह जायज मांग स्वीकार हो जाएगी। मेरठ एक महत्वपूर्ण नगर है और वहां पर शिक्षा का केन्द्र अगर इस प्रकार का होगा तो छात्रों को उसका निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री राम प्रसाद शर्मा (तेजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे तेजपुर विश्वविद्यालय कहा जाता है। उस विश्वविद्यालय में कुछ भी ठीक नहीं इस संबंध में मैं शीघ्र ही माननीय मंत्री महोदय को विस्तार से लिखित में जानकारी दूंगा। तेजपुर विश्वविद्यालय द्वारा जोनाई में अपने एक परिसर की स्थापना का एक प्रस्ताव लिया गया था। जोनाई अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जहां मुख्यतः जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है और बाढ़ प्रभावित भी है। यह कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक यह परियोजना शुरू नहीं हो सकी है।

वहां के लोग अत्यधिक पीड़ित हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और बाढ़ एवं कटाव से लगातार प्रभावित होते रहते हैं।

इसलिए मेरी माननीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि तेजपुर विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना जोनाई, जिला धेमाजी, असम में शीघ्र करवाई जाए। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक हमारी सरकार और हमारी तेजस्वी माननीया मंत्री जी द्वारा लाया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2009 में जब मैं बिहार की कैबिनेट में मंत्री था तो मुझे गर्व है कि उस कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते वहां से हम लोगों ने महात्मा गांधी के नाम से इस विधेयक को पास करके सेंटर को भेजा था। यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे मोहन सिंह जी ने इसे लेकर के केन्द्र में भी आंदोलन चलाया और अंततः उस शासन में तो नहीं किंतु हमारे शासन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने महात्मा गांधी के नाम पर यह विश्वविद्यालय हमें प्रदान किया है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

आप जानते हैं कि चंपारण महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि रही है और नील का आंदोलन अंग्रेजों के वक्त में किया था तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। हमारे बिहार की आबादी करीब साढ़े दस करोड़ की है और वहां दो विश्वविद्यालय हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि बिहार ज्ञान का केन्द्र है और ज्ञान और विज्ञान की उपज उस बिहार की धरती से हुई है। उस ज़माने में भी, सात सौ ईसा पूर्व का आप उदाहरण ले लीजिए, वहां नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन आज हमें खेद है कि केवल नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। एक समय नालंदा खंडहर की स्थिति में पहुंच गया था, उस समय पाल वंश के द्वारा पोषित विक्रमशिला विश्वविद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण होता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विश्व से दस हजार छात्र आते थे। यहां वेद और ज्ञान का अध्ययन होता था। यह तंत्र और साधना का केन्द्र था। आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय यूं ही पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से गुज़ारिश करना चाहूंगा, इस समय हमारी सरकार है और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि भागलपुर जो कि हमारी जन्मभूमि है और बक्सर हमारी कर्मभूमि है जो कि मिनी काशी के रूप में भी जाना जाता है। मेरा आग्रह है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शाखा हमारे बक्सर में, जहां मर्यादा

पुरुषोत्तम राम को ऋषि विश्वामित्र ने शिक्षा देने का काम किया था तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने ताड़का का वध किया था और आहिल्या का यहां उद्धार किया था। मैं चाहूंगा कि बक्सर में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शाखा खोली जाए और जैसा कि मैंने पहले कहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर विकसित करने का काम किया जाए। पूरे विश्व में तीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा, विक्रमशिला और तीसरा तक्षिशिला जो कि पाकिस्तान में चला गया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये दोनों प्राचीन विश्वविद्यालय भारत की संस्कृति और सभ्यता है और आज जो ज्ञान और विज्ञान पूरे विश्व में छाया हुआ है, ये उसकी जननी है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत बधाई देते हुए, खास कर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके माध्यम से यह विधेयक केबिनेट में पास किया गया, मैं उनको बधाई देता हूं। मैं भाई सिंह जी को बधाई देता हूं और विशेष कर हमारी शिक्षा मंत्री जी इस बिल को लेकर आयी हैं, इसके लिए मैं उनको कोटिशः बधाई देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कहीं इस विषय पर सत्याग्रह न हो जाए, चूंकि वहां वर्षों से लगातार इसकी मांग की जा रही है, क्योंकि नालंदा को विश्वविद्यालय बनाया गया और विक्रमशिला को छोड़ दिया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में सुविख्यात किया जाए। यदि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की ब्रांच बिहार में खुल सकती है तो काशी विश्व हिन्दू विश्वविद्यालय की ब्रांच मिनी काशी कहलाने वाले बक्सर में क्यों नहीं खुल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पहली केबिनेट में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मुझे आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि महात्मा गांधी के देश में, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनकी कर्मभूमि पर कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान स्थापित हो और उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाए, इसके लिए भी वहां के लोगों को आंदोलन करना पड़े, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा था। लेकिन मुझे खुशी है और मैं अपनी सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, जिसने इतना अच्छा निर्णय लिया। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय जहां स्थापित है, वह मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद बिहार में है। मेरे संसदीय क्षेत्र के गया जिले में टिकारी प्रखंड में वह स्थल है जहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। मैं सुझाव के साथ कहना चाहता हूं कि अभी उस स्थल पर कोई शैक्षणिक या दूसरी कोई गतिविधि नहीं चल रही है। गया जिले में और पटना में इसका कार्यालय जरूर है, लेकिन अभी उस स्थल पर कोई कार्य शुरु नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूंगा कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके, उस स्थल पर जो मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद में गया जिले में स्थित है, जितनी जल्दी उस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण आदि जो भी कार्य हैं, उनको पूरा किया जाए ताकि वहां पठन-पाठन का कार्य शुरु हो जाए। यही मांग रखते हुए मैं एक बार अपने नेता और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी तथा साथ ही शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और साथ ही यह भी कहूंगा कि महात्मा गांधी जी के नामकरण के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहां तक कि आंदोलन भी हमारे माननीय मंत्री राधा मोहन बाबू जिनके इलाके में यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, उन सभी को बधाई देना चाहूंगा। इन्ही शब्दों के साथ मुझे आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): महोदय, मैं भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री की तरफ से लाये गये इस बिल का स्वागत इसलिए करता हूं कि महात्मा गांधी के नाम पर जिस विश्वविद्यालय की स्थापना चम्पारण में हो रही है, उसका एक महत्वपूर्ण इतिहास है। नीलका आंदोलन उसी चम्पारण से शुरु हुआ था जहां अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए तिनकठिया कानून बनाया था और तिनकठिया कानून लोगों को, किसानों को पीड़ित करने का एक सबसे बड़ा हथियार होता था। मैं भारत सरकार के दोनों मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी के नाम पर चलने वाला वह स्वदेशी आंदोलन जिसके आधार पर देश को आज़ाद करने का रास्ता दिखाया था, भितिरवा गांव उसका केन्द्र था। राधा मोहन सिंह जी जानते होंगे और भितिरवा में आज भी बापू का आश्रम है। मैं वहां पहले दो तीन साल से नहीं गया हूं। उस विश्वविद्यालय के अंदर भितिरवा को केन्द्र में सम्मिलित रखा जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। मैं एक निवेदन और करूंगा कि महात्मा गांधी के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो उस विश्वविद्यालय के अंदर तिनकठिया कानून के विरोध में चलने वाले आंदोलन का एक सत्याग्रह भवन भी बनेगा तो भारत के उस आंदोलन के इतिहास में जरूर रहेगा। मैं भारत सरकार के प्रधान मंत्री और दोनों मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भविष्य के भी स्वदेशी आंदोलन की एक रेखा खींच दी है कि अगर भारत के भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो भारत का संसदीय इतिहास हमें मार्गदर्शन करेगा और उसके विरोध में भी खड़ा करने की ताकत मिलेगी। महात्मा गांधी के नाम पर जो लोग विश्वविद्यालय का प्रतिवाद कर रहे थे, कृषि मंत्री जी उनको श्राप दे रहे थे। कृषि मंत्री जी, भारत की संसद के इस प्रांगण में किसी भी राजनैतिक दल के पास इतनी ताकत नहीं है जो महात्मा गांधी जी को भुला दे या महात्मा गांधी को भुलाने की ताकत महसूस करे। दुनिया के लोग महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। जिस बात को रखने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी दुनिया के देशों में जा रहे हैं और गांधी के अनुसरण के रास्ते की चर्चा कर रहे हैं तो दुनिया उसकी वाहवाही करती है। यहां बैठे हुए लोगों की और चाहे वहां बैठे हुए लोगों की कितनी ताकत होती है जो गांधी के नाम पर प्रतिवाद कर दें और उनके नाम पर

विश्वविद्यालय बनाने की नाकारी कर दे। वही कारण है और उसी का आज दुष्परिणाम है कि वे वहां बैठे हैं जहां विपक्ष के नेता के लिए संख्या पूरी नहीं हो रही है।

सायं 6.00 बजे

क्षमा करिये, आप श्राप मत दीजिए, आप सरकार में हैं, श्राप देने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार इन्हीं जैसे काम करने के लिए होती है, आप सरकार के मंत्री हैं। आपसे यही निवेदन है कि आप श्राप मत दीजिए, सरकार का काम निर्देश देना है, जिसका निर्देश आप दोनों मंत्री दे रहे हैं, वही काफी है। श्राप देना इधर के लोगों का काम है, उधर के लोगों को श्राप देने दीजिए। महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जो भूलेगा, वह भारत को नहीं जानता है। इसलिए मैं पुनः इस सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : सभा की कार्यवाही कल 26 नवम्बर, 2014 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 नवम्बर, 2014 / 5 अग्रहायण, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित